₹ 25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

परिवर्तन

संयुक्तांक

दिसम्बर 2010-जनवरी 2011

अयोध्या फ़ैसला

प्रभाव और परिणाम



विशेषांक



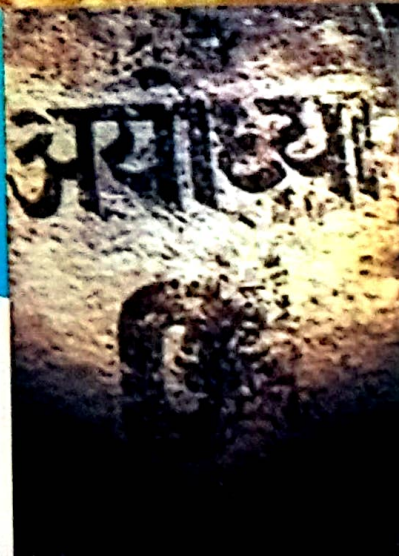

अल-जामेअतुल इस्लामिया, तिलकहना

पोस्ट ऑफ़िस-शिवपति नगर, ज़िला सिद्धार्थनगर (उ०प्र०) 272206

मुख्य विशेषताएं

* क़ुरआन व हदीस और अरबी साहित्य की स्तरीय शिक्षा
* दीनी व असरी (आधुनिक) शिक्षा का हसीन संगम
* छात्रों की मानसिक, वैचारिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था
* अरबी और अंग्रेज़ी बोल-चाल के लिए विशेष क्लासें
* इस्लामी लिट्रेचर की स्तरीय लाइब्रेरी
* 'आलमियत' की कक्षाओं में कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य
* समस्त सुविधाओं सहित हॉस्टल
* सेहत व तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम अनिवार्य
* अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं ।

जामिया पर एक नज़र

शिक्षकों की कुल संख्या	31
मुलाज़िम	8
हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या	150
मोअज़्ज़फ़	100
कुल संख्या	740
माहाना ख़र्च	1,06,154
हॉस्टल में कमरों की संख्या	36
हॉल की संख्या	06
दर्सगाह की संख्या	17

• आलिया • फ़ौक़ानिया • मकतबे तहतानिया • हिफ़्ज़ • ई०जू० • मिनि ITI.

इस्लामिया जूनियर स्कूल (कक्षा VI, VII & VIII)

आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ दीनियात और अरबी अनिवार्य विषय है ।

विशेष आकर्षण

अल-जामिआ की आलमियत की डिग्री के आधार पर देश के सभी विश्वविद्यालयों में बी०ए० में दाख़िला मिल जाता है ।

नोट : (1) दर्जा सोम (III) से दर्जा हशतुम (VIII) तक दाख़िला के इच्छुक छात्रों के लिए खाने-पीने की माक़ूल व्यवस्था और रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है ।
(2) मकतब व जूनियर दर्जों में दाख़िले के इच्छुक छात्र 1 जुलाई 2011 से 15 जुलाई 2011 तक दाख़िला ले सकते हैं ।
(3) आलिया दरजात के उम्मीदवार तलबा 1 जुलाई 2011 से 15 जुलाई 2011 तक दाख़िला ले सकते हैं ।

प्रधानाचार्य ई०जू०हा० स्कूल
मोबाइल : 9839704284

प्रधानाचार्य आलिया
9936371753

नाज़िम : श्री सिब्ग़तुल्लाह फ़लाही
09324240494

अल-जामेअतुल इस्लामिया, तिलकहना

सम्पर्क नम्बर : 9839535405, 09324240494

ऑफ़िस : 9936371753, 9919076730

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 20, संयुक्तांक 7-8, दिसम्बर 2010-जनवरी 2011

ऐ ईमान लाने वालो ! अल्लाह के लिए ख़ूब उठने वाले, इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा न हो किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो । इन्साफ़ करो, यही धर्मपरायणता से अधिक निकट है । (कुरआन)

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

ई मेल kantimasik@gmail.com

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

मनी चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

सद्भाव की ख़ातिर

'कान्ति' (मासिक) का प्रस्तुत विशेषांक केवल अयोध्या फ़ैसले से पैदा हुए सवालों के दो टूक जवाबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप देशवासियों के बीच सद्भाव सौहार्द और सामंजस्य की वक्रता में अपेक्षित सुधार-प्रयास करना है । यह प्रयास भी करना है कि देशवासियों को संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहार में मिलें, कोई किसी का हक़ न मारे और किसी को दूसरे दर्जे का नागरिक न समझा जाए । धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि आधारों पर किसी के साथ भेदभाव न हो और बिना किसी पक्षपात के सबको न्याय सुलभ हो ।

यह चिन्तनीय कटु यथार्थ है कि हमारे देश में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का ट्रेंड पैदा हो रहा है । जिसके पास धन-संपदा है, बाहुबल और पहुंच है, वहां क़ानून बौना नज़र आता है । वर्चस्ववादी 'आंधी' किसी की परवाह नहीं कर रही है । भ्रष्टाचार ने पूरे तंत्र को अपने आग़ोश में ले लिया है । न्यायपालिका तक में भ्रष्टाचार है, अतः कहा जाता है कि न्याय बिकाऊ हो गया है । अयोध्या-फ़ैसले ने न्याय तंत्र के जिन विकारों को उजागर किया है, वे ध्यातव्य हैं । प्रस्तुत अंक में आस्था, अटकल और अप्रमाण संबंधी 'न्यायिक क्षेत्र' की भी पड़ताल की गयी है । यह संभवतः पहला ऐसा फ़ैसला है जिस पर समान रूप से बृहत्तर देशवासियों, चिन्तकों में चिंता पायी जाती है । केवल कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो अंधता के समर्थक हैं !

प्रस्तुत विशेषांक में जिन सामग्रियों का चयन किया गया है, उनमें विचारपरक सामग्रियां तो हैं, कई दस्तावेज़ी सामग्रियां भी हैं, जिनके प्रकाशन का उद्देश्य केवल सत्य-उद्घाटन है । किसी धर्म, समुदाय या वर्ग पर आक्षेप करना हमारा उद्देश्य नहीं है । हम शांति और सद्भाव चाहते हैं, समाज और देश का कल्याण चाहते हैं, इस सिलसिले में हमारा ताज़ा प्रयास आपके सामने है । यह अंक आपको कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें ।

● संपादक



कहां क्या है ?

काश संवैधानिक अपेक्षाएं पूरी होतीं (संपादकीय) 5
अयोध्या और आस्था –डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात 7
बाबरी मस्जिद को पहले जैसे रूप में वापस करें –जमाअत 11
आदरणीय न्यायाधीशों में सहमति-असहमति के बिन्दु (संकलित) 13
अयोध्या फ़ैसला–गुनाह करो इनाम पाओ –राम पुनियानी 17
क्या कहते हैं ये प्रसिद्ध इतिहासकार ? 21
आधुनिक भारत की संकल्पना को एक धक्का –दीपंकर भट्टाचार्य 25
मुंसिफ़ ही हमको लूट गया (काव्य रचना) –मुकुल 'सरल' 26
हिन्दू राष्ट्र के फ़ैसले जैसा (इंटरव्यू) –भेंटकर्ता : डॉ॰ मुहम्मद अहमद 27
क़ानून के लंबे हाथ (विचार) –आनंद स्वरूप वर्मा 29
बाबरी मस्जिद : तथ्य और वास्तविकता –जी॰ हसनैन क़ैफ़ 33
बाबरी मस्जिद मुसलमानों को सौंप दें (उद्गार) –विजेन्द्र कसाना 39
ज़ख़्म भरने के लिए सच के नश्तर... –योगेन्द्र यादव 41
बाबरी मस्जिद बनाम बाबरनामा –डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात 43
बाबरी मस्जिद से पहले भी वहां मस्जिद ही थी –डॉ॰ सूरजभान 47
मस्जिद विध्वंस को जायज़ ठहराने वाला फ़ैसला –टी॰आर॰ अन्ध्याराजन 51
मूल्यों की उपेक्षा (जाने-माने बुद्धिजीवियों का संयुक्त वक्तव्य) 52
फ़ैसला क़ानून के धरातल पर खरा नहीं उतरता : जीलानी (इंटरव्यू) –भेंटकर्ता : पुनीत कुमार मालवीय 53
मिल्कियत का अजब फ़ैसला –साजिद रशीद 55
अयोध्या के सबक़ –आनंद प्रधान 59
क़ानून के शासन का अंत (एक वक्तव्य) 62
शर्मनाक और चौंका देने वाला फ़ैसला –निवेदिता मेनन 64
'बाबरनामा' के पन्ने ग़ायब न होते तो... –योगेश मिश्रा 67
रथ का अनर्थ –सुरेन्द्र किशोर 70
छलकपट से भरा है मंदिर अभियान –चांद ख़ां रहमानी 73
ताला खुलने से मस्जिद की शहादत तक –मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना' 77
इतिहास, धर्मग्रंथ ख़ामोश क्यों ? –एस॰ एल॰ सागर 81
इतिहास को झुठलाने की कोशिश –अमामा साबरी 85
बाबरी मस्जिद का अस्तित्व... –एम॰ए॰ हक़ 89
अयोध्या और तार्किकता –मुद्राराक्षस 91
घातक प्रतिप्रभाव –प्रशान्त भूषण 93
कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों के विचार –राजेन्द्र यादव 95
शर्म उनको मगर नहीं आती –सलीम अख़्तर सिद्दीक़ी 97

संपादकीय

काश, संवैधानिक अपेक्षाएं पूरी होतीं

स्वस्थ और सुसमाज की स्थापना में न्याय की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है । पवित्र कुरआन की शिक्षा है कि "अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके हक़दारों तक पहुंचा दिया करो । और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो, तो न्यायपूर्वक फ़ैसला करो । अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है" (4:58)। न्याय की परिभाषा में यह बात निहित है कि निकटता, मित्रता, शत्रुता, आस्था पक्षपात आदि का लिहाज़ किये बिना न्याय किया जाए । इस्लामी इतिहास में न्याय के इन और अन्य मूल्यों व अपेक्षाओं का सदैव लिहाज़ रखा गया यहां तक कि ऐसे फ़ैसले भी हुए जो शासक/प्रशासक के विरुद्ध थे । अगर न्याय को पक्षपातपूर्ण बना दिया जाए, तो वह न्याय नहीं रहता, अन्याय सदृश हो जाता है । जहां तक बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुक़दमे का संबंध है, तो 60 वर्ष तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी न्याय की मांगों व अपेक्षाओं का ख़याल नहीं रखा गया और आस्था/पक्षपात को प्राथमिकता देकर भारतीय न्यायपालिका का कलंकित इतिहास लिख दिया गया । इस फ़ैसले में भारतीय संविधान की अपेक्षाओं और क़ानून की भरपूर अनदेखी की गयी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर दिसम्बर 1961 में दाख़िल सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका 30 सितम्बर 2010 को रद्द कर दी और बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक़ को तीन भागों में विभक्त करने का फ़ैसला सुना दिया ।

यह उक्ति सर्वविदित है कि 'देर से किया गया न्याय, न्याय नहीं होता' । फिर न्याय अगर 'देर आयद, दुरुस्त आयद' न हो, तो न्याय की कल्पना भी शेष नहीं बचती । यह फ़ैसला देर से तो आया ही है, दुरुस्त भी नहीं है । अत: यह कहा जा सकता है कि जब क़ानून और साक्ष्य को आधार नहीं बनाना था तो यह फ़ैसला बहुत पहले कर देना चाहिए, 60 वर्ष लगाने की क्या आवश्यकता थी । पंचायतों की तर्ज़ पर मिल-जुलकर बांट लेने की ही जब बात थी, तो इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों अपनायी गयी ? मुक़दमे के लंबा खिंचने से वैसे भी न्याय प्रभावित हुआ और फ़ैसले ने रही-सही कसर पूरी कर दी । विकारों और ख़राबियों से परिपूर्ण फ़ैसले को क्या कोई 'न्यायिक निर्णय' आसानी से मान सकता है ? लेकिन हमारे यहां सब संभव है ! जी हां, यह एक हाईकोर्ट का निर्णय है । यह भी सच है कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय है, जिसके फ़ैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती, लेकिन व्यवस्थापिका चाहे तो अन्य कोई 'व्यवस्था' दे सकती है । अत: मुसलमानों ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फ़ैसला किया है, वह दूरदर्शितापूर्ण और न्याय की मांगों-अपेक्षाओं के ठीक अनुरूप है ।

बरसों और दशकों से आपसी सहमति के आधार पर इसके समाधान की बात भी की जाती है । राजनैतिक स्तर पर इसके ठोस प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका । अगर आपसी बातचीत से इसका हल निकल जाता तो हाईकोर्ट को फ़ैसला नहीं सुनाना पड़ता । ऐसा लगता है कि भड़काऊ नारों और वक्तव्यों से समुदायगत दूरियां बढ़ीं और आज भी यह कहा जा रहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी । यह भी कहा गया कि आस्था के मामले में कोर्ट फ़ैसला नहीं दे सकती । यह वक्तव्य भी बार-बार आया कि अदालत के फ़ैसले को नहीं माना जाएगा । इसके विपरीत मुसलमानों ने सदैव कहा कि न्यायपालिका का फ़ैसला वे मानेंगे । आज भी उनका स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फ़ैसला मान्य होगा । जब डराने-धमकाने और धौंस-धांधली पर एक पक्ष उतारू हो, तो मुसलमानों के एकतरफ़ा सहमति-प्रयास से कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । अत: संविधान और क़ानून के तहत जो भी क़दम हो सकते हैं, मुसलमानों को अपने सभी मामलों और समस्याओं के हल हेतु उठाना चाहिए । देश में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे, इसके लिए देश की सारी जनता को कोशिश करनी चाहिए । इसे एक-दूसरे पर नहीं टाला जा सकता । उचित चेतना और प्रयास के द्वारा समस्याओं का मिल-जुलकर समाधान करना चाहिए ।

بسم الله الرحمن الرحيم

''अल्लाह की
बन्दगी करो और उसके
साथ किसी को साझी न ठहराओ।
और अच्छा व्यवहार करो माता-पिता
के साथ, नातेदारों, अनाथों, मोहताजों,
नातेदार पड़ोसियों के साथ, और उन
पड़ोसियों के साथ जिनका संबंध न हो,
और पास के व्यक्ति के साथ,
और राह चलने वालों के साथ,
और उनके साथ जो तुम्हारे
अधिकार में हों ।''
(क़ुरआन, 4:36)

A WELL WISHER
MUMBAI

अयोध्या और आस्था

■ डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात

माननीय उच्च न्यायालय के अयोध्या-विवाद-विषयक फ़ैसले में कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिन पर विचार करना प्रासंगिक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी प्रतीत होता है । न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि मस्जिद क्योंकि उस विवादस्पद स्थान पर बनी जो हिन्दू मंदिर अथवा राम जन्मभूमि है, अत: बाबरी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत बनी थी ।

इस फ़ैसले से तो यही बात प्रकारान्तर से कही गयी प्रतीत होती है कि 1992 में उत्पातियों के हाथों बाबरी मस्जिद का गिरना कोई गंभीर बात नहीं थी, क्योंकि वह तो खड़ी ही इस्लाम के सिद्धांतों के विरोध में की गयी थी, जिस इमारत का वजूद इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत हो उसे गिराना एक तरह से इस्लाम की सेवा करना ही हुआ न !

परन्तु वास्तविकता यह है कि इस्लाम के अनुयायी, जो इस्लामी सिद्धांतों के हम से बेहतर ज्ञाता हैं, इस इमारत को वैसी नहीं मानते जैसी न्यायमूर्ति शर्मा ने माना है । इसीलिए तो वे इस (मस्जिद) के लिए व यहां पूर्ववत् नमाज़ पढ़ने के लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं ।

संभव है न्यायमूर्ति ज़्यादा जानते हों । अत: इस विषय में इस्लाम के विशेषज्ञ ही प्रामाणिक रोशनी डाल सकते हैं ।

परन्तु मैं जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, उसकी प्रेरणा भी एक तरह से मुझे न्यायमूर्ति शर्मा के वचनों से ही प्राप्त हुई है । वह बात यह है कि क्या रामलला का मंदिर या वहां स्थित रामलला की मूर्तियां हिन्दू धर्म के अनुसार तब तक पूजा करने के योग्य हैं जब तक उनकी प्राणप्रतिष्ठा नहीं होती ? 23 दिसम्बर 1949 को जब तड़के-तड़के चुपके से किसी ने मूर्तियां वहां रखीं, न तब प्राणप्रतिष्ठा हुई थी और न 1992 में हुई थी जब मस्जिद को गिराते वक़्त मूर्तियों को हटा कर कामचलाऊ मंदिर में दोबारा रखा गया था । किसी पक्ष ने किसी प्राण प्रतिष्ठा होने की बात नहीं की, कहीं कोई दस्तावेज़ ऐसा नहीं मिलता जिसमें कभी प्राणप्रतिष्ठा होने का कोई प्रमाण हो । 1949 में तो तात्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन मूर्तियों को वहां से हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी॰बी॰ पंत और ज़िला मजिस्ट्रेट नय्यर को कहा था । यह अलग बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और नय्यर आई॰सी॰एस॰ से त्याग पत्र देकर बाद में जनसंघ (जो अब 'भाजपा' है) का सांसद बन गये थे ।

हिन्दू धर्म ग्रंथों का कहना है कि मूर्ति में देवता के उपस्थित रहने के लिए, उसमें प्राण डालने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है । तिथितत्व, कालिकापुराण, निर्णयसिंधु आदि धर्मग्रंथों का कहना है :

प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत तस्य देवस्य वा हरे:,
प्राणप्रतिष्ठा कर्तव्या तस्यां देवत्वसिद्धये
अस्यै प्राणा: प्रतिष्ठन्तु,
अस्यै देवत्वमर्चायै

(निर्णयसिंधु, पृ॰ 254)

अर्थात जिस देवता या भगवान की मूर्ति हो उसकी प्राणप्रतिष्ठा करें । प्राणप्रतिष्ठा इसलिए की जाती है ताकि उस मूर्ति में संबद्ध देवता उपस्थित हो सके । प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों में कहा जाता है कि इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हों, इसमें देवता का निवास हो ताकि हम उसकी पूजा कर सकें ।

बिना प्राणप्रतिष्ठा के जो मूर्ति होती है, वह न केवल पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती, बल्कि वह हानि भी पहुंचाती है । नारदपुराण का कहना है कि जो मूर्ति बिना अर्थ के होती है, वह मूर्तिकार का विनाश करती है, जो मूर्ति बिना मंत्रों के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, पूजी जाती है वह पूजने वाले, पुजारी आदि का विनाश करती है और जो मूर्ति किसी लक्षण से हीन होती है वह मूर्ति बनाने व पूजने वाले की स्त्री (पत्नी) का विनाश करती है । अत: मूर्ति की यदि ठीक से प्रतिष्ठा न हो तो वह एक ऐसा शत्रु सिद्ध होती है, जिस

जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता :

हत्यर्थहीना कर्तारं मंत्रहीना तु ऋत्विजम्,
स्त्रियं लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुः ।

(देखें, निर्णयसिंधु, तृतीय परिच्छेद)

मूर्तियां 23 दिसम्बर को रखी गयी थीं, उन दिनों पौष का महीना होता है । कोई प्राणप्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति उक्त महीने में प्राणप्रतिष्ठा कभी नहीं करता, क्योंकि मार्गशीर्ष (अगहन) और पौष (पूस) के महीने इस काम के लिए निषिद्ध हैं । वैखानस स्मृति में कहा गया है कि इन दो महीनों को ब्रह्मा ने निन्दित घोषित किया हुआ है । अतः इनमें प्राणप्रतिष्ठा वर्जित है :

मार्गशीर्षादिमासौ द्वौ निन्दितौ ब्रह्मणा पुरा ।

(निर्णयसिन्धुः, मूर्तिप्रतिष्ठा प्रकरण)

इस तरह स्पष्ट है कि 23 दिसम्बर को न प्राणप्रतिष्ठा हुई और न हिन्दू धर्मग्रंथों के आलोक में वह संभव ही थी । अतः सब कुछ हिन्दू धर्मग्रंथों के एकदम विपरीत है ।

यह कहा गया है कि रामजन्मभूमि स्थान ही देवतुल्य है और यह हिन्दू क़ानून के तहत वैध है, परन्तु यहां दो बातें ध्यान देने के योग्य हैं । पहली यह कि यदि कोई मूर्ति या स्थान देवतुल्य या देव (डेअटी) है भी तो वह उसी हिन्दू क़ानून के अनुसार नाबालिग़ (माइनर) माना जाता है, जो न अपनी देखभाल आप कर सकता है और न अपने क़ानूनी अधिकार स्वयं प्राप्त कर सकता है । दूसरे, उस 'देवता' को किसी इन्सान की दरकार होती है । इसीलिए क़ानूनी लड़ाई रामलला के नाम पर दूसरे लड़ रहे हैं । ऐसा 'सचमुच' के देवता के मामले में नहीं, सिर्फ़ 'देवतुल्य' के मामले में संभव है, जो 'नाबालिग़' है ।

हिन्दू धर्म की दृष्टि से यहां जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उसकी घोर उपेक्षा की जा रही है–कुछ लोगों की तरफ़ से यदि अज्ञानतावश तो दूसरे कुछ लोगों की ओर से जान-बूझकर, सिर्फ़ क़ानूनी लड़ाई जीतने के स्वार्थवश ।

हिन्दू धर्मग्रंथ किसी प्राणप्रतिष्ठा वाले मंदिर या मूर्ति में भी देवत्व शाश्वत नहीं मानते, वे कुछ ऐसी परिस्थितियां साफ़-साफ़ शब्दों में बताते हैं, जब मंदिर या मूर्ति का देवत्व काफ़ूर हो जाता है और उसे पूजा के योग्य बनाने के लिए पुनः प्राणप्रतिष्ठा करनी पड़ती है :

चोरचांडलपतितश्वोदक्या स्पर्शने तथा,

हिन्दू धर्म की दृष्टि से यहां जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उसकी घोर उपेक्षा की जा रही है–कुछ लोगों की तरफ़ से यदि अज्ञानतावश तो दूसरे कुछ लोगों की ओर से जान-बूझकर, सिर्फ़ क़ानूनी लड़ाई जीतने के स्वार्थवश । हिन्दू धर्मग्रंथ किसी प्राणप्रतिष्ठा वाले मंदिर या मूर्ति में भी देवत्व शाश्वत नहीं मानते, वे कुछ ऐसी परिस्थितियां साफ़-साफ़ शब्दों में बताते हैं, जब मंदिर या मूर्ति का देवत्व काफ़ूर हो जाता है और उसे पूजा के योग्य बनाने के लिए पुनः प्राणप्रतिष्ठा करनी पड़ती है ।

शवाधुमहते चैव प्रतिष्ठां पुनराचरेत् ।

(सिद्धांतशेखरः)

अर्थात, चोर, चंडाल, पतित और मासिक धर्म वाली स्त्री का स्पर्श होने पर तथा मंदिर में किसी मनुष्य के मर जाने पर देवमूर्तियों की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए ।

वृद्धहारीत स्मृति का तो यहां तक कहना है कि यदि देवमंदिर के आंगन में भी कोई चंडाल, पतित आदि प्रविष्ट हो जाए तो उस मंदिर की शुद्धि करनी चाहिए :

प्रासाददेवहर्म्याणां चांडालपतितादिषु,
अन्तः प्रविष्टेषु तथा शुद्धिः स्यात् ।

(वृद्धहारीत् 1/408-09)

भृगुसंहिता का कहना है कि मंदिर की दीवार, ईंट, सीढ़ी आदि को छू देने से भी मंदिर और मूर्ति न पूजन के योग्य रहते हैं और न दर्शन के :

चांडालैरन्त्यजैश्चैव तथान्यप्रतिलोमजै:,
म्लेच्छैश्च नीचपतितैर्गुरुनिंदादिदूषितै:,
इत्येवमादिभि: स्पृष्टे देवागारे विशेषत:,
स्पृष्टे प्रवेशने बाधा पूजनेऽप्यथदर्शने ।

(भृगुसंहिता तथा धर्मप्रदीप, पृ॰ 141)

अर्थात, चांडाल, अंत्यज (=अदूत), प्रतिलोमज (ऊंची जाति की स्त्री में नीच जाति के पुरुष द्वारा उत्पादित संतान), म्लेच्छ (=विदेशी, ग़ैर-हिन्दू, गोमांस-भक्षक), नीच, पतित और गुरुनिंदक यदि देवमंदिर को छू दे तो न उस मंदिर का स्पर्श करे, न उसमें प्रवेश करे, न उसमें पूजन करे और न उसके दर्शन करे क्योंकि ये चारों क्रियाएं बाधित हो जाती हैं ।

ऐसे में क्या करे ? इसका उत्तर देते हुए हिन्दू धर्मग्रंथ कहते हैं कि उस मंदिर में या तो मूर्तियों का उद्धार करे या फिर नयी मूर्तियां लाए और उनकी फिर भी वैसे ही प्रतिष्ठा करे जैसे पहले की गयी थी तथा उन्हें पहले की तरह पुन: स्थापित करे । यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो (राष्ट्र, देश) और राजा दोनों का क्षय होगा :

प्रतिमानां यथायोगमुद्धारो वा नवीकृते,
कुर्यात्ततो यथापूर्वं निमित्ते वा नवीकृते,
प्रतिष्ठाप्य यथाशास्त्रं स्नापयेत्,
न चेद्राष्ट्रनृपदाय: ।

(श्रीपांचरात्र, पद्यतंत्र, चर्यापाद, अ॰ 18)

जिस इमारत को राम जन्मभूमि मंदिर कहा जाता था, वहां न तो प्राणप्रतिष्ठा हुई थी और न ही वह उन सबसे अछूती थी जिनके छू जाने पर विधिवत प्राणप्रतिष्ठा मंदिर भी हिन्दू सिद्धांत के अनुसार पूजा आदि के योग्य नहीं रहता ।

आज यद्यपि संविधान ने अस्पृश्यता समाप्त कर दी है तथापि यह कटुतथ्य है कि गत शताब्दी में रेलवे स्टेशनों आदि पर 'हिन्दुपानी' और 'मुसलमान पानी' के अलग-अलग घड़े सुशोभित रहते थे । हमारे घरों में मुसलमान द्वारा छुए बर्तन को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता था । यानी गत शताब्दियों में कुछ मामलों में मुसलमान भी हिन्दू अस्पृश्यों की कोटि में ही रहे हैं, विशेषत: मंदिर प्रवेश आदि के मामले में यदि ख़ुद मुसलमानों के प्रति हिन्दूधर्मीम स्पृश्यता-अस्पृश्यता के प्रश्न को पल भर के लिए यहां छोड़ भी दिया जाए तो भी मस्जिद में उनमें से अधिकतर तरह के लोग–विशेषत: इस्लाम को स्वीकार किये हुए विभिन्न निम्न जातीय (शूद्र एवं अछूत) हिन्दू–अवश्य गए होंगे जिनके प्रवेश में मंदिर/मूर्ति पूजा के अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में वैसी छूतछात न सैद्धांतिक रूप में है, न व्यावहारिक रूप में ।

'अग्निपुराण' के अनुसार तो वह मूर्ति भी देवत्व से हीन हो जाती है, जिसका बहुत देर से मान-सम्मान न हो रहा हो–

मानविवर्जिते...नो चक्रु: संनिधानं दिवौकस: ।

(अग्निपुराण तथा स्मृतितत्व, पृ॰ 572 और निर्णयसिन्धु, पुन:प्रतिष्ठा-प्रकरण)

यह सर्वविदित है कि 23 दिसम्बर 1949 के तड़के से फ़रवरी 11, 1986 तक के 37 वर्षों में उक्त मूर्तियों का पूजन-अर्चन कभी नहीं हुआ क्योंकि ताले 37 वर्ष बाद 1986 में तात्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासन में फ़ैज़ाबाद के ज़िला जज के आदेश के कारण ही खुले थे । इस 'मानविवर्जित' मंदिर व मूर्ति के शास्त्रीय तर्क से भी रामलला के स्थान की पूजनीयता अक्षुण्ण नहीं रहती, यदि मस्जिद का वजूद इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत था तो क्या मंदिर और मूर्तियों का देवत्व व पूज्यत्व हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुकूल घोषित किया जा सकता है ?

हम यहां इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि मूर्तिपूजा उचित है या अनुचित, क्योंकि प्रश्न यहां मूर्तिपूजा को सही मानने वाले हिन्दू धर्मशास्त्रों के अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए संबद्ध मंदिर व मूर्ति के पूजा की दृष्टि से वैध या अवैध होने का है । न्यायमूर्ति शर्मा मस्जिद के वजूद को इस्लामी सिद्धांतों के प्रतिकूल बताते हैं तो हिन्दू धर्मशास्त्रीय आदेश संबद्ध मंदिर व मूर्ति को अप्रामाणिक सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि न मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा हुई है, न पुन: प्रतिष्ठा हुई है, न अस्पृश्यों से उसकी सुरक्षा हुई है और न 37 वर्षों तक उसका मान-सम्मान हुआ है ।

प्रसिद्ध राम भक्त तुलसी ने 1631 विक्रमी संवत (=1574 ई॰) में अयोध्या में रामचरितमानस अर्थात अपनी रामायण की रचना शुरू की और 1633 वि॰संवत (=1576 ई॰) में उसकी समाप्ति की–दो वर्ष, सात महीने व 26 दिनों में ।

इसके विपरीत बाबर ने 1526 ई॰ में भारत पर हमला किया था और 26 दिसम्बर 1530 को उसकी मृत्यु हो गयी थी । तुलसीदास बाबर की मृत्यु के 44 वर्ष बाद अयोध्या में ढाई वर्षों से भी ज़्यादा समय रहते हुए अपना ग्रंथ रचते हैं, परन्तु उन्होंने कहीं भी किसी राम जन्मभूमि मंदिर का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही किसी राम जन्मभूमि मंदिर को मस्जिद में बलात् परिवर्तित करने का कोई ज़िक्र किया है । यदि ऐसा कुछ तुलसी के रामचरितमानस रचने के वक़्त तक हुआ होता तो वह अपने राम से इस बारे में सीधे या टेढ़े शिकायत अवश्य करते, इस विषय में अपना असंतोष अवश्य व्यक्त करते जैसा अन्य कई बातों के बारे में उन्होंने प्रकट किया है, विशेषत: कलिकाल वर्णन के प्रसंग में ।

इसके विपरीत वह अपनी एक दूसरी पुस्तक 'कवितावली' में यह अवश्य कहते हैं कि मैं मसीत (मस्जिद) में सोता हूं : मांगि कै खैबो, मसीत को सोइबो (कवितावली, (गीता प्रेस गोरखपुर), 106) अर्थात मैं मांग कर खाता हूं और मसीत (मस्जिद) में सोता हूं ।

तुलसीदास किसी मंदिर में क्यों नहीं सोते ? वह मसीत में ही क्यों सोते हैं ? क्या वह बाबरी मस्जिद ही थी जिसमें वे सोते हैं ? यदि यह मस्जिद तब राज जन्मभूमि मंदिर को गिराकर बनी होती तो क्या वह इस कटु तथ्य की ओर संकेत करने से गुरेज कर सकते थे ? वे मसीत की बात तो पूरी बेबाकी से करते हैं, परन्तु उन राम की किसी जन्मभूमि के किसी बाबर या किसी म्लेच्छ द्वारा धराशायी किये जाने का कहीं दबी ज़बान से भी संकेत नहीं करते जिनके वे परमभक्त थे । यदि वास्तव में बाबर या उसके किसी सरदार ने तुलसी के आराध्य श्रीराम की जन्मभूमि को मिट्टी में मिलाया होता और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया होता तो तुलसी जैसा फक्कड़ परमभक्त न उस तथ्य को छिपा सकता था, न उसकी उपेक्षा कर सकता था और न यही संभव है कि उन्हें यह सब याद न रहा हो, अत: निष्कर्ष यही निकलता प्रतीत होता है कि यह मसीत मूलत: मसीत ही थी और ऐसी उदारमना थी जिसमें तुलसी जैसे रामभक्त हिन्दू को भी रात को सोने से कोई नहीं रोकता था।

अदालत के फ़ैसले में मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे के स्थान को जो 'राम जन्मभूमि' कहा गया है, क्या वह वास्तव में हिन्दुओं के विश्वास के अनुरूप है या मात्र कुछ हिन्दू संगठनों के दावे के अनुरूप है–यह बात भी विचारणीय है, क्योंकि आज अयोध्या में अनेक मंदिर ऐसे हैं जो राम जन्मभूमि होने का दावा करते हैं और जो हिन्दू जब जिस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उनके लिए तब वही (मंदिर) राम जन्मभूमि होता है । तुलसीदास के ज़माने में भी ऐसे अनेक मंदिर विद्यमान रहे होंगे, अत: वे न तो किसी एक स्थान को ही जन्मभूमि कह सकते थे और न उनमें से किसी या किन्हीं स्थान/स्थानों को राम जन्मभूमि कहना ग़लत प्रमाणित कर सकते थे । स्पष्ट है विभिन्न मंदिर हिन्दुओं के विभिन्न समूहों के लिए राम जन्मभूमि रहे हैं । यही वास्तविक हिन्दू आस्था है, जो संकल्प-विशेष के प्रति तो प्रतिबद्ध रही है, परन्तु स्थान-विशेष के प्रति जिसमें दुराग्रह का सदा अभाव रहा है । उसके लिए राम हैं और उनका जन्म अयोध्या में हुआ है, यही सर्वोपरि बात है, न कि कोई कथित स्थान विशेष उनका जन्म स्थल है । अयोध्या में अनेक राम जन्मभूमि मंदिर इसी तथ्य को रेखांकित करते हैं । श्रद्धालु के लिए हर राम जन्मभूमि-मंदिर पूज्य है, वह यह नहीं कहता कि राम एक जगह जन्मे या दस स्थानों पर, क्योंकि हिन्दू आस्था यही कहती है कि वह कहीं भी जन्मे हो सकते हैं, क्योंकि वह अयोध्या में ही कहीं जन्मे हैं । यह है हिन्दू आस्था ।

हां, यदि उस युग में हिन्दू यह भी मानते होते कि राम जन्मभूमि मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे हैं तो इसका उल्लेख तुलसी अवश्य करते, क्योंकि तब तो यह वैसे भी एक असामान्य बात होती कि एक हिन्दू धर्म स्थान पर मुस्लिम धर्म स्थान बना दिया गया है । परन्तु वह ऐसा कहीं नहीं करते । इसका यदि कोई अर्थ है तो केवल यही है कि उस युग में मस्जिद के गुंबद के नीचे जन्मभूमि कोई नहीं मानता था । जैसे आज अयोध्या में अनेक मंदिर राम जन्मभूमि होने का दावा करते हैं, तब भी ऐसा ही होता होगा । ऐसे में किसी हिन्दू को मस्जिद के नीचे के स्थान के बारे में दावा करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो सकता था ।

मंदिर-मस्जिद विवाद को हल करने की दिशा में हिन्दू धर्म ग्रंथों के पूर्वोक्त आदेशों के साथ-साथ तुलसीदास भी एक महत्वपूर्ण कारक (फैक्टर) सिद्ध हो सकते हैं । इन सब पर खुले दिमाग़ से अवश्य विचार किया जाना चाहिए ।

बाबरी मस्जिद को पहले जैसे रूप में वापस किया जाए : जमाअत

यह जनसभा बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के फ़ैसले को दुखद ठहराता है । अदालत ने देश के क़ानून और ठोस सच्चाइयों को अनदेखा करके (आस्था) को फ़ैसले का आधार बनाया है । यह कृत तार्किकता और क़ानून के शासन की सभी रिवायतों के विपरीत है । यह जनसभा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फ़ैसले का समर्थन करता है, जो मुसलमानों का प्रतिनिधि है, कि हाईकोर्ट के फ़ैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जाए ।

जहां तक मूल मुद्दे का संबंध है, यह जनसभा उस शरई मोक़िफ़ को दोहराता है, जिस पर उम्मत सहमत है । मस्जिद ख़ुदा का घर है और अल्लाह की सम्पत्ति है । इसे बेचा नहीं जा सकता और न उपहार स्वरूप दिया जा सकता है । किसी भी स्थिति में मस्जिद का सौदा नहीं किया जा सकता और न सरकार मस्जिद की जगह का अधिग्रहण कर सकती है ।

अकाट्य ऐतिहासिक साक्ष्य है कि बाबरी मस्जिद किसी ज़मीन को नाजायज़ तौर पर हथियाकर नहीं बनायी गयी है और न किसी मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है । सत्य और न्याय की मांग है कि बाबरी मस्जिद को उसी रूप में मुसलमानों को वापस किया जाए, जिसमें वह 22 सितम्बर 1949 से पहले मौजूद थी ।

फ़ैसले पर इत्मीनान नहीं : अमीरे जमाअत



जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के बारे में इलाहाबाद होईकोर्ट के फ़ैसले पर हमें इत्मीनान नहीं है । यह हमारी आशा के विपरीत है । अतः हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे । मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए । लोकतंत्र में इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । मोहतरम मौलाना ने 'कान्ति' को बताया कि मुसलमान यह समझते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनायी गयी । अगर यह बात साबित हो जाए तो मुसलमान अपने दावे से हट जाएंगे ।

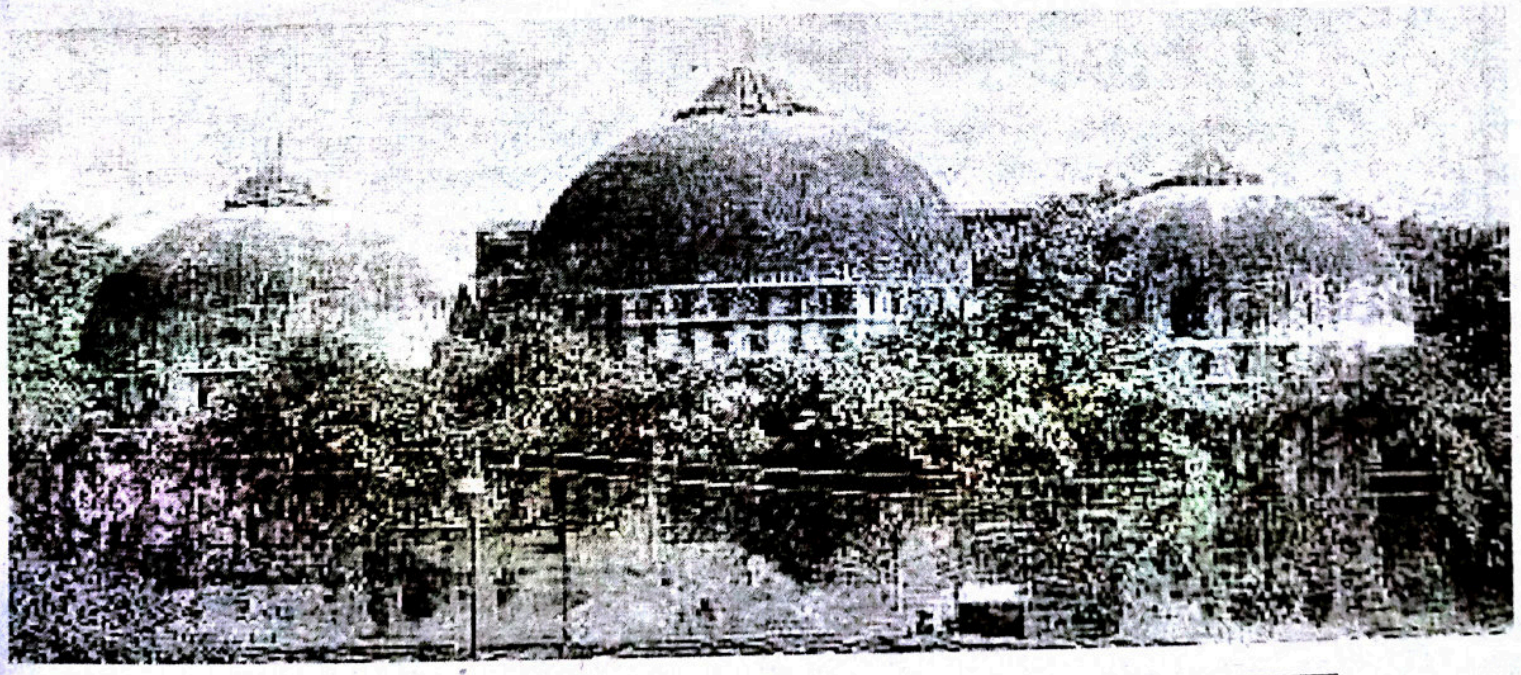

INFORMATION BROCHURE



- Almanar Social Service a registered society. Bridging the gap between giving and receiving ends.

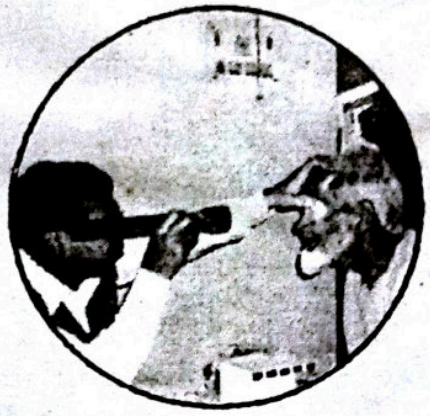

- Working in the field of education, health and employment generation.
- A unique charitable institution in Jharkhand.

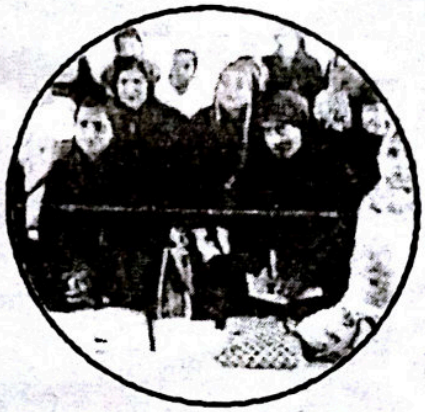

- Projects in progress : Model primary school, Health

المنار سوشل سروس

Almanar Social Service

(An NGO registered societies Act XXI of 1860

President
Abul Arif
(M.Sc.)

Office : Jharna Road, Near Eidgaah Azadnagar, Jamshedpur-832110
Tel. : +91-657-6542806, +91-9279149654

Secretary
Haider Imam
(B.com. PG Dip)

Our Bank A/c No. 29601010007675
CANARA BANK
Kabir Memorial School, Zakir Nagar, Mango, Jamshedpur (Jharkhand)

आदरणीय न्यायाधीशों में सहमति-असहमति के बिन्दु

● संकलित

अयोध्या मसले पर तीन सदस्यीय खंडपीठ ने फ़ैसले में विवादित ज़मीन को तीन भागों में बांटने का आदेश देते हुए कहा कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था । इसके अलावा सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका ख़ारिज करते हुए ज़मीन को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और वक़्फ़ बोर्ड के बीच बांटने को कहा ।



पीठ के अन्य दो न्यायाधीशों का मानना है कि मस्जिद निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को ढहाया गया था । जबकि एक न्यायाधीश ने कहा कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए किसी हिंदू मंदिर को नहीं ढहाया गया । हालांकि तीनों जजों ने स्वीकार किया कि विवादित स्थल पर राम का जन्म हुआ था और इसे राम जन्मभूमि के तौर पर पहचाना जाए । अंततः दो न्यायाधीशों का मंतव्य मिलने पर वक़्फ़ बोर्ड का दावा 2-1 के ख़ारिज कर दिया गया।

अयोध्या राम का जन्म स्थान है : न्यायाधीश शर्मा

अयोध्या विवाद पर फ़ैसला सुनाने वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय लखनऊ पीठ के एक न्यायाधीश डी.वी. शर्मा ने अपने आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए०एस०आई०) के निष्कर्षों को आधार बनाया है । उन्होंने कहा है कि विवादित स्थल रामचन्द्र जी का जन्म स्थान है । न्यायाधीश शर्मा ने कहा है कि मुक़दमे से जुड़ी संपत्ति भगवान राम का जन्म स्थान है और उस स्थल पर हिंदुओं को पूजा का हक़ है । ज्ञात हो कि ए०एस०आई० ने अदालत के समक्ष एक बयान में कहा था कि ढांचा हिंदुओं का धार्मिक ढांचा था ।

मस्जिद के लिए कोई मंदिर नहीं गिराया गया था : न्यायाधीश ख़ान

अयोध्या विवाद पर फ़ैसला देने वाले तीन सदस्यीय लखनऊ पीठ के एक सदस्य, न्यायाधीश एस०यू० ख़ान ने अपने आदेश में कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए किसी मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि मंदिर के मलबे पर मस्जिद बनायी गयी थी । यह मलबा मस्जिद-निर्माण के समय से बहुत पहले का था । इसे बाबर के आदेश पर निर्मित किया गया ।

न्यायाधीश ख़ान ने अपने आदेश में लिखा है कि एक लंबे समय तक मस्जिद निर्माण तक हिंदू यह मानते रहे कि विवादित स्थल के विशाल क्षेत्र में किसी जगह रामलला का जन्म स्थान था । लेकिन यह मान्यता विस्तृत क्षेत्र के अंदर किसी ख़ास छोटे क्षेत्र से संबंधित नहीं थी, ख़ासतौर से विवादित परिसर में । यह बहुत ही अनोखी और बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति है कि चारदीवारी और मस्जिद परिसर के अंदर, हिंदू धर्म स्थल थे, जहां पर मुसलमानों के नमाज़ के साथ ही पूजा भी की जाती रही है । बाबरी मस्जिद के केन्द्रीय गुंबद के नीचे 23 दिसम्बर 1949 के भोर-काल में पहली बार मूर्ति रखी गयी ।

बाबर के शासनकाल में मस्जिद बनने का सबूत नहीं : न्यायाधीश अग्रवाल

अयोध्या मामले में फ़ैसला सुनाने वाली लखनऊ पीठ के तीन न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने अपने आदेश में लिखा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विवादित स्थल पर मस्जिद मुग़ल सम्राट बाबर के शासनकाल में निर्मित किया गया था ।

न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा कि विवादित ढांचा मुसलमानों द्वारा हमेशा मस्जिद के रूप में माना गया । लेकिन यह साबित नहीं होता कि इसका निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ था । हिंदू मान्यता और आस्था के अनुसार विवादित ढांचे के मध्य गुंबद का क्षेत्र भगवान राम का जन्म स्थान है । यह घोषित किया जाता है कि तीनों गुंबद में से संबंधित है और बचाव पक्ष द्वारा उसमें किसी तरह की बाधा या हस्तक्षेप नहीं उत्पन्न किया जाएगा ।

न्यायाधीश अग्रवाल के फ़ैसले की कुछ प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :

● आंतरिक प्रकोष्ठ के अंदर का क्षेत्र दोनों समुदायों, यानी हिंदू (अभियोगी, सूट-5) मुस्लिम से संबंधित है, क्योंकि दशकों से इस परिसर का इस्तेमाल दोनों समुदायों द्वारा किया जा रहा था ।

● विवादित ढांचे को मुसलमानों द्वारा हमेशा मस्जिद के रूप में माना गया और उसी के अनुरूप वहां नमाज़ अदा की गयी । लेकिन यह साबित नहीं होता कि यह मस्जिद बाबर के शासनकाल में 1528 में निर्मित की गयी थी ।

● किसी अन्य सबूत के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि यह विवादित ढांचा कब बना था और किसने बनवाया था । लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका निर्माण मिशनरी जोसेफ टीफेंथलर के अवध इलाक़े में 1766-71 के बीच हुए दौरे के पूर्व हुआ था ।

● विवादित ढांचे का निर्माण किसी ग़ैर-इस्लामिक ढांचे–एक हिंदू मंदिर को गिराने के बाद हुआ था ।

● विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे मूर्तियों को 22-23 दिसंबर, 1949 की रात रखा गया था ।

● बाहरी अहाते में राम चबूतरा, सीता रसोई एवं भंडार के तहत आने वाला क्षेत्र निर्मोही अखाड़े के नाम घोषित किया जाता है ।

● बाहरी परिसर के अंदर का खुला क्षेत्र निर्मोही अखाड़ा और अभियोगी (सूट-5) के बीच बांटा जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का इस्तेमाल आमतौर पर हिंदुओं द्वारा पूजा के लिए किया जाता रहा है ।

● अयोध्या अधिनियम-1993 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत भूमि संबंधित पक्षों को इस तरीक़े से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सभी तीनों पक्ष उस क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकें ।

सहमति

पहला सवाल–क्या यहां मस्जिद थी ?

जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान ने कहा–हां ।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने भी कहा–हां, मुसलमानों ने हमेशा इसे मस्जिद माना है ।

जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने कहा–नहीं, क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा के ख़िलाफ़ बनायी गयी थी ।

फिर भी बहुमत से फ़ैसला रहा-हां ।

दूसरा सवाल–क्या विवादित भूमि राम की जन्मभूमि है?

जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान ने कहा–मस्जिद बनने के बाद हिन्दुओं ने इसे राम जन्मभूमि माना ।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने भी कहा–हां, हिन्दुओं की यही मान्यता है ।

जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने भी कहा–हां ।

यानी सबकी राय–हां ।

अगला सवाल–क्या मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को गिराया गया था ?

जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान ने कहा–नहीं यह एक उजाड़ मंदिर के खंडहर पर बनाया गया था ।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल बोले–हां एक ग़ैर-इस्लामी ढांचे यानी हिन्दू मंदिर को गिराया गया था ।

जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया यानी (ए॰एस॰आई॰) ने साबित किया है कि एक बड़ा हिन्दू धार्मिक ढांचा गिराया गया था ।

बहुमत–हां ।

एक और सवाल–क्या मूर्तियां 22-23 दिसंबर, 1949 की रात रखीं गई थीं ।

जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान–हां ।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल–हां ।

जस्टिस डी॰वी॰ शर्मा–हां ।

बहुमत–हां ।

सवाल यह भी था कि क्या ये जगह हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों से जुड़ी है ।

जस्टिस एस०यू० ख़ान ने कहा–हां ।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल भी बोले–हां ।

जस्टिस डी०वी० शर्मा ने कहा–नहीं, सिर्फ़ हिन्दुओं से ।

बहुमत–हां ।

एक और अहम सवाल–क्या राम की मूर्ति मुख्य गुंबद के नीचे रहनी चाहिए ?

जस्टिस एस०यू० ख़ान–हां ।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल–हां

जस्टिस शर्मा–हां ।

बहुमत–हां ।

सवाल यह भी था कि ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा ?

जस्टिस एस०यू० ख़ान ने कहा कि तीनों को एक तिहाई हिस्सा मिले । मुख्य गुंबद हिन्दुओं को, सीता की रसोई और राम का चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को । सुधीर अग्रवाल ने कहा तीनों को एक-तिहाई हिस्सा मिले । मुख्य गुंबद हिन्दुओं को, सीता की रसोई और राम का चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को । जस्टिस डी०वी० शर्मा ने कहा मंदिर के निर्माण में मुसलमान हस्तक्षेप न करें । बहुमत–तीनों को एक-तिहाई हिस्सा मिले । मुख्य गुंबद हिन्दुओं को, सीता की रसोई और राम का चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को ।

1. क्या विवादित ढांचा मस्जिद थी ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का फ़ैसला–हां, वादी का यह कहना सही है ।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का फ़ैसला–प्रतिवादी (गोपाल सिंह विशारद) के हक़ में और वादी (सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड) के ख़िलाफ़ फ़ैसला ।

–जस्टिस एस०यू० ख़ान का फ़ैसला–हां ।

2. क्या यह मस्जिद है तो इसे बाबर ने बनवाया या मीर बाक़ी ने ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–वादी यह साबित करने में नाकामयाब रहे कि विवादित ढांचा बाबर या मीर बाक़ी ने बनवाया ।

–जस्टिस शर्मा का जवाब–इसे बाबर ने बनाया था ।

–जस्टिस एस०यू० ख़ान का जवाब–यह तय नहीं है कि मस्जिद किसने बनवायी ।

3. क्या ढांचा किसी हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया गया ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–हां ।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–इस ढांचे को एक पुराने ढांचे को ढहाने के बाद बनाया गया ।

–जस्टिस एस०यू० ख़ान का जवाब–मस्जिद बनाने के लिए कोई हिंदू मंदिर नहीं ढहाया गया । उस स्थल पर काफ़ी पहले से मंदिर के अवशेष पड़े थे । उनका इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ ।

4. क्या बाबरी ढांचा में मुस्लिम आदिकाल से इबादत करते आए हैं ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–संबंधित इमारत मुस्लिम समुदाय द्वारा ख़ासतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती थी । 1856-57 के बाद बाहरी परिसर ख़ासतौर पर हिंदू इस्तेमाल करते रहे हैं और भीतर के परिसर में दोनों समुदायों के लोग इबादत के लिए जाते रहे हैं ।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–वादी के ख़िलाफ़ फ़ैसला ।

–जस्टिस एस०यू० ख़ान का जवाब–बाबरी मस्जिद में निर्माण-काल से ही नमाज़ पढ़ी जाती थी ।

5. क्या 1949 तक विवादित ज़मीन पर मुसलमानों का अधिकार था ? और क्या उनसे क़ब्ज़ा ले लिया गया ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–यह मुद्दा वादी यानी सेंट्रल सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के ख़िलाफ़ जाता है ।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–वादी यानी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के ख़िलाफ़ फ़ैसला ।

–जस्टिस एस०यू० ख़ान का जवाब–.....

6. क्या मुक़दमा समय रहते दायर किया गया ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–नहीं, मुक़दमा क़ानूनी समय सीमा के बाद दायर किया गया ।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–इस मुद्दे पर भी वादी के ख़िलाफ़ फ़ैसला ।

–जस्टिस एस०यू० ख़ान का जवाब–.....

7. क्या हिंदुओं ने विवादित स्थल पर पूजा का अधिकार लंबे समय तक वहां पूजा-अर्चना करके हासिल किया है ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–कम से कम 1856-57 से यानी विभाजन करने वाली दीवार बनने के

बाद से बाहरी परिसर मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था या उनके क़ब्ज़े में नहीं था। लेकिन भीतरी परिसर दोनों समुदाय इस्तेमाल करते रहे हैं।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–वादी के ख़िलाफ़ फ़ैसला।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–.....

8. क्या यह भूमि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–हिंदुओं की आस्था के अनुसार ढांचे के तीन गुंबदों में से बीच वाले गुंबद के नीचे का क्षेत्र श्रीराम का जन्म स्थान है।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–विवादित जगह भगवान राम की जन्मभूमि ही है।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–इस स्थल की मान्यता राम जन्मभूमि की है। लेकिन यह तय नहीं है कि ठीक किस स्थान को जन्मभूमि माना जाता है।

9. क्या 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को ढांचे के भीतर मूर्तियां रख दी गयी या ये वहां पहले से मौजूद थीं ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–मूर्तियां वहां 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को रख दी गयी थी। इसके पहले यही मूर्तियां बाहरी परिसर में मौजूद थीं। इसलिए 16 जनवरी 1950 को जब मुक़दमा नंबर 1 दायर किया गया तो उल्लिखित मूर्तियां भीतरी परिसर में केंद्रीय गुंबद के नीचे मौजूद थीं। यानी मुक़दमा दायर करने के पहले।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–हां मूर्तियों को 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात वहां रखा गया।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–हां, भोर-काल में मूर्तियां रखी गयीं।

10. क्या हिंदुओं को 'चरण', 'सीता रसोई' और अन्यू मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार था ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–हां।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–यह साबित हुआ कि हिन्दुओं को यह हक़ था।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–हां।

11. क्या राम जन्मभूमि पर हिंदू आदिकाल से पूजा-अर्चना करते रहे हैं और तीर्थयात्रा के लिए वहां आते रहे हैं ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–.....

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–इसका फ़ैसला भी प्रतिवादी (गोपाल सिंह विशारद) के हक़ में गया।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–हां।

12. क्या हिंदुओं को जानकारी रहते हुए 1528 से मुसलमानों का विवादित भूमि पर क़ब्ज़ा रहा है ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–इसका जवाब नकारात्मक है।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–वादी के ख़िलाफ़ फ़ैसला।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–हां।

13. क्या बाबरी मस्जिद बनने के बाद भगवान श्रीराम और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां वहां थी और श्रद्धालु उनकी पूजा करते थे ?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–इसका जवाब इस हद तक सकारात्मक है कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि समझे जाने वाले परिसर पर हिंदू श्रद्धालु आते रहे थे।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–वादी के ख़िलाफ़ फ़ैसला।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–नहीं।

14. क्या ढांचे के चारों ओर हिंदुओं के पूजा स्थल थे?

–जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जवाब–ढांचे तक हिंदुओं के पूजा स्थल से गुज़रकर ही पहुंचा जा सकता था। हालांकि इस तथ्य से कोई नतीजा नहीं निकलता।

–जस्टिस धर्मवीर शर्मा का जवाब–विवादित ढांचे को एक पुराने ढांचे को ढहाने के बाद बनाया गया। ए॰एस॰आई॰ के मुताबिक़ यह एक बड़ा हिंदू धार्मिक ढांचा था। विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध बनाया गया।

–जस्टिस एस॰यू॰ ख़ान का जवाब–हां।

कांग्रेस ज़िम्मेदार : बुख़ारी

ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुख़ारी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के लिए कांग्रेस पूरी तरह ज़िम्मेदार है और देश के मुस्लिम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इमाम बुख़ारी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक के बाद खुला आरोप लगाया कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही मुस्लिमों की भावनाओं से खेलती रही है और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद उसी की देन है। 1949 में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो मस्जिद में मूर्तियां रखी गयी। राजीव गांधी के कार्यकाल में ताला खोला गया।

अयोध्या फ़ैसला : गुनाह करो, इनाम पाओ

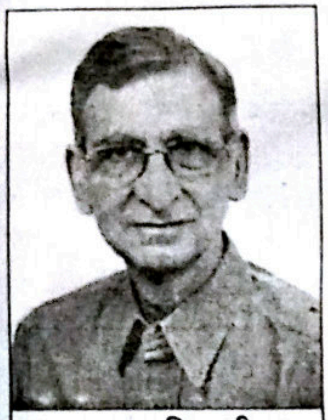

राम पुनियानी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की तीन जजों की पीठ ने अयोध्या मामले में 30 सितम्बर 2010 को फ़ैसला सुनाया। आशंकाओं के विपरीत उस दिन और उसके बाद देश में कहीं हिंसा नहीं हुई। इसका श्रेय आमजनों की परिपक्व सोच को जाता है।

जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह तीनों पक्षकारों-रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के बीच संतुलन क़ायम करने की क़वायद के सिवाय कुछ नहीं है। विवादित भूमि को तीन भागों में बांट दिया गया है और तीनों पक्षकारों को बराबर-बराबर ज़मीन दे दी गयी है। अदालत ने यह भी कहा है कि चूंकि हिन्दुओं की आस्था के अनुसार बाबरी मस्जिद के बीच के गुंबद के ठीक नीचे राम का जन्म स्थल है इसलिए वह हिस्सा हिन्दुओं को दिया जाना चाहिए। फ़ैसले से उत्साहित आर॰एस॰एस॰ प्रमुख ने घोषणा की है कि अब विवादित भूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ़ हो गया है और इस ''राष्ट्रीय कार्य'' में सभी पक्षों को अपना सहयोग देना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय राष्ट्र, केवल हिन्दुओं का नहीं है। साथ ही, सभी हिन्दू इस बात में विश्वास नहीं करते कि विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है और न ही सभी हिन्दू वहां राम मंदिर बना देखना चाहते हैं। अधिकांश हिन्दू राम जन्मभूमि मुद्दे से दूर रहे हैं और उन्हें अत्यंत क्षोभ है कि आम हिन्दुओं की राम में आस्था का दुरुपयोग, भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए किया गया।

इस मामले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक है। श्री यादव का कहना है कि मुसलमान ठगे से महसूस कर रहे हैं। पहले उनकी मस्जिद में रात के अंधेरे में कुछ शरारती तत्व ज़बरदस्ती घुस कर रामलला की मूर्तियां स्थापित कर देते हैं। फिर एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत संघ परिवार उस मस्जिद को ही ज़मींदोज़ कर देता है। और अब न्यायालय ने संघ के इस दावे पर अपनी मुहर लगा दी है कि राम उसी स्थान पर जन्मे थे। ऐसा लगता है कि इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन में रत अध्येता अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। उनके ज्ञान की किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतिहास और पुरातत्व विज्ञान चाहे कुछ भी कहता रहे, कोई भी राजनैतिक शक्ति, किसी भी आधारहीन तथ्य को आस्था का जामा पहना देगी और फिर उस आस्था के अनुरूप ग़ैर-क़ानूनी कार्य करेगी और अंततः अदालत उसके आपराधिक कृत्यों को इस आधार पर सही ठहरा देगी कि वे समाज के एक हिस्से की आस्था पर आधारित हैं! इस देश के जो नागरिक हमारे स्वाधीनता संग्राम और भारतीय संविधान के मूल्यों में आस्था रखते हैं उनके लिए यह अकल्पनीय है कि कोई अदालत इस तरह का निर्णय दे सकती है।

संघ परिवार ने सन 1980 के दशक में राम मंदिर आन्दोलन का पल्ला थामा। उसने अत्यंत योजनाबद्ध तरीक़े से हिन्दुओं के एक तबक़े को यह विश्वास दिला दिया कि रामलला ठीक उसी स्थल पर पैदा हुए थे जहां बाबरी

मस्जिद स्थित थी । दिलचस्प बात यह है कि चन्द सदियों पहले तक राम, हिन्दुओं के प्रमुख देवता नहीं थे । वे मध्यकाल में प्रमुख हिन्दू देवता बने, विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम की कहानी को सामान्य जनों की भाषा अवधी में प्रस्तुत करने के बाद । तब तक वाल्मीकि की संस्कृत रामायण प्रचलन में थी और चूंकि संस्कृत अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, इसलिए राम के पूजकों की संख्या अत्यंत सीमित थी । ब्राह्मण तुलसीदास से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की देव भाषा संस्कृत की जगह जन भाषा अवधी में रामकथा लिखी । जिस समय विवादित भूमि पर स्थित कथित राम मंदिर को तोड़ा गया था, उस समय तुलसीदास की आयु लगभग 30 वर्ष रही होगी । क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि तुलसी जैसे अनन्य रामभक्त ने अपने लेखन में कहीं इस बात की चर्चा नहीं की है कि उनके आराध्य के जन्म स्थल पर बने मंदिर को एक आततायी बादशाह ने गिरा दिया है ।

यह साफ़ है कि कई मौक़ों पर शासक युद्ध में पराजित राजा को अपमानित करने के लिए उसके राज्य में स्थित पवित्र धर्म स्थलों को नष्ट करते थे, परन्तु इसके पीछे केवल राजनीति होती थी धर्म नहीं । अंग्रेज़ों ने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत इतिहास की इन घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत किया कि मुस्लिम शासकों ने हिन्दू धर्म का अपमान करने के लिए हिन्दू मंदिर ध्वस्त किये । साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से लिखे हुए इसी इतिहास ने दोनों समुदायों को एक-दूसरे का शत्रु बना दिया और यही शत्रुता आगे जाकर साम्प्रदायिक हिंसा का कारण बनी । बाबरी मस्जिद एक संरक्षित स्मारक थी, जिसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की थी । भारत सरकार न तो 1949 में वहां ग़ैरक़ानूनी ढंग से स्थापित रामलला की मूर्तियों को हटवा सकी और न ही 1992 में मस्जिद पर संघ परिवार के हमले को रोक सकी । भारत सरकार की ये दो बड़ी असफलताएं थीं । अयोध्या मामले में हालिया निर्णय से आर०एस०एस० के देश को साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा । इस निर्णय ने रामलला की मूर्तियों की स्थापना को वैधता प्रदान की है और बाबरी मस्जिद को ढहाये जाने के अपराध को नज़रअंदाज़ किया है । संघ परिवार को अपने गुनाहों का शानदार इनाम मिला है ।

अब आर०एस०एस० और उसके बाल-बच्चे यह कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने हिस्से की ज़मीन हिन्दुओं को सौंप देनी चाहिए ताकि भव्य मंदिर बनाकर "राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं" की पूर्ति की जा सके । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय राष्ट्र, केवल हिन्दुओं का नहीं है । साथ ही, सभी हिन्दू इस बात में विश्वास नहीं करते कि विवादित स्थल राम की जन्मभूमि है और न ही सभी हिन्दू वहां राम मंदिर बना देखना चाहते हैं । अधिकांश हिन्दू राम जन्मभूमि मुद्दे से दूर रहे हैं और उन्हें अत्यंत क्षोभ है कि आम हिन्दुओं की राम में आस्था का दुरुपयोग, भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए किया गया । जब से राम मंदिर चुनावी मुद्दा बना, हिन्दुओं की बहुसंख्या ने कभी राम मंदिर के एजेंडे को समर्थन नहीं किया । हिन्दुओं का एक तबक़ा अवश्य राम मंदिर का समर्थक है परंतु विभिन्न चुनावों के परिणामों से साफ़ है कि बहुसंख्यक हिन्दू, राम मंदिर के एजेंडे के साथ नहीं हैं । हाल में किये गये कुछ सर्वेक्षणों से यह सामने आया है कि हिन्दुओं के एक बहुत छोटे हिस्से के लिए राम मंदिर एक मुद्दा है । युवा पीढ़ी को राम मंदिर से कोई लेना-देना नहीं है—विशेषकर ऐसे राम मंदिर से जिसे देश पर दो अपराधों के ज़रिये थोपा जा रहा हो ।

साम्प्रदायिकता हमारे देश की सामूहिक सोच में इतनी मज़बूत जड़ें जमा चुकी है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है । हिन्दू राष्ट्र के पैरोकार, हिन्दुत्व की राजनीति के झंडाबरदार मुसलमानों को कभी शांति और गरिमा से नहीं रहने देंगे । संघ परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राम मंदिर, राम सेतु, गो-हत्या आदि जैसे काल्पनिक मुद्दे अधिक ।

कांग्रेस इस मुद्दे को मिल-बैठकर सुलझाने की बात कर रही है । संवाद के ज़रिये इस मुद्दे का क्या हल निकाला जा सकता है ? पहली बात तो यह है कि कोई भी हल न्यायपूर्ण होना चाहिए और उसमें सभी संबंधित पक्षकारों के अधिकारों

को मान्यता मिलनी चाहिए । कोई भी समझौता केवल लेनदेन के आधार पर हो सकता है । क्या जो लोग मुस्लिम समुदाय से सहयोग और समझौता करने के लिए कह रहे हैं, वे यह वादा कर सकते हैं कि उसके बाद देश में मुसलमानों को सुरक्षा और समानता मिलेगी ? मुस्लिम समुदाय सामाजिक-आर्थिक मानकों पर पिछड़ता जा रहा है । क्या सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्टें बिना किसी देरी के लागू की जाएंगी ? क्या आर०एस०एस० राम मंदिर के बदले ये सब देने को तैयार हैं ? क्या इसके बाद भारत में मुसलमान महफ़ूज़ रहेंगे ? मुसलमान भारत की आबादी का केवल 13.4 प्रतिशत हैं परंतु दंगों में मारे जाने वालों में से 80 प्रतिशत मुसलमान होते हैं । क्या मुसलमानों के सहयोग से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद आर०एस०एस० अपने शिशु मंदिरों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ घृणा फैलाने वाली पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाना बंद कर देगा ?

इस तरह के समझौते में कोई समस्या नहीं है । बल्कि यह बहुत अच्छा होगा अगर अयोध्या में राम मंदिर के बदले ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को देश में समानता का दर्जा मिल जाए, अगर उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा आधारहीन दुष्प्रचार बंद कर दिया जाए और अगर सरकार, मनमोहन सिंह के इस वादे पर अमल करने को तैयार हो जाए कि देश के संसाधनों पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पहला हक़ है । क्या राम मंदिर बनाने में सहयोग के बदले साम्प्रदायिक दंगों के दोषियों को सज़ा मिलना सुनिश्चित किंया जाएगा ? दिल्ली के सिख विरोधी दंगों और मुम्बई व गुजरात की मुस्लिम विरोधी हिंसा के लिए दोषी व्यक्ति आज भी छाती फुलाए घूम रहे हैं । क्या उनको कुकर्मों की सज़ा दिलवाना, उस ''बातचीत'' से निकाले जाने वाले हल का भाग होगा ? क्या मुसलमानों से त्याग की अपेक्षा करने के पहले भारतीय राज्य उन्हें यह गारंटी नहीं देना चाहेगा कि देश में क़ानून का राज रहेगा और उन्हें पूरी सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेगा ?

यह साफ़ है कि राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल भारतीय संविधान की आत्मा को आहत करने और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को ख़त्म करने के लिए किया जाता रहा है । अल्पसंख्यकों से त्याग करने की अपील तो हम सब कर सकते हैं, परन्तु हम सभी को यह मालूम है कि उन्हें इस त्याग के बदले कुछ नहीं मिलेगा । साम्प्रदायिकता हमारे देश की सामूहिक सोच में इतनी मज़बूत जड़ें जमा चुकी है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है । हिन्दू राष्ट्र के पैरोकार, हिन्दुत्व की राजनीति के झंडाबरदार मुसलमानों को कभी शांति और गरिमा से नहीं रहने देंगे । संघ परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राम मंदिर, राम सेतु, गो-हत्या आदि जैसे काल्पनिक मुद्दे अधिक । यह सचमुच अत्यंत दुखद है कि समाज और राजनीति का इस हद तक साम्प्रदायिकीकरण हो चुका है कि एक राजनैतिक धारा विशेष द्वारा प्रायोजित ''आस्था'', न्यायिक निर्णयों का आधार बन रही है । यह भारत के लिए एक बहुत बुरा दिन है । हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी और वे सब जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, संकीर्ण पहचान की राजनीति से दूरी बनाएंगे उस राजनीति से जो धार्मिक आस्था को सत्ता तक पहुंचने का शार्टकट बनाना चाहती है । हमें उम्मीद है कि हम ऐसे समाज को बनाने में सफल होंगे जहां सबको न्याय मिलेगा ।

(लेखक आई०आई०टी० मुंबई में पढ़ाते थे, और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं ।)

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

सिवनी से मंडला	प्रातः 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रातः 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रात:10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 93 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 14 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

.....में अपनी रक़म भेज सकते हैं.....

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

.....चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता.....

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010010581

☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

क्या कहते हैं ये प्रसिद्ध इतिहासकार ?

वर्तमान बाबरी मस्जिद/राम जन्मभूमि विवाद के मूल में कोई ऐतिहासिक तथ्य न होकर अंधविश्वास, राजनीतिक एवं सत्ता हड़पने की नीति ही काम कर रही है । प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म एवं विश्वासों की स्वतंत्रता है । परन्तु जब धार्मिक विश्वासों को ही ऐतिहासिक प्रमाण माल लिया जाए तो इतिहासकार को ऐतिहासिक प्रमाण और धार्मिक विश्वास के भेद को स्पष्ट करना होगा । जब साम्प्रदायिक ताक़तें साम्प्रदायिक चालों को ही ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थापित करें, तो इतिहासकार को अपना दायित्व निभाना ही होगा ।

ऐतिहासिक साक्ष्यों का स्पष्टीकरण हम किसी वाद-विवाद के उद्देश्य से या राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद के झगड़े की समस्या का सही हल देने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह झगड़ा केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं है । इस झगड़े की ज़ड़ में है भारतीय राजनीति का विशद साम्प्रदायिकीकरण । फिर भी यह आवश्यक है कि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की समीक्षा करें और यह देखें कि समाज में साम्प्रदायिकता फैलाने में इसका क्या उपयोग किया जा रहा है ।

वस्तुतः गुप्तवंशीय एक राजा ने साकेत नगरी को ही अयोध्या का नाम दिया । पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्कन्दगुप्त ने साकेत को अपना निवास स्थान बनाया और उसे अयोध्या की संज्ञा दी । उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसका अंकन अपनी स्वर्णमुद्राओं पर किया । इस प्रकार जो संभवतः एक महाकाव्य की काल्पनिक अयोध्या थी, उसका कालान्तर में साकेत से समीकरण किया गया ।

क्या अयोध्या राम का जन्म स्थान है ? और इसी से संबंधित प्रश्न है, क्या वर्तमान अयोध्या और रामायण में वर्णित अयोध्या एक है ?

राम के जीवन का वर्णन सबसे पहले रामकथा में किया गया, किन्तु अब यह अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यद्यपि वाल्मीकि ने इसे लेकर ही एक लंबे काव्य के रूप में रामायण की रचना की । क्योंकि राम़ायण एक काव्य है, अत: इसमें वर्णित पात्र, स्थान आदि बहुत कुछ काल्पनिक भी हो सकते हैं । और जब तक इन पात्रों, घटनाओं और स्थानों का किन्हीं अन्य अधिक विश्वसनीय स्रोतों से समर्थन न मिले, इतिहासकार इन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक नहीं मान सकते । बहुत बार ऐतिहासिक साक्ष्य सार्वजनिक विश्वासों के विपरीत पाये गये हैं ।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नरेश राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था । यानी कलियुग से हज़ारों वर्ष पूर्व और कलियुग का आरंभ 3102 ई॰पू॰ में माना जाता है ।

ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि जिस क्षेत्र में आज अयोध्या बसी हुई है वहां हज़ारों वर्ष पूर्व कोई आबादी थी । इस क्षेत्र में बस्ती होने के प्राचीनतम प्रमाण 800 ई॰पू॰ के माने गये हैं । यह बस्ती चित्रित घूमर मांड संस्कृति (पेंटेड ग्रे वेयर) की थी । यानी जहां के निवासियों का रहन-सहन बहुत ही सीधा-सादा था । यह वाल्मीकि रामायण में वर्णित भौतिक जीवन से मेल नहीं खाता । रामायण के अनुसार अयोध्या एक ऐसी नगरी थी, जो अनेक विशाल भवनों और प्रासादों से सुशोभित थी । पर 800 ई॰पू॰ के ऐसे कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते, जिनसे यह सिद्ध होता हो कि यहां इस प्रकार की कोई नगरी थी ।

रामायण में वर्णित अयोध्या कहां पर स्थित थी, यह बात भी विवादस्पद है । प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में कोशल देश के प्रमुख नगरों के रूप में श्रावस्ती और साकेत का उल्लेख है, अयोध्या का नहीं । जैन-ग्रंथ भी साकेत को ही कोशल की राजधानी बताते हैं । अयोध्या का बहुत कम उल्लेख हुआ है और उसे गंगा के तट पर स्थित बताया गया है, न कि सरयू तट पर, जबकि वर्तमान अयोध्या सरयू तट पर ही है ।

वस्तुत: गुप्तवंशीय एक राजा ने साकेत नगरी को ही अयोध्या का नाम दिया । पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्कन्दगुप्त ने साकेत को अपना निवास स्थान बनाया और उसे अयोध्या की संज्ञा दी । उसने विक्रमादित्य की उपाधि

धारण की और उसका अंकन अपनी स्वर्णमुद्राओं पर किया। इस प्रकार जो संभवतः एक महाकाव्य की काल्पनिक अयोध्या थी, उसका कालान्तर में साकेत से समीकरण किया गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं कि गुप्त सम्राट राम का भक्त था। वह तो सूर्यवंशी राजाओं की परम्परा से, जिस वंश के राम भी थे, अपना संबंध जोड़कर अपना गौरव बढ़ाना चाहता था।

सातवीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों में अयोध्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। वे पुराण जिनकी रचना ईसा से पहले सहस्राब्द के उत्तरार्द्ध और दूसरे सहस्राब्द की पहली शताब्दियों में यानी 1500-1200 ई॰ में हुई। रामायण के अनुसार अयोध्या को कोशल देश की राजधानी के रूप में वर्णित करते हैं। (विष्णु धर्मोत्तर महापुराण, 240.2)

राम जन्मभूमि के मूल स्थान के संबंध में जो अनिश्चितता है उसका आभास एक प्रकार से अयोध्या की प्रचलित स्थानीय लोक-परम्परा में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के बाद अयोध्या लुप्त हो गयी थी और विक्रमादित्य ने उसे ढूंढ़ निकाला। अयोध्या की खोज करते हुए विक्रमादित्य को तीर्थराज प्रयाग मिल गये। तीर्थराज प्रयाग को अयोध्या का पता था और उन्होंने विक्रमादित्य को दिखाया। विक्रमादित्य ने उस स्थान पर चिन्ह लगाया, किन्तु बाद में उसे नहीं खोज सके। तब वे एक योगी से मिले जिसने उन्हें बताया कि वे एक गाय और बछड़े को खुला छोड़ दें और साथ-साथ घूमें। जब बछड़ा राम जन्मभूमि पहुंचेगा, गाय के स्तन से दूध अपने आप बहने लगेगा। राजा ने योगी की सलाह मान ली। जब एक स्थान पर गाय के स्तन से दूध बहने लगा तो राजा को ज्ञान हो गया कि यही अयोध्या है।

अयोध्या को दुबारा ढूंढ़ निकालने की यह कथा और एक प्राचीन गौरवशाली वंश से जुड़ने का प्रयास, ये सब इस बात के द्योतक हैं कि एक नगर को, जिसका पहले कोई धार्मिक महत्व नहीं था, बाद में एक निश्चित धार्मिक महत्ता प्रदान की गयी। पर इन कथाओं में भी मूल स्थान की पहचान अनिश्चित और मनमानी ही लगती है।

यदि वर्तमान अयोध्या ईसा की पांचवी शताब्दी काल्पनिक ही रही होगी। तब तो वर्तमान अयोध्या को राम जन्मभूमि मानना केवल एक आस्था की बात है, ऐतिहासिक साक्ष्य को नहीं। राम जन्मभूमि के स्थान निर्धारण में जो ऐतिहासिक संदिग्धता है, उसकी तुलना बुद्ध के जन्मस्थल के ऐतिहासिक नैश्चित्य से की जा सकती है। बुद्ध के निर्वाण के दो सौ साल बाद अशोक मौर्य ने बुद्ध के जन्म स्थल के स्मरण में लुम्बिनीग्राम में एक शिलालेख स्थापित किया। फिर भी इस विषय में केवल इतना ही पता चलता है कि बुद्ध इसी गांव में कहीं पैदा हुए थे। ठीक इसी जगह पैदा हुए थे, यह बात इस अभिलेख से भी नहीं जानी जा सकती।

अयोध्या अनेक धर्मों के लिए एक पावन स्थल रहा है, केवल राम भक्तों के लिए ही नहीं। इसका रामभक्ति के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित होना तो अपेक्षाकृत बाद की बात है।

ईसा की पांचवीं शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक के अभिलेखों में अयोध्या के निवासियों का उल्लेख हुआ है। पर उनमें से किसी में भी अयोध्या के राम की पूजा के संबंध में चर्चा नहीं हुई है। देखिये एपिग्राफिका इंडिका 10-72-15-14-/141। ह्वान त्सांग (युवानच्वांग) ने लिखा है कि अयोध्या बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केन्द्र थी और यहां बहुत से स्तूप और विहार थे, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी, जो बौद्ध न रहे हों। ऐसा विश्वास था कि बुद्ध कुछ समय तक अयोध्या में रहे थे, अतः बौद्धों के लिए यह एक पावन स्थल बन गयी।

अयोध्या जैन-धर्म के मतानुयायियों का भी एक प्रमुख तीर्थ है। उनके लिए यह प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान है। अयोध्या के उत्खनन में पकी मिट्टी की एक जैन मूर्ति मिली है। इस मूर्ति का एक काल चौथी-तीसरी शताब्दी ई॰पू॰ माना जाता है और यह संबसे प्राचीन उपलब्ध जैन मूर्तियों में से एक मानी जाती है।

गयारहवीं शताब्दी के ग्रंथों में अयोध्या के गोपतरू तीर्थ का उल्लेख तो मिलता है, किन्तु राम की जन्मभूमि से इसका कोई संबंध नहीं जोड़ा गया है।

रामभक्ति का प्रसार तेरहवीं शताब्दी में हुआ और धीरे-धीरे बढ़ता गया। इस योगदान के साथ ही हिन्दी में रामकथा लिखे जाने से काफ़ी बढ़ावा मिला।

फिर भी पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में रामानन्दी सम्प्रदाय के अनुयायी अयोध्या में कम थे। इस समय अयोध्या में शैव धर्म ही प्रमुख था और केवल अठारहवीं शताब्दी से ही रामानन्दी साधु बड़ी संख्या में रहने लगे। इसके बाद ही रामानन्दियों ने अयोध्या में अपने अधिकांश

मंदिर बनवाये ।

अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे निश्चित रूप से कहा जा सके कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ऐसी जगह हुआ है, जहां पहले से एक मंदिर था ।

मस्जिद के द्वार पर दोनों ओर फ़ारसी में लेख हैं, जिनसे पता चलता है कि मस्जिद बाबर के आदेश पर बनवायी गयी थी । श्रीमती वेबरिज ने सबसे पहले बाबरनामा का अनुवाद किया और इन पंक्तियों को उसके परिशिष्ट में छापा । उनके द्वारा किये गये अनुवाद के अनुसार शहंशाह बाबर के, जिनके न्याय की सीमा आकाश तक पहुंची हुई है, आदेशानुसार मीर बाक़ी ने फ़रिश्तों के उतरने का स्थान निर्माण करवाया ।

इन पंक्तियों के अनुसार बाबर के एक सरदार मीर बाक़ी ने यह मस्जिद बनवाई थी । परन्तु यह उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थान पर किया गया । बाबरनामा में भी मंदिर को तुड़वाने की बात कहीं नहीं लिखी है ।

आइने-अकबरी के अनुसार अयोध्या रामचन्द्र का निवास स्थान है, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और जो राज पर पहुंचे हुए थे । किन्तु कहीं पर भी अकबर के दादा बाबर द्वारा राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की चर्चा नहीं है । अकबर के ही समय में राम भक्त तुलसीदास अयोध्या निवासी थे । उन्होंने म्लेच्छों के बढ़ते प्रभुत्व पर खेद व्यक्त किया है, परन्तु राम जन्मभूमि मंदिर के तोड़े जाने का कहीं उल्लेख नहीं किया है ।

19वीं शताब्दी में पहली बार यह कहानी प्रचलित हुई और सरकारी दस्तावेज़ों में इसे स्थान दिया गया । फिर यही दस्तावेज़ दूसरों द्वारा प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उद्धृत हुए ।

मंदिर के तोड़े जाने की कथा की ऐतिहासिक प्रमाणिकता के परीक्षण के बिना ही उसे इस क्षेत्र के अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों में ज्यों का त्यों रख दिया गया । (देखिये पी॰ कारनेगी, हिस्टारिकल स्केच ऑफ़ तहसील फ़ैज़ाबाद, ज़िला फ़ैज़ाबाद, लखनऊ 1870 एच॰आर॰ नैविल फ़ैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, इलाहाबाद 1905)

अपनी पुस्तक की एक पाद-टिप्पणी (फुटनोट) में श्रीमती वेबरिज इस कथा में अपना विश्वास प्रकट करती हैं । उनका कहना है कि बाबर इस प्राचीन हिन्दू मंदिर के गौरव और पावनत्व से प्रभावित था और एक (अच्छा) मुसलमान होने के नाते उसने कम से कम मंदिर के एक हिस्से को ही तोड़कर मस्जिद बनवाया होगा । उनका तर्क बिल्कुल साफ़ था । ...मुहम्मद का एक आज्ञाकारी अनुयायी होने के नाते बाबर दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु था । (इस प्रकार उसकी नज़र में) मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाया गया एक धार्मिक एवं पुण्य कार्य था । उनका बहुत ही आपत्तिजनक निष्कर्ष इस धारणा पर आधारित है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले ही ऐसा किया करते हैं । श्रीमती बेवरिज अपनी इस धारणा के लिए कि वह मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनायी गयी थी, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकीं । बस उन्होंने ऐसा हुआ ही होगा, यह स्वयं सिद्ध मान लिया है । वस्तुत: दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों के प्रति बाबर का जो रवैया रहा वह श्रीमती बेवरिज के निष्कर्ष की कदापि पुष्टि नहीं करता ।

ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ अफ़सर जिनकी पुष्टि में भारत एक परस्पर विरोधी सम्प्रदायों का देश था, ऐसी कहानियों को स्वत: सिद्ध मानते थे । किन्तु इतिहासकारों को तो प्रत्येक ऐतिहासिक घटना क प्रमाणिकता बड़ी सावधानी से जांचनी पड़ती है और यह देखना होता है कि कैसे स्रोतों पर आधारित है ।

अत: एक तरफ़ जहां इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनवायी गयी है, वहीं यह भी मानना होगा कि मध्यकालीन स्रोतों के अनुसार मुसलमानों के लिए इस मस्जिद का कोई विशेष धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व न था ।

ऐतिहासिक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि मुसलमान शासक स्वभावत: और हमेशा ही हिन्दुओं के धार्मिक स्थानों के विरुद्ध रहे हैं ।

अयोध्या के एक हिन्दू तीर्थ स्थान के रूप में विकसित होने में मुसलमान नवाबों से प्राप्त संरक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । हाल के शोध प्रबंधों ने यह दिखला दिया है कि नवाबी हुकूमत कायस्थों के सहयोग पर निर्भर थी और उनकी फ़ौज में शैव नागाओं का प्रभुत्व था । हिन्दुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों का संरक्षण और उनके मंदिरों को दान देना नवाबों की राजनीति का एक अभिन्न अंग बन चुका था । अयोध्या में कई मंदिर बनवाये और कुछ की मरम्मत करवाई । सफ़दरजंग ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर मंदिर बनवाने के लिए सहायता प्रदान की । पंडा लोगों

की बहियों से पता चलता है कि नवाबी दरबार के कई मुसलमान अफ़सरों ने हिन्दू पुजारियों द्वारा पूजा कर्म संपन्न कराने के लिए भी अनेक भेटें दीं ।

हिन्दू-मुसलमानों के विवाद में यह ज़रूरी नहीं था कि मुसलमान शासक मुसलमानों का ही पक्षपात करें । 1855 में सुन्नी मुसलमानों और नागा साधुओं के बीच हनुमानगढ़ी के मंदिर को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया । वाजिद अली शाह ने कड़ाई से निश्चित क़दम उठाया । उसने मामले की छानबीन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति बनायी, जिसके सदस्य थे ज़िला अफ़सर आग़ा अली ख़ां, प्रमुख हिन्दू ज़मींदार राजा मानसिंह और कंपनी की फ़ौज के अंग्रेज़ अधिनायक । जब प्रस्तावित समझौता साम्प्रदायिक ताक़तों की तनातनी को रोकने में असफल रहा, तो वाजिद अली शाह ने स्थिति पर क़ाबू पाने के लिए मुसलमान नेताओं की मदद ली । मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों के नेता मौलवी अमीर अली के संपत्ति ज़ब्त कर ली गयी और अंत में अमीर अली द्वारा भड़काये गये सुन्नी मुसलमानों को फ़ौज की सहायता से दबा दिया गया ।

इससे हमारा तात्पर्य यही है कि हिन्दू मुसलमानों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही संभागी (एक जातीय) समाज न थे । इनके अन्दरूनी गुटों और सम्प्रदायों में भी परस्पर झगड़ा हुआ करता था और हिन्दू-मुसलमानों में भी ।

ऐतिहासिक साक्ष्यों के उपरिलिखित समीक्षण से यह पता चलता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के साम्प्रदायिक तत्व जो दावे कर रहे हैं, उनका इतिहास से कोई समर्थन नहीं होता । कालान्तर से धार्मिक क्षेत्र के रूप में अयोध्या की विशिष्टता बदलती रही है और अनेक धर्मों के इतिहास से जुड़ी हुई है । विभिन्न सम्प्रदायों के लिए इसका अलग-अलग धार्मिक महत्व रहा है । कोई एक सम्प्रदाय इन नगरी पर अपना एकमात्र अनन्य धार्मिक अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता । इतिहास को आत्मसात करने की प्रक्रिया किसी भी समाज में बराबर चलती रहती है । परन्तु भारत जैसे बहुधर्मी समाज में जब ऐसी प्रक्रियाएं केवल एक धार्मिक इकाई को ही प्रश्रय देने में लगायी जाएं तो उनसे अपरिसीम साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है । अतीत को नकारने के प्रयासों के परिणाम बड़े ही ख़तरनाक और घातक हो सकते हैं । (सा॰ : नभाटा 21 नवम्बर 1989)

Registration Going On

الحراء پبلک اسکول وہاسٹل، شاہ گنج، پٹنہ-۶

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL & HOSTEL

MUHAMMADPUR, SHAHGANJ, PATNA-6

- C.B.S.E. Curriculum
- Computer & Library Facilities
- Class Monitoring with CCTV
- Separate Hostel for Boys & Girls
- English Medium
- Quality Education
- Co-Curricular Activities
- Regular Weekly Tests

Website : alhiraschool.com
E-mail : alhirashahpat@sify.com

0612-2685287
9431087443

Admission Test on 20th Feb. 2011 at 9.00 a.m.

आधुनिक भारत की संकल्पना को एक धक्का

❖ दीपंकर भट्टाचार्य

अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आने की पूर्व संध्या पर हमने कहा था कि यह निर्णय भारत की धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्याय की परीक्षा है। अब इस शर्मनाक निर्णय को ज़रा ग़ौर से देखने पर हमें पता चलता है कि यह सभी कसौटियों पर असफल साबित हुआ है। 30 सितम्बर 2010 की तारीख़ अब 6 दिसम्बर 1992 के साथ याद की जाएगी। बाबरी मस्जिद को कायराना तरीक़े से ढहाने के 18 साल बाद अब हम इसके न्यायिक विध्वंस के गवाह बन रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्याय के बुनियादी सिद्धांतों व क़ानून के शासन की बुनियादी स्थापनाओं पर भी खरा नहीं उतरता और आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक विचार को ही चुनौती देता है।

हाईकोर्ट को विवादित जगह के मालिकाना हक़ के बारे में निर्णय देना था। यह सबको पता है कि भाजपा और संघ परिवार अरसे से मानते रहे कि यह पूरा मामला 'आस्था' से जुड़ा हुआ है और 'आस्था' के सवाल को न्यायालय के ज़रिये तय नहीं किया जा सकता। उन्हें पता था कि उनके दावों का कोई क़ानूनी आधार नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरे देश को धोखा देने का रास्ता चुना। उन्होंने हर किसी को आश्वस्त किया था कि क़ानून का सम्मान किया जाएगा, लेकिन दिनदहाड़े मस्जिद को गिराकर वे अपने ही शब्दों से पलट गये।

आज संघ परिवार इस बात पर खुश है कि है हाईकोर्ट ने 'आस्था' को क़ानूनी जामा पहना दिया है। सभी तीनों जजों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को राम, सीता और भरत की मूर्तियों को बाहर से षड्यंत्रपूर्वक अन्दर लाया गया था। फिर भी जजों ने 2-1 के बहुमत से 'विवादित ढांचे' को मस्जिद न मानने का फ़ैसला दिया, क्योंकि उनके मुताबिक़ यह ढ़ांचा एक हिन्दू धार्मिक ढांचे को तोड़कर बनाया गया था और इसलिए इस्लाम के मतानुसार इसमें मस्जिद की पवित्रता नहीं हो सकती। ज़रूर तीसरे जज का मत उक्त दोनों मतों से भिन्न था, लेकिन बहुमत के दृष्टिकोण को तरजीह मिली।

ये फ़ैसला मुख्यतया दो तत्वों पर आधारित था–पहला: 2003 में ए०एस०आई० की रिपोर्ट में दिये गये कथित 'पुरातात्विक साक्ष्य' जिनके अनुसार मस्जिद के बनने से पहले उस जगह पर हिन्दू मंदिर था। दूसरा : यह कि हिन्दुओं की 'आस्था' है कि यह विवादित क्षेत्र भगवान राम का जन्मस्थान है। ए०एस०आई० की इस रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हुए और ज़्यादातर इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने इसको खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट को भ्रामक साक्ष्यों और भ्रामक स्पष्टीकरण पर आधारित (काल्पनिक) अटकलबाज़ी से ज़्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता। इसके दूसरे 'पहलू' आस्था के बारे में सच्चाई यह है कि स्वामित्व विवाद के मुक़दमे में फ़ैसले के लिए आस्था को साक्ष्य के बतौर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

ज़मीन के मालिकाने के मुक़दमे में राम को एक 'विधिसम्मत व्यक्ति' के रूप में मान्यता देकर (ग़ौरतलब है कि मुक़दमे में इन नाबालिग़ रामलला का प्रतिनिधित्व एक स्वनियुक्त 'अभिभावक' द्वारा किया गया) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्याय शास्त्र के साथ अंध आस्था और धर्म की आड़ लेकर पूर्वाग्रह को फेंटने की एक ख़तरनाक नज़ीर क़ायम की है। यहां ग़ौर करना होगा कि इस मुक़दमे में सबसे कम उम्र वाले रामलला विराजमान, जिन्हें विवादित स्थल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय गुम्बद (ठीक जिस स्थान पर संघ ब्रिगेड वाले भगवान राम का जन्म होने का दावा करते हैं) समेत एक तिहाई ज़मीन का हक़दार बना दिया गया है। इस पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

पूर्व न्यायाधीश श्री देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा 1989 में खड़ा किया गया था । जिन्होंने संघ ब्रिगेड के मंदिर अभियान को 'क़ानूनी' मुक़दमे की शक्ल देने में प्रमुख भूमिका अदा की थी ।

इस तरह पूर्णत: संदिग्ध आधार पर राम जन्मभूमि के दावे को मान लेने के बाद न्यायाधीशों ने इस पूरे मामले को सुलह की शक्ल में पेश करने के लिए विवादित स्थल को तीन समान हिस्सों में बांट दिया जिसमें एक हिस्सा वक़्फ़ बोर्ड को मिलेगा । जबकि सुलह हासिल करने की कोशिश केवल सत्य और न्याय के आधार पर ही हो सकती है । लेकिन इस मामले में सच्चाई (कम-से-कम इतिहास में दर्ज सच्चाई) और न्याय दोनों को इस नक़ली सुलह के सूत्र की बलिवेदी पर क़ुर्बान कर दिया गया है । इसी कारण से यह फ़ैसला सत्य, न्याय और सुलह तीनों का एक साथ मखौल उड़ाता है । क्या सत्य और न्याय की क़ुर्बानी देकर कोई सम्मानजनक समझौता कर पाना संभव है ?

गुजरात के जनसंहार के बाद से भाजपा लगातार देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी ज़मीन खोती जा रही है । 2009 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद-जो पिछले पांच वर्षों में उसकी लगातार दूसरी हार थी-भाजपा को कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि कैसे अपने गिरते मनोबल और हताशा को रोका जाए । अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले ने निराश-हताश भगवा शिविर में थोड़ी जान वापस डाली है ।

आडवाणी ने इसी बीच इस फ़ैसले को देश की राष्ट्रीय अखंडता के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत बता डाला है । अब इस बात की पूरी संभावना है कि खोई हिम्मत जुटाकर भाजपा फिर से अपने समूचे 'निर्लंबित एजेंडा' का कपाट खोलेगी और अपने हिंदुत्व के अभियान में ईंधन डालेगी ।

इस मामले में क़ानूनी गतिपथ अब सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंचेगा । यह देखना बाक़ी है कि सर्वोच्च न्यायालय किस हद तक क़ानून और न्याय के अनुरूप मामले को हल कर पाता है और देश की राज प्रणाली एवं गंगा-जमुनी संस्कृति को अयोध्या के बाद लगे ज़ख़्म पर मरहम लगा पाता है जो ज़ख़्म इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले से गहरा और ख़तरनाक हो गया है । भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति एवं आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दृष्टि, संघ ब्रिगेड द्वारा भारत को बहुसंख्यक-वर्चस्ववादी सोच के आधार पर पीछे की ओर धकेलने वाले षड्यंत्र को मात दे सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी । अगर इस मक़ाम पर अदालत के बाहर सुलह करने की संभावनाओं की तलाश की जाती है तो उस सुलह को तर्क और न्याय के बुनियादी उसूलों की क़ीमत पर नहीं किया जाना चाहिए ।

भारत को आगे बढ़ना ही होगा । इसी मक़सद से तर्क-विरोधी और अन्याय पर आधारित शक्तियों को पीछे धकेलना होगा । 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के बेहया पैरोकारों के साथ, जो तर्क और प्रगति की आवाज़ों को हर उपाय से ख़ामोश करने की दुस्साहसिक कार्रवाई कर रहे हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता ।

मुंसिफ़ ही हमको लूट गया

❖ मुकुल 'सरल'

दिल तो टूटा है बारहा लेकिन
एक भरोसा था वो भी टूट गया

किससे शिकवा करें, शिकायत हम
जबकि मुंसिफ़ ही हमको लूट गया

ज़लज़ला याद दिसम्बर का हमें
गिर पड़े थे जम्हूरियत के सुतून

इन्तिज़ामिया, एसेंबली सब कुछ
फिर भी बाक़ी था अदलिया का सुकून

छह दिसम्बर का गिला है लेकिन
ये सितम्बर तो चारागर था मगर

ऐसा सैलाब लेके आया उफ़ !
डूबा सच और यक़ीं, न्याय का घर

उस दिसम्बर में चीख़ निकली थी
आह ! ने आज तक सोने न दिया

ये सितम्बर तो सितमगर निकला
इस सितम्बर ने तो रोने न दिया ।

(इन्तिज़ामिया-कार्यपालिका, एसेंबली-विधायिका, अदलिया-न्यायपालिका, चारागर-इलाज करने वाला)

इंटरव्यू

'हिन्दू राष्ट्र के फ़ैसले जैसा'!

अयोध्या के प्रसिद्ध संत श्री युगल किशोर शरण शास्त्री जी अपनी बेबाक और निर्भीक विचारों के लिए भी चर्चित हैं । उन्होंने 'राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद' नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें बाबरी मस्जिद के सिलसिले में अनेक पक्षों को उजागर किया गया है । सच का बयान करने वाली यह किसी संत की पहली पुस्तक है । अयोध्या-फ़ैसला आने के बाद 'कान्ति' के संपादक डॉ॰ मुहम्मद अहमद ने उनसे विस्तार के साथ बातचीत की । प्रस्तुत हैं इस बातचीत के कुछ प्रमुख अंश–



■ अयोध्या फ़ैसले (30 सितम्बर 2010) को आप किस रूप में देखते हैं ?

शास्त्री जी : यह साम्प्रदायिक फ़ैसला है, जो यह आभास कराता है कि किसी हिन्दू राष्ट्र का फ़ैसला है । यह देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के भी विरुद्ध है । इसमें तर्क और प्रमाण को महत्व और स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि इनकी पूर्णत: अनदेखी की गयी है । हम जानते हैं कि निर्णय करने वाली पीठ में एक मुस्लिम जन साहब (जनाब सिब्ग़तउल्लाह ख़ान) भी थे, तो क्या फ़र्क़ पड़ता है । सभी भयाक्रांत हैं । अतीत की घटनाएं बताती हैं कि आदरणीय जजों को भी साम्प्रदायिक शक्तियों का कोपभाजन बनना पड़ा है ।

■ फ़ैसले के प्रेरक तत्व क्या हो सकते हैं ?

शास्त्री जी : साम्प्रदायिकता इसका आधार है । ये शक्तियां पहले से ही बार-बार कहती रही हैं कि विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं बनने देंगी । उन्होंने यहां तक कहा है कि अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा के अन्दर मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं देंगी, मानो ये आज के युग के हिटलर, मुसोलिनी और अन्य फ़ासिस्ट हों । साम्प्रदायिक फ़ैसले के बाद भी यही बात कही जा रही है । आख़िर यह धर्मान्धता नहीं तो और क्या है ? हिन्दू धर्म के कट्टरपंथियों ने देश और समाज को बारम्बार हानि पहुंचायी है । इनके द्वारा फैलाये गये नफ़रत और विद्वेष के कारण देश दो टुकड़ों में बंटा ।

■ इस फ़ैसले के प्रभावों और परिणामों के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है ?

शास्त्री जी : यह फ़ैसला देश को गृहयुद्ध की ओर ले जाने का प्रयास है । इससे तरह-तरह के विवाद उठ खड़े होंगे । लोग दूसरों की ज़मीन हथियाने के लिए रातोंरात मूर्तियां रख देंगे और कोर्ट से वैधानिक क़ब्ज़ा ले लेंगे । इनसे न केवल मुसलमान बल्कि हिन्दुओं के साम्प्रदायिक घटक/समुदाय और अन्य देशवासी प्रभावित होंगे । हिन्दुओं में से कुछ प्रतिशत लोग रामचन्द्र जी को मानते हैं, शेष अन्य देवी-देवताओं को । दलित वर्ग जिन्हें आज भी जबरन हिन्दू कहा जाता है, उसमें से अच्छी-ख़ासी संख्या बौद्ध है । इस फ़ैसले से दुनिया में हमारी छवि ख़राब हुई है । लोग यह समझ रहे हैं मानो हिन्दू राष्ट्र की न्यायपालिका का फ़ैसला है ।

■ फ़ैसले में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाने की कोशिश की गयी है, इस पर आपके क्या विचार हैं ?

शास्त्री जी : मलबे को कदापि आधार नहीं बताया जा सकता । मलबे को आधार बनाने से आर्यों के बाहर से यहां आने की पुष्टि हो जाएगी, अत: आर्यों को यहां से बाहर चले जाना चाहिए । राम मंदिर तोड़ कर मस्जिद का निर्माण नहीं

किया गया । इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अवैध भूमि पर मस्जिद बने और वहां नमाज़ पढ़ी जाए । मुसलमान तो सदियों तक बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहे हैं । जहां तक पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट की बात है, तो इसके दसवें खंड में अमालिका, दूरजाम, लोटस, मोटिफ़, डिवाइन कपुल आदि का उल्लेख है । रिपोर्ट में यह बात भी कही गयी है कि उत्तर भारत में पाये जाने वाले मंदिरों में ये वस्तुएं होती हैं और हिन्दुओं को भ्रम में डाला गया कि मंदिर निकल आया । वास्तव में ऐसा नहीं है । जहां तक मलबे की बात है कि पहले के निर्माणों में एक-दूसरे की इमारतों के मलबे लगते थे । यह उस समय की ज़रूरत थी । निर्माण-सामग्री की कमी थी । अत: इसे किसी भी रूप में प्रमाण नहीं माना जा सकता ।

■ अयोध्या फ़ैसले से देश के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शास्त्री जी : अदालत के ज़मीन को तीन हिस्सों में बांटने का आदेश समाज को टुकड़े-टुकड़े करने वाला है । उसके पास यह मुक़दमा ज़मीन की मिल्कियत को तय करने के लिए चल रहा था, न कि पंचायत की तरह उसे बांटने के लिए । प्रमाणों और तर्कों की जगह भावना एवं आस्था को प्राथमिकता देने से पूरे देश में उथल-पुथल मचेगा । अगर इस फ़ैसले को रद्द नहीं किया गया तो इसके बड़े गंभीर परिणाम सामने आएंगे । इस फ़ैसले के ज़रिये देश की समन्वित संस्कृति को समाप्त करने की साज़िश की गयी है ।

अयोध्या के लोग भी इस दुष्चक्र से बुरी तरह आहत हैं । इस नगरी की यह विशेषता भी है कि यहां पांच धर्मों का संगम है । इनकी साझी विरासत का केन्द्र है । यह इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों के अनुयायियों की भी विरासत का स्थान है । इस समन्वित संस्कृति पर एक और बड़ा प्रहार 6 दिसम्बर 1992 को किया गया था, जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था । हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा की गयी यह घटना केवल मस्जिद विध्वंस की घटना न थी, बल्कि देश के संविधान, साझी विरासत, देश का मान-सम्मान, उसकी अस्मिता, दलित-दमित, अल्प- संख्यक और ग़रीब तबक़ों पर हमला था ।

■ बाबरी मस्जिद और अयोध्या की ऐतिहासिकता पर भी कुछ प्रकाश डालिए ?

शास्त्री जी : अयोध्या में कई मुस्लिम बुज़ुर्गों की क़ब्रें पायी जाती हैं । आज भी यहां मुसलमानों की एक संख्या है । यहां और भी मस्जिदें हैं । बाबरी मस्जिद का निर्माण इतिहास के आईने में हुआ, जिस समय मस्जिद का निर्माण हुआ, उस समय हिन्दुओं में पंचदेव की पूजा प्रचलित थी । बाबरी मस्जिद में 22/23 दिसम्बर 1949 की रात को राम चबूतरे की मूर्ति को उठाकर मस्जिद में रख दिया गया । ज़िला प्रशासन ने अदालत को बताया कि 22 दिसम्बर की रात तक बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी गयी ।

6 दिसम्बर 1992 की घटना से पूर्व तक बाबरी मस्जिद के साथ राम जन्मभूमि का ज़िक्र नहीं मिलता है । मस्जिद विध्वंस के बाद 7 जनवरी 1993 को अयोध्या एक्ट 1993 और 1994 बना, जिसके सेक्शन 7(2) में बड़ी चालाकी के साथ राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद कहा गया । इस एक्ट का विरोध होना चाहिए था । इसने अयोध्या में राम जन्मभूमि होने को क़ानूनी मान्यता प्रदान कर दी । एक के बाद एक षड्यंत्रकारी कोशिशें की जाती रही हैं ।

जहां तक अयोध्या की ऐतिहासिकता की बात है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके सांस्कृतिक पक्ष को मुसलमानों ने जीवंत और पुष्ट किया । इस सिलसिले में मुसलमानों का योगदान अति महत्वपूर्ण है । मुस्लिम शासकों ने दशरथ महल का गेट बनवाया, राम गुलेला मंदिर को 55 एकड़ ज़मीन दी, लक्ष्मण क़िला-गोला घाट के लिए 55 बीघे ज़मीन दी । निर्मोही अखाड़ा जिसे हाईकोर्ट ने ताज़ा फ़ैसले में ज़मीन देने की बात कही है, मुस्लिम नवाबों ने चार हज़ार स्वर्ण मुद्राएं दी थीं । आलमगीर औरंगज़ेब ने दतुवन कुंड मंदिर को 1100 बीघे ज़मीन दी थी । नवाब सफ़दर शाह (नवाब वाजिद अली शाह के दादा) ने अयोध्या में सात मंदिरों के निर्माण में योगदान किया था ।

■ अयोध्या फ़ैसले से उत्साहित कट्टरपंथियों की भावी दिशा और सामाजिक ताने-बाने पर बढ़ते कुप्रभाव के क्या नैदानिक उपाय हो सकते हैं ?

शास्त्री जी : सबसे पहले फ़ैसले को रद्द किया जाना चाहिए । फिर न्यायपालिका में भी भारतीय समाज के समग्र वर्गों, समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क़दम उठाये जाने चाहिए । दलित, अल्पसंख्यक और अन्य अल्पोन्नति वाले समाजों में विश्वास की बहाली के साथ उनके समग्र विकास पर भरपूर ध्यान देना चाहिए । 'तुष्टीकरण' रूपी शस्त्र का प्रहार करके विकास-कार्यों की उपेक्षा कदापि उचित नहीं है ।

क़ानून के लंबे हाथ !

❖ आनंद स्वरूप वर्मा

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के फ़ैसले ने मुस्लिम समुदाय को कहीं भीतर से तोड़ दिया है । हालांकि उसने अपने इस दर्द को उग्र बयानों के ज़रिये भी ज़ाहिर नहीं किया । राम मंदिर के मुद्दे को पिछले दो दशक से भी अधिक समय से राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगी भाजपा सहित ढेर सारी हिंदुत्ववादी ताक़तों ने भी हर बार की तरह लड्डू खाकर-खिलाकर जश्न नहीं मनाया । वैसे देखा जाए, तो दोनों पक्षों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने में परिपक्वता का परिचय दिया है । राम मंदिर समर्थकों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना मिल जाएगा। शायद यही वजह है कि जब भी अदालत की बात होती थी, उनके छोटे-बड़े नेता यही कहते थे कि यह आस्था का सवाल है, जिसे अदालतें नहीं हल कर सकतीं । वे कहते थे कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है । ज़ाहिर है कि जनता से उनका आशय उस भीड़ से होता था, जिसने 6 दिसंबर 1992 को तांडव किया था और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था । लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब इनके सभी नेता अदालत के प्रति अपना सम्मान ज़ाहिर करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं । भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात पर ख़ुशी ज़ाहिर की कि 'क़ानून ने ही आस्था का अनुमोदन किया है ।'

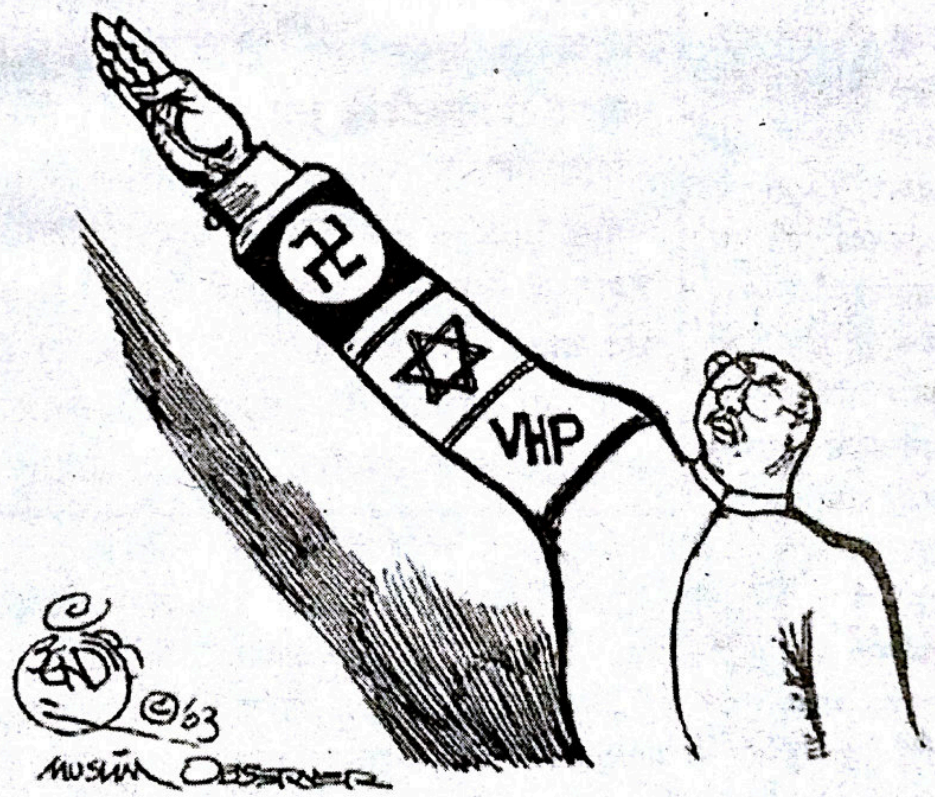

सचमुच क़ानून ने आस्था का अनुमोदन किया है । इस फ़ैसले ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किये हैं, जो आने वाले दिनों के लिए बहुत ख़तरनाक नज़ीर बन सकते हैं। विद्वान न्यायाधीशों ने किस आधार पर यह तय किया कि अमुक जगह राम का जन्म हुआ था ? उन्होंने किस आधार पर यह तय किया कि सीता की रसोई अमुक जगह पर थी ? अदालत की जानकारी में जब प्रमाण सहित यह तथ्य मौजूद था कि 1949 में बाबरी मस्जिद के गेट को तोड़ कर चोरी-छुपे वहां राम की मूर्तियां रखी गयीं तो फ़ैसला देते समय इस तथ्य की क्यों अनदेखी की गयी ? इस दृष्टि से क्या अदालत 6 दिसंबर 1992 को 500 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, ध्वस्त करने की घटना को उचित नहीं साबित कर रही है ? क्या अब देश की अदालतें साक्ष्यों और प्रमाणों को दरकिनार कर भावनाओं और आस्थाओं के आधार पर निर्णय देंगी ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भविष्य के लिए अत्यंत ख़तरनाक संदेश देते हैं हालांकि इस तरह के फ़ैसले से हम पहले भी एकाधिक मामलों में रूबरू हो चुके हैं ।

यह सब जानते हुए भी व्यापक मुस्लिम समुदाय अगर चुप रहा तो यह मान कर कि इस देश में अब उसकी नियति यही है। उसने मान लिया कि अगर चैन से रहना है, तो ख़ुद को दोयम दर्जे की नागरिकता के कड़वे यथार्थ को आत्मसात करना सीखना होगा। ख़ुद को तसल्ली देने के लिए उसने तरह-तरह के बहाने गढ़े। मसलन अगर यह मसला ख़त्म हो जाए, तो सुकून मिले, हिंसा फैली तो आम मुसलमान ही मारा जाएगा, बेरोज़गारी और भूख की समस्या मज़हबी जुनून से बड़ी समस्या है वग़ैरह-वग़ैरह।

1980 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी दुबारा सत्ता में आयीं तो उन्होंने पुराने भारतीय जनसंघ के प्रभाव का मुक़ाबला करने के लिए सांप्रदायिकता की बैसाखी का सहारा लिया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1986 में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलने से लेकर 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक भारतीय समाज को प्रतिगामी बनाने तथा भारतीय राजनीति का सांप्रदा- यीकरण करने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बराबर की भूमिका निभायी। अगर कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को अपना दार्शनिक आधार बनाकर समय-समय पर 'कम्युनल कार्ड' खेला तो भाजपा और संघ परिवार ने सांप्रदायिकता और एकात्मक राज्य प्रणाली को अपना दार्शनिक आधार बनाकर समय-समय पर बहुलतावादी और जनतांत्रिक होने का दिखावा किया। दोनों स्थितियों में अपनी इन रणनीतियों का इस्तेमाल चुनावी फ़ायदे के लिए किया गया और जनता इसके भुलावे में फंसती चली गयी। आज जब मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि इलाहाबाद फ़ैसले से मुसलमानों को धोखा हुआ है तो उनकी बात को सच मानते हुए भी मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे इत्तिफ़ाक़ करना नहीं चाहता। उसे यक़ीन ही नहीं हो रहा है कि कोई राजनेता सचमुच उसके दर्द से दुखी है।

यह एक ख़तरनाक स्थिति है। अगर देश के करोड़ों मुसलमान ख़ुद को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस करने के लिए मजबूर कर दिये जाएं तो यह किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। हिंदुत्ववादियों की जमाअत इस स्थिति से ज़रूर ख़ुश होगी क्योंकि अल्पसंख्यकों की समस्या से निबटने के लिए उनके आदि सिद्धांतकार एम०एस० गोलवलकर ने 1939 में ही जो तरीक़े बताए थे उसके कुछ नतीजे दिखायी देने लगे हैं। अपनी पुस्तक 'वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड' के पांचवें अध्याय में उन्होंने मुसलमानों को बाहर से आकर बसी आबादी मानते हुए कहा था कि उन्हें यहां आबादी की मुख्यधारा में अर्थात राष्ट्रीय नस्ल के साथ पूरी तरह समाहित हो जाना चाहिए।

यह एक ख़तरनाक स्थिति है। अगर देश के करोड़ों मुसलमान ख़ुद को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस करने के लिए मजबूर कर दिये जाएं तो यह किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। हिंदुत्ववादियों की जमाअत इस स्थिति से ज़रूर ख़ुश होगी क्योंकि अल्पसंख्यकों की समस्या से निबटने के लिए उनके आदि सिद्धांतकार एम०एस० गोलवलकर ने 1939 में ही जो तरीक़े बताए थे उसके कुछ नतीजे दिखायी देने लगे हैं। अपनी पुस्तक 'वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड' के पांचवें अध्याय में उन्होंने मुसलमानों को बाहर से आकर बसी आबादी मानते हुए कहा था कि उन्हें यहां आबादी की मुख्यधारा में अर्थात राष्ट्रीय नस्ल के साथ पूरी तरह समाहित हो जाना चाहिए।

'यहां की भाषा और संस्कृति को अपना लेना चाहिए। यहां के लोगों की आकांक्षाओं में हिस्सेदारी करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने पृथक अस्तित्व की चेतना को छोड़ना होगा, अपने विदेशी मूल को भुलाना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें महज एक बाहरी व्यक्ति के रूप में रहने का अधिकार होगा, राष्ट्र की सभी संहिताओं और समझौतों का पालन करना होगा, अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों की तो बात ही छोड़िए, उन्हें किसी तरह का विशेष संरक्षण भी नहीं प्राप्त होगा। विदेशी तत्वों के सामने केवल दो ही रास्ते हैं—या तो वे राष्ट्रीय नस्ल के साथ अपने को पूरी तरह मिला लें और उसकी संस्कृति को अपना लें या जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें भारत में अनुमति दे तब तक उनकी दया पर निर्भर होकर रहें।'

गोलवलकर हिंदुत्ववादी संगठनों में गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी स्थापनाओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। कश्मीर हो या उत्तर पूर्व का कोई राज्य–राष्ट्रीयता के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर अथवा आदिवासियों की अस्मिता के सवाल पर हर जगह हिंदुत्ववादियों को गुरुजी का फॉर्मूला याद रहता है । उन्हें यह सम्मान इसलिए प्राप्त है क्योंकि संघ क़बीले को लगता है कि अल्पसंख्यकों की समस्या की कुंजी उनके पास है, जिसे वे आज इस इक्कीसवीं सदी में भी कारगर मानते हैं । गुरुजी तो अल्पसंख्यकों के नागरिक होने के अधिकार को भी छीन लेना चाहते हैं । अपनी पुस्तक ('वी आर आवर नेशनहुड डिफ़ाइंड') में उन्होंने कहा है कि–'हिंदुस्तान में विदेशी नस्लों को चाहिए कि वे हिंदू संस्कृति और भाषा को अपना लें, हिंदू धर्म का सम्मान करना सीखें, हिंदू नस्ल और संस्कृति अर्थात हिंदू राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले विचारों के अलावा और किसी भी विचार को अपने यहां स्थान न दें और हिंदू नस्ल में शामिल होने के लिए अपने प्रथम अस्तित्व को भूल जाएं अथवा देश में अगर रहें तो पूरी तरह हिंदू राष्ट्र के अधीन बनकर रहें, जिसमें उनका कोई दावा न हो, उन्हें किसी तरह की सुविधा न मिले, विशेष व्यवहार की तो बात ही छोड़ दें । यहां तक कि उन्हें नागरिक होने का भी अधिकार न मिले । हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं और हमें विदेशी नस्लों के साथ, जिन्होंने रहने के लिए हमारे देश को चुना है, वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा कोई प्राचीन राष्ट्र करता है ।'

क्या यह माना जाए कि यहां के एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को अब न्यायालय भी इस बात का एहसास कराने में लग गये हैं कि इस देश में उनकी क्या हैसियत होनी चाहिए ? क्या सांप्रदायिकता का जो वायरस राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक समूहों, मीडिया में तेज़ी से फैलता चला गया, वह अब न्यायतंत्र को भी खोखला करने में लग गया है ? इलाहाबाद फ़ैसले से भाजपा नेताओं के चेहरे पर जो उल्लास छिपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद छलक आ रहा है, उसके पीछे कहीं यह आश्वस्ति तो नहीं है कि यह फ़ैसला आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने वाले अपराधियों के पक्ष में फ़ैसला लाने में मददगार साबित होगा ? अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1949 में मंदिर में मूर्ति रखी जाने वाली घटना को या 1992 में बाबरी मस्जिद गिराये जाने की घटना को अपराध नहीं मानता तो ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों के फ़ैसले न केवल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदि के लिए वरदान साबित होंगे बल्कि 'काशी-मथुरा बाक़ी है' नारे को आगे ले जाने में भी मददगार ही साबित होंगे । मुस्लिम समुदाय अगर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्चतम न्यायालय में अपील करता भी है तो कुछ लोगों को लगता है कि उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है । इलाहाबाद का फ़ैसला निश्चय ही एक विचारणीय फ़ैसला है–उन सबके लिए जो बहुलतावादी सामाजिक ढांचे को मज़बूत बनाने में यक़ीन रखते हैं ।

HINDUSTAN TRAVELS

Prop.
ABDUL RASHID
Mob : 9425254335



Ambikapur to Bilaspur 4:30 (Morning)
Vishrampur to Bilaspur 4:25 (Morning)
Raipur to Ambikapur 9:20 (Night)

Address : Implipara, Ambikapur, Surguja-497001 (C.G)

और जो कोई
अल्लाह और उसके
रसूल (सल्ल०) की
आज्ञा का पालन करे और
अल्लाह से डरे और उसकी
सीमाओं का ख़्याल रखे,
तो ऐसे ही लोग
सफल हैं ।
(क़ुरआन, 24:52)

Z. I. SHAHID
37, Memon Wada Road, IInd Floor,
Bombay Paints Wales, Mumbai-400003



❖ जी॰ हसनैन कैफ़ नौगांवी

मुग़ल साम्राज्य के पहले सम्राट मुहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर के एक गवर्नर मीर बाक़ी ने सन 1528 ई॰ में अयोध्या में एक खुले स्थान पर एक मस्जिद बनवायी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। बाबरी मस्जिद के मुख्य द्वार पर लगे एक शिलालेख में फ़ारसी भाषा में यह विवरण अंकित है।

विश्व हिन्दू परिषद आदि का यह आरोप कि बाबर ने अपने सामने गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य के मंदिर को तुड़वा कर उसी के मलबे से उसी स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, बिल्कुल झूठ और निराधार है। बाबर ने अपनी जीवनी "तुज़्के बाबरी" में यह लिखा है कि "वह अयोध्या कभी नहीं गया।" ज्ञात हो कि 'तुज़्के बाबरी' दुनिया के दस श्रेष्ठतम ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक मानी जाती है। समस्त विश्वसनीय इतिहासकारों ने इसे स्वीकार किया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के निराधार आरोप को न केवल सभी मुस्लिम व ग़ैर-मुस्लिम इतिहासकारों ने नकार दिया है, बल्कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट

अयोध्या और उसके आस-पास की खुदाई से संबंधित एक रिपोर्ट इंडियन जरनल ऑफ़ आरक्यालोजी (1976-77) में प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि जहां मस्जिद बनी थी उसके आस-पास कोई आबादी नहीं थी, अर्थात वहां श्रीराम का जन्मभूमि होना और राजा विक्रमादित्य द्वारा जन्मभूमि का निर्माण करना ग़लत और निराधार सिद्ध होता है।

आरक्यालोजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के पूर्व निदेशक श्री बी॰बी॰ लाल और के॰एन॰ दीक्षित द्वारा जारी की गयी खुदाई रिपोर्ट को अंग्रेज़ी साप्ताहिक 'सन डे' ने 28 मार्च-2 अप्रैल 1988 के अंक में प्रकाशित किया था। वह रिपोर्ट भी विश्व हिन्दू परिषद के वक्तव्यों को पूरी तरह नकारती है और मुसलमानों के पक्ष का समर्थन करती है।

इतिहासकारों की राय

लगभग सभी प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक इतिहासकारों (मुस्लिम व ग़ैर-मुस्लिम) ने इस आरोप का ज़ोरदार खंडन किया है कि मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ था । पूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ राधाकृष्णन के सुपुत्र और प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफ़ेसर एस॰ गोपाल ने 18 दिसम्बर 1989 को मद्रास में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि "अभी तक इस दावे का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि बाबरी मस्जिद उस स्थान पर निर्माण की गयी थी जहां पहले एक मंदिर था ।" उनका भाषण "इंडियन एक्सप्रेस" के बंगलौर एडीशन में 20 दिसम्बर 1989 के अंक में प्रकाशित हुआ था । प्रोफ़ेसर गोपाल ने ज़ोर देकर कहा था कि "अयोध्या में आज तीस ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे राम जन्मभूमि हैं ।"

प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो॰ रामशरण शर्मा ने अपने शोधग्रंथ "साम्प्रदायिकता का इतिहास और राम की अयोध्या" (जिसे 'पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस' ने मई 1990 में प्रकाशित किया है) में लिखा है कि : "मेरी खोज यह है कि इन लोगों के इस दावे की पुष्टि में कण मात्र के भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि अयोध्या में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में कोई राम मंदिर निर्माण किया गया था जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनायी । पुरातत्व विभाग की खुदाई से भी इसका कोई सबूत नहीं मिला ।"

इसी से मिलते-जुलते विचार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन केन्द्र में 24 इतिहासकारों और विद्वानों ने अपने संयुक्त बयान में प्रकट किये हैं । यह बयान अंग्रेज़ी साप्ताहिक "रेडियंस" (14 जनवरी 1990) सहित अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 17 अगस्त 1990 के एक भाषण में इस बात पर मातम करते हुए कहा था कि पूरे देश में हिन्दू इस समस्या (बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि) पर आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु बुद्धिजीवी हिन्दू मंदिर के पक्ष में नहीं हैं । आडवाणी की यह स्वीकारोक्ति स्वयं उनके दावे को ग़लत और निराधार सिद्ध करती है ।

महान रामभक्त तुलसीदास ने "रामचरितमानस" में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि राम मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद बनायी गयी थी । बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय उनकी आयु 30 वर्ष थी । ज्ञात हो कि सन 1528 में जब बाबरी मस्जिद बनी थी तो तुलसीदास की आयु 30 वर्ष थी । वे अयोध्या में रहे । वहीं उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'रामचरितमानस' की रचना की । यदि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ होता तो राम का यह महान भक्त अपनी पुस्तक में इस घटना का उल्लेख अवश्य करता । ज्ञात हो कि तुलसीदास सम्राट अकबर के समकालीन थे । सम्राट अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष और हिन्दू दोस्त शासक के रूप में ही देखा जाता है । यदि उपरोक्त दावा सही और सच्चा होता तो तुलसीदास अकबर से कहकर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा देते ।

तथाकथित हिन्दुत्ववादियों ने बाबर के विरुद्ध चरित्र हनन की मुहिम चला रखी है और उसे अत्याचारी, विदेशी हमलावर, संकीर्ण मानसिकता वाला एवं मंदिर के विध्वंसक के रूप में पेश किया जाता है । हालांकि इतिहास साक्षी है कि बाबर उदार, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख को सर्वोपरि मानने वाला शासक था । इतिहासविद बाबर की उदारता, न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता को ख़ूब सराहते हैं । शेर सिंह और सुरेन्द्र कौर द्वारा दो खंडों में प्रकाशित पुस्तक 'द सेक्यूलर इम्पेरर बाबर' इस विषय में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही उपयुक्त पुस्तक है ।

बाबर की वसीयत

बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत की थी कि उसके द्वारा किसी धार्मिक स्थल विशेष कर मंदिर को क्षति न पहुंचे । बल्कि उसे धार्मिक और आध्यात्मिक केन्द्रों को यथासंभव अनुदान देना चाहिए और न्याय द्वारा प्रजा का मन मोह लेना चाहिए । ऐसा चरित्र रखने वाला कोई व्यक्ति हिन्दुओं के एक पवित्रतम स्थान को ध्वस्त करने या करवाने की मूर्खता कैसे कर सकता है ? यदि बाबर सचमुच धार्मिक उन्माद से ग्रस्त था तो उसे ग्वालियर, जयपुर और बद्रीनाथ आदि स्थानों के प्राचीन मंदिरों को ज़रूर तोड़ना चाहिए था, लेकिन उसने उन मंदिरों को नहीं तोड़ा ।

अंग्रेज़ों की चाल

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने एक नियोजित षड्यंत्र के तहत इतिहास में ऐसी काल्पनिक दंतकथाओं को शामिल करना शुरू किया, जिससे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच घृणा एवं द्वेष का वातावरण पैदा हो । घृणा प्रसार की इस मुहिम में उन्हें कुछ लालची भारतीयों का समर्थन भी मिल गया ।

ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई में हिन्दू व मुसलमान दोनों बराबरी के भागीदार थे । दोनों समुदायों की एकता ब्रिटिश साम्राज्य के हित में नहीं थी । दोनों समुदायों के बीच एकता का एक लंबा इतिहास था । इस एकता को नष्ट करने और भविष्य में उनको आपस में लड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और दोनों के बीच विष घोलने में सफल हुई । जब तक उस विष को निकाला न जाएगा, भारत तड़पता ही रहेगा ।

1885-86 का मुक़दमा

1885-86 में फ़ैज़ाबाद के सब-जज पंडित हरिकृष्ण की अदालत में महंत रघुवीर दास और उनके साथियों ने एक मुक़दमा दायर किया कि बाबरी मस्जिद के बाहरी अहाते में मस्जिद की अस्ल इमारत से 95 क़दम पर जो एक चबूतरा है वह राम जन्मभूमि है । इसलिए उस चबूतरे पर एक छोटा-सा राम मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की जाए । सब-जज पंडित हरिकृष्ण ने उनके इस दावे को रद्द कर दिया और मुक़दमा ख़ारिज हो गया ।

अवैध क़ब्ज़ा

22 दिसम्बर 1949 की रात को मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला तोड़कर उपद्रवी अन्दर घुस गये और मस्जिद के मिम्बर पर मूर्तियां रख दी और भजन-पूजन शुरू कर दिया । लोगों में यह अफ़वाह फैलायी गयी कि मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई हैं । फ़ज्र की नमाज़ के समय नमाज़ियों को इसका ज्ञान हुआ । मस्जिद के मुतवल्ली (ट्रस्टी) आदि ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी । थानेदार मस्जिद पहुंचे तो भारी संख्या में उपद्रवी वहां मौजूद थे । सिपाही कम थे, इसलिए घटना स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी । जांच रिपोर्ट डी॰एस॰पी॰ और ज़िला कलेक्टर को दे दी गयी । ये अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे । ज़िला कलेक्टर नैयर जो स्वयं इस षड्यंत्र में भागीदार थे, ने मूर्तियां हटाकर मुसलमानों को मस्जिद का क़ब्ज़ा नहीं दिलवाया, बल्कि मस्जिद में ताला डलवा दिया गया और मुसलमानों को क़ब्ज़े के लिए अदालत का द्वार खटखटाने की सलाह दी गयी । विदित रहे कि बाद में मिस्टर नैयर कलेक्टर के पद से सस्पेंड कर दिये गये । फिर वे स्वयं राज़ीनामा देकर नौकरी से अलग हो गये ।

अयोध्या के सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता स्वामी अक्षय ब्रह्मचारी ने मस्जिद पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा दिलाने के उद्देश्य से मस्जिद के सामने आमरण अनशन शुरू किया, जिसे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने इस आश्वासन के साथ उनका अनशन तुड़वा दिया कि "मस्जिद मुसलमानों के हवाले कर दी जाएगी ।" दिल्ली की एक प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने सारी हक़ीक़त खोलकर रख दी । लेकिन भारतीय प्रेस ने उनके इस महत्वपूर्ण बयान को कोई अहमियत न दी और केवल गिनती के कुछ अख़बारों में उनका यह बयान प्रकाशित हुआ ।

विवश होकर मुसलमानों ने अदालत का द्वार खटखटाया । सुन्नी औक़ाफ़ बोर्ड ने भी मुक़दमा दायर किया । कुछ हिन्दुओं ने भी जवाबी मुक़दमा किया । मस्जिद को उपद्रवियों के पंजे से छुड़ाकर मुसलमानों को वापस कराने और न्याय के तक़ाज़ों को पूरा करने का सीधा-साधा मामला क़ानूनी दाव पेंच में उलझकर रह गया । अनाधिकृत क़ब्ज़े को चालीस वर्ष बीत गये । इस लंबी अवधि में धार्मिक कट्टरपन और राजनीतिक अवसरवाद ने बुरी तरह दख़लअंदाज़ी शुरू कर दी । देश की साम्प्रदायिक शक्तियों ने सत्ता पर अपना अधिपत्य जमाने के उद्देश्य से इसे देश की सबसे बड़ी और नाज़ुक भावनात्मक समस्या का रूप दे दिया ।

सन 1986 में स्थिति और भी विस्फोटक हो उठी । 2 फ़रवरी 1986 को फ़ैज़ाबाद ज़िला जज श्री पांडे की अदालत में एक युवा वकील श्री पांडे ने अर्ज़ी पेश की कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया जाए और वहां रखी मूर्तियों की पूजा की हिन्दुओं को अनुमति दी जाए । जज श्री पांडे ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देकर बुलाए बिना और न्याय की उचित कार्रवाई किये बिना तुरंत अंतरिम आदेश (Interim Order) दे दिया कि मस्जिद को हिन्दुओं के हवाले कर दिया जाए । मस्जिद में पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन होते दूरदर्शन पर विशेष रूप से दिखाए गये ।

इस ग़लत और ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाई के विरुद्ध दूसरे ही दिन यानी 3 फ़रवरी 1986 को मुसलमानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष बेंच के सामने एक रिट याचिका दायर की कि स्थिति ज्यों की त्यों रखी जाए । यह याचिका बेंच के सामने है और 3 फ़रवरी 1986 का आदेश अमल में है । स्वयं को हिन्दू राष्ट्रवाद का समर्थक बताने वाले इस अंतरिम आदेश को बाबरी मस्जिद के मंदिर होने का अदालती फ़ैसला बता रहे हैं । हालांकि यह अदालत का फ़ैसला नहीं है और न ही इस अंतरिम आदेश में बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि मंदिर कहा गया है । जब तक यह

मुक़दमा सुनवायी के लिए हाईकोर्ट में है नीचे की अदालत को ऐसा फ़ैसला देने का अधिकार भी नहीं है । भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक विवादग्रस्त इमारत जो सरकारी तहवील में हो और सरकारी रिसीवर के हाथों में हो और जिसकी मिल्कियत का फ़ैसला न हुआ हो उसे कोई कोर्ट के फ़ैसले से पहले एक ज़िला जज के अन्यायपूर्ण और पक्षपात भरे अंतरिम आदेश द्वारा किसी एक पार्टी को दे दिया जाए । ऐसे जज के विरुद्ध तो क़ानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, परन्तु स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वाले उस ज़िला जज के समर्थन में आन्दोलन चला रहे हैं कि उन्हें हाईकोर्ट का जज बना दिया जाए । यह बात भी कितनी हास्यस्पद है कि ज़िला जज के एक अंतरिम आदेश को फ़ैसला बताकर सब लोगों को उसे मान लेने का आग्रह करने वाले स्वयं हाईकोर्ट के फ़ैसले को न मानने की घोषणा कर रहे थे ।

राम जन्मभूमि

इन सारे शोर-शराबे और हिंसक घटनाओं में यह सच्चाई नज़रों से ओझल होती जा रही है कि अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद से काफ़ी दूर उत्तर दिशा में शताब्दियों से एक मंदिर है जो राम जन्म मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है । भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की 1962-63 के सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस मंदिर का उल्लेख कुछ इन शब्दों में किया गया है– ''ट्रेटाका ठाकुर के पीछे लक्ष्मण घाट के निकट चौथाई मील की दूरी पर शहर के मध्य में राम जन्मस्थान मंदिर खड़ा है । यह ऐतिहासिक मंदिर राम जन्मस्थान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ।''

विश्व हिन्दू परिषद सहित किसी भी हिन्दू संस्था या संगठन ने इस मंदिर के श्रीराम के जन्मस्थान मंदिर होने के दावे की चुनौती नहीं दी है । इस मंदिर के पुरोहित एवं पुजारी महंत जानकी जीवन दास हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है । वे इस दावे का खंडन करते हैं कि बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि है । इससे यह सिद्ध होता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से चौथाई मील की दूरी पर स्थित है, जहां आज भी राम भक्तों का मेला लगा रहता है ।

आरोप और आपत्तियां

(1) बाबरी मस्जिद की ऐतिहासिक इमारत को मंदिर साबित करने के लिए बहुत ज़ोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है कि इसमें कुछ स्तंभ हैं जिन पर मूर्तियां व कमल आदि के चिन्ह अंकित हैं । और यह कि ये सब विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मंदिर के स्तंभ हैं । बाबरी मस्जिद की इमारत में लगे ये खंबे केवल सात फिट ऊंचे हैं । उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग सी-4 जांच रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि ये साढ़े चार सौ या पांच सौ वर्ष पुराने हैं और बाबरी मस्जिद को बने हुए भी लगभग उतना ही समय हुआ है ।

सन 1949 में मुसलमानों द्वारा जो तस्वीरें ली गयी थीं, उनमें वे मूर्तियां या नक्काशी के काम नहीं हैं । इससे यह भी पता चलता है कि ये कारस्तानी बाद की है ।

(2) लोगों को भ्रमित करने के लिए यह ग़लत प्रचार भी किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद में चूंकि मीनार नहीं थी, इसलिए उसे मस्जिद नहीं माना जा सकता । मस्जिद में मीनार होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है । भारत के गांव-गांव में सैकड़ों ऐसी मस्जिदें मिल जाएंगी, जिनमें मीनार या गुंबद नहीं है । हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में कोई मीनार नहीं है । मदीना मुनव्वरा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक फ़त्ह मस्जिद में कोई मीनार नहीं है ।

(3) साधारण लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह अफ़वाह भी फैलायी जा रही है कि शाहबानो केस और राम मंदिर विवाद समान है । विदित रहे कि शाहबानो केस हिन्दू मंदिर पर मुसलमानों के ग़ैर-क़ानूनी क़ब्ज़े का केस नहीं है बल्कि इस्लाम की व्याख्या के अधिकार का केस है । आलिमों द्वारा जो व्याख्या की जाती है उसे स्वीकार किया जाए या जज जो व्याख्या करे वह मान्य हो ।

भारत के तमाम मुसलमानों ने इसका विरोध किया था कि इस्लाम क्या है, क्या नहीं है की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट का जज करे । सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम की व्याख्या का अधिकार नहीं है । स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस से पहले एक मशहूर केस कृष्णा सिंह बनाम मथुरा अहीर (ए०आई०आर० 1980 सुप्रीम कोर्ट 707-712) में यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के अनुसार अदालतों को सामाजिक एवं धार्मिक क़ानून में संशोधन करने या व्याख्या करने का अधिकार नहीं है । परन्तु अपने इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के शरीअत क़ानून में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गयी ।

(4) इसी प्रकार बाबरी मस्जिद विवाद और पवित्र क़ुरआन पर प्रतिबंध लगाने की बाबत कलकत्ता हाईकोर्ट के

फ़ैसले को समान बताकर जनसाधारण को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिन्दुओं को यह विश्वास रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है । यह एक धार्मिक विश्वास का प्रश्न है जिस पर फ़ैसला देने का अधिकार अदालत को नहीं है ।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क़ुरआन शरीफ़ पर प्रतिबंध लगाने के दावे पर यह फ़ैसला दिया था कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी अदालत के बुनियादी धार्मिक ग्रंथों पर टीका-टिप्पणी करने और उन पर फ़ैसला देने का अधिकार नहीं है । अब बुनियादी धार्मिक ग्रंथों के स्थान पर ''बुनियादी धार्मिक विश्वासों'' की बात कहकर लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है ।

(5) यह झूठा प्रचार भी ज़ोर-शोर से किया जा रहा है कि मुस्लिम शासकों ने अनेक मंदिरों को तोड़ा था और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवायी थीं । अनेक हिन्दू व सिख इतिहासकार इन आरोपों का खंडन करते हैं । यदि यह आरोप सच होता तो भारत में हज़ारों वर्ष पुराने मंदिरों का अस्तित्व ही न होता । इस संदर्भ में सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख किया जाता है और बार-बार यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि बाबरी मस्जिद भी किसी मंदिर को तोड़कर बनायी गयी थी । इतिहास साक्षी है कि सोमनाथ पर आक्रमण धर्म-प्रचार या धन-प्राप्ति के उद्देश्य से ही नहीं किया गया था बल्कि उसके मूल में पुरोहितों और पंडों द्वारा महिलाओं के शोषण को रोकना भी था । अन्यथा महमूद ग़ज़नवी को सोमनाथ मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाने से किसने रोका था ।

सच्चाई यह है उपरोक्त सभी आरोप निराधार हैं । बाबरी मस्जिद का मामला इन सभी से भिन्न है । सभी व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले इतिहासकार इस आरोप का खंडन करते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनायी गयी थी । इसके विपरीत ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को जागीरें और सम्पत्तियां प्रदान की थीं और उन मंदिरों के लिए सरकारी वज़ीफ़े (अनुदान) जारी किये गये थे ।

भारत में मुस्लिम शासन के हज़ारों वर्षों के इतिहास में केवल कुछ मंदिरों के तोड़े जाने की घटनाएं मिलती हैं, परन्तु हिन्दू काल में बौद्धों के हज़ारों मंदिर तोड़े जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं । भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासविद प्रो॰ दामोदर धर्मानंद कोसंबी, हंस मुखिया, पंडित कल्हण आदि ने इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । गुप्त वंश के राजा नरेन्द्र ने जब मगध पर आक्रमण किया था तो कई बौद्ध मंदिरों को लूटा और बर्बाद कर दिया था । प्राचीन भारत का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी' में पंडित कल्हण ने लिखा है कि राजा जय सिंह ने श्रीनगर के निकट अरिगोन के समस्त बौद्ध मंदिरों और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़-फोड़ डाला था । पंडित कल्हण ने राजा हर्ष के बारे में लिखा है कि राजा हर्ष ने न केवल कश्मीर के बल्कि पूरे देश के ग्रामों, क़स्बों और नगरों के समस्त बौद्ध विहारों और बुद्ध प्रतिमाओं एवं अन्य मूर्तियों को राज्य के बलबूते पर तोड़ दिया था ।

आज़ादी के बाद हुए मुस्लिम विरोधी दंगों में सैकड़ों मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों को जलाया और तोड़ा गया है । अकेले भागलपुर में चालीस मस्जिदों को तोड़कर जला दिया गया है । राष्ट्रवाद और देशप्रेम का दावा करने वालों को अपनी प्राचीन और आधुनिक गतिविधियों पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए ।

मारूफ़
शू पैलेस
जी॰ई॰ रोड, बस स्टैंड, बी॰एम॰वाई॰
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस॰के॰ इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786

ڈائریاں اور کیلنڈر-2011

شب و روز (ڈائری)

• ہر صفحے پر قرآنی آیات واحادیث رسولؐ، انبیاء کرام، صحابہ عظام اور بزرگان سلف کے سبق آموز اقوال، معتبر شعرا کے تعمیری، فکرانگیز اور رگِ احساس کو پھڑکا دینے والے اشعار • شروع وآخر کے ۶۴ صفحات پر اہم ودل چسپ معلومات، مسنون دعائیں، خطباتِ جمعہ ونکاح اوران کا ترجمہ، قربانی، عقیقے، نمازِ جنازہ اور استخارے کی ماثورات • فہرست تعطیلات • مولانا عامر عثمانی ؒ کی ایک پرسوز نظم ''جشنِ آزادی'' • اردو اکادمیوں اور مختلف دینی جماعتوں کے پتے اوران کے فون نمبر • مختلف شہروں کے لیے فون کے STD کوڈ • پوسٹ آفس سے متعلق ضروری قواعد وضوابط • انسانی حقوق کی سرکاری وغیر سرکاری تنظیموں، مرکزی حکومت کے امدادی اداروں، حق اطلاعات اور آن لائن اسلامی وتعلیمی معلومات کی اہم ویب سائٹ • مکتبہ کی تعلیمی وتربیتی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کی فہرست • اقلیتی ترقیاتی ومالیاتی کارپوریشن کے پتے • خاص سفارت خانوں کے پتے • لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مسلم ممبروں کی فہرست کے علاوہ بہت ساری دوسری معلومات سے مزین ایک دل چسپ ومفید ڈائری۔
صفحات: ۴۳۲ نفیس کاغذ دیدہ زیب ٹائٹل۔

اسلامی ڈائری (پاکٹ سائز)

• ہر صفحہ قرآنی آیات، احادیثِ رسولؐ، بزرگوں کے اقوال اور بزرگ وتعمیر پسند شعرا کے تعمیری وفکرانگیز اشعار سے مزین
• ۲۵ صفحات پر مشتمل اہم اور ضروری معلومات۔ • کل صفحات: ۲۰۸ • نفیس اور عمدہ کاغذ۔

کیلنڈر

• چار رنگوں پر مشتمل سفید میٹ پیپر پر نفیس طباعت • ہر صفحے پر منتخب قرآنی آیات کے اردو، ہندی اور انگریزی تراجم کے ساتھ ایک دیدہ زیب کیلنڈر • ۳ ورقی دوطرفہ طباعت، قرآنی آیات کے دل کش طغرے اور ہر مہینے کی تاریخیں نمایاں حروف میں۔

آندھراپردیش کے خریداران مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کے **سب ڈپو چھتہ بازار** حیدرآباد سے رجوع کریں

MMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) • Fax: 26947858 • E-mail:mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

बाबरी मस्जिद मुसलमानों को सौंप दें, मंदिर कहीं और बनाएं

बाबरी मस्जिद केस में न्यायालय, सरकार और कट्टरवादी हिन्दू संगठनों ने शुरू से ही अन्याय का रास्ता अपनाया है। जबकि भारत वर्ष के मुसलमानों ने इस मुद्दे पर सदैव धैर्य, उदारता का परिचय दिया है और न्यायालय व सरकार दोनों पर भरोसा किया है। मुस्लिम समुदाय ने कट्टरवादी हिन्दुओं के सभी समूहों से बार-बार बातचीत की है, लेकिन कट्टरवादी हिन्दुओं ने सदैव बहुसंख्यक होने के घमंड में हठधर्मिता और ज़िद का परिचय दिया और बातचीत असफल होती रही। बाबरी मस्जिद का सन 1528 ई॰ में निर्माण हुआ और तभी से 22 दिसम्बर 1949 तक यानी पूरे 421 वर्ष तक मुस्लिम समुदाय पाबन्दी के साथ व शान्तिपूर्वक रोज़ाना पांच बार नमाज़ अदा करता रहा।

23 दिसम्बर सन 1949 ई॰ की रात को बाबरी मस्जिद में फ़ैज़ाबाद के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के॰के॰ नय्यर ने मजिस्ट्रेट के धर्म का पालन न करके मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात करते हुए प्रशासन की मिलीभगत से चोरी से मूर्तियां रखवा दी गयी और फिर अन्यायपूर्ण तरीक़े से न्यायालय का सहारा लेकर मस्जिद में ताला डलवा दिया गया। धर्म के नाम पर अधर्म का काम किया गया और फिर 1984 ई॰ में देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा गया और न्यायालय ने पुनः पक्षपात का रवैया अपनाते हुए 1986 ई॰ का ताला खुलवा दिया और धर्म की आड़ लेकर वोट की राजनीति का खेल खेला गया।

अनर्थ तो तब हो गया जब 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और प्रशासन व महान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की न्याय व्यवस्था व प्रशासन मूकदर्शक बने रहे और अल्पसंख्यक समुदाय बेबस होकर देखता रहा और इस उम्मीद पर मुस्लिम समुदाय से शान्ति की अपील करता रहा कि न्यायालय से हमें इन्साफ़ मिलेगा, लेकिन जब 30 सितम्बर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद



ने तमाम प्रमाण व न्याय व्यवस्था के मापदंडों व सिद्धांतों को ताक़ पर रखकर आस्था व ज़बरदस्ती क़ब्ज़े को फ़ैसले की बुनियाद बना दिया । यह सब दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था में भी कट्टरवादी हिन्दू जगह बना चुके हैं जो राष्ट्र के लिए ख़तरनाक है । कट्टरवादी हिन्दुओं ने आस्था का दावा करके मुसलमानों की ओर से समझौते के किये गये सभी प्रयासों को नाकाम किया और हद तो तब हो गयी, जब राज्य व केन्द्र सरकारों दोनों ने केवल तमाशायी बनकर राम मंदिर आन्दोलन को ताक़त प्रदान की ।

बाबरी मस्जिद की राष्ट्रीय समस्या के न्यायपूर्ण व ठोस समाधान के लिए ज़रूरी है कि हर न्यायवादी हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई राजनैतिक पक्षपात, साम्प्रदायिकता और संकीर्णता से ऊपर उठकर न्याय के पक्ष में आवाज़ को बुलन्द करें और प्रशासन या न्यायालयों द्वारा किये गये अन्यायपूर्ण आदेशों का विरोध कर इस केस को देश के माननीय उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह आशान्वित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय मुस्लिम समुदाय के दर्द को समझेगा और उसे दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का षड्यंत्र जो कट्टरवादी हिन्दू संगठन कर रहे हैं उसे रोकेगा और यदि ऐसा न किया गया तो भारतवर्ष के अल्पसंख्यक मुसलमानों का भरोसा संविधान व न्यायपालिका से भी उठ जाएगा जो संसार की उभरती महाशक्ति भारत को कमज़ोर करेगा । देश के मुसलमानों ने भी देश को महान शक्ति बनाने में अपना ख़ून-पसीना बहाया है । देश पहले ही कट्टरवादी हिन्दू मानसिकता के कारण एक बार बंटवारे का दर्द झेल चुका है ।

कुछ लोग इस समस्या का समाधान बातचीत द्वारा करने की बात करते हैं साथ ही अड़ियल रवैया अपनाते हुए अपनी ही बात मनवाने की धौंस भी देते हैं और मुट्ठी भर कट्टरवादी हिन्दू संगठन जो मात्र तीन प्रतिशत हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वयं किसी भी प्रकार की उदारता नहीं दिखाते और मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही उदारता दिखाने की मांग करते हैं । कहते हैं कि मुसलमान बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिन्दुओं को सौंप दें और मुट्ठी भर कट्टरवादी हिन्दू संगठन साम्प्रदायिकता भड़काकर देश की सत्ता पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं ।

देश के समस्त न्यायप्रिय नागरिकों को एकजुट होकर इस घिनौने अनैतिक कार्य की भर्त्सना करनी चाहिए और इस समस्या का बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक समाधान निकालने के लिए ज़रूरी है कि साम्प्रदायिकता भड़काने का सिलसिला तुरंत बन्द किया जाए और प्रमाणों के आधार पर बात की जाए । झूठे आत्म सम्मान व वोट की राजनीति का खिलौना इसे न बनाया जाए ।

हिन्दू धर्म के अनुयायी रामचन्द्र जी के आदर्श त्याग व बलिदान को सामने रखकर बाबरी मस्जिद की ज़मीन को खुले दिल से उदारता का परिचय देते हुए मुसलमानों को सौंप दें । जिससे की पुरानी ग़लतियों का प्रायश्चित हो सके और कहीं अन्यत्र रामचन्द्र जी का भव्य व विशाल मंदिर भी बनाया जाए और देश का मुसलमान इस मंदिर के बनाने में यथोचित सहयोग भी करेगा । इससे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द क़ायम होगा और हिन्दू धर्म में आस्था रखने वालों का सम्मान विश्व में बढ़ेगा और विश्व में धार्मिक सद्भाव का संदेश भी भारत से जाएगा ।

विजेन्द्र कसाना
(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट), ग़ाज़ियाबाद, उ०प्र०



ज़ख़्म भरने के लिए सच के नश्तर की ज़रूरत



योगेन्द्र यादव
(वरिष्ठ सामाजिक चिंतक)

आपका दोस्त इस घड़ी में भी फच्चर लगाने से बाज़ नहीं आया । शिकायत मेरे बारे में थी और मुझे ही सुनायी जा रही थी । संदर्भ 30 सितंबर 2010 की शाम का था ।

टी॰वी॰ में सभी न्यूज़ चौनलों पर लखनऊ उच्च न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत हो रहा था, बीती को भुलाकर अब आगे बढ़ने का आह्वान हो रहा था ।

लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग "मैं न मानूं" का राग अलाप कर टी॰वी॰ स्टूडियो का माहौल बिगाड़ने पर तुले थे । मेरे दोस्त का आस्थावान रिश्तेदार उनसे फ़ोन कर पूछ रहा था कि मेरे जैसे लोग रंग में भंग क्यों करते हैं ।

मैं पलटवार कर सकता था । याद दिला सकता था कि रथ यात्रा के दौरान यही आडवाणी जी कहते थे कि आस्था का मामला किसी भी कोर्ट-कचहरी से ऊपर है । पूछ सकता था कि न्यायालय के निर्णय के प्रति इतनी श्रद्धा कब से पैदा हुई ?

कहां गयी थी यह श्रद्धा 6 दिसंबर, 1992 को, जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ायी जा रही थीं ?

फिर मैंने सोचा कि दूसरे जो भी करें, कम से कम मेरे जैसे लोगों को तो कोर्ट-कचहरी का सम्मान करना चाहिए ।

कई सवाल

मैं कई क़ानूनी तर्क गिना सकता था । पिछले दस दिनों में पूर्व-जज राजिंदर सच्चर और अहमदी और राजीव धवन, प्रशांत भूषण और नूरानी साहब जैसे क़ानूनविदों ने तमाम सवाल पूछे हैं, जिनका कोई जवाब उच्च न्यायालय के फ़ैसले में नहीं है ।

मिल्कियत का फ़ैसला करने के बजाय संपत्ति के बंटवारे की बात कहां से आयी ? अगर वक़्फ़ बोर्ड का दावा ग़लत है तो उन्हें एक-तिहाई हिस्सा भी क्यों दिया गया ? उच्च न्यायालय इतिहास के उस सवाल में गया ही क्यों जिसका जवाब देने से सर्वोच्च न्यायालय ने तौबा कर ली थी ? आस्था का एहसास यकायक मिल्कियत का दावा कैसे बन जाता है ? क्या अब से यह छलांग लगाने की इजाज़त सबको मिलेगी ? या कोर्ट-कचहरी यह सुविधा उन्हीं को देगी जिनके पीछे लाखों की भीड़ हो, जिनके हाथों में त्रिशूल हो और जिनके माथे पर तिलक हो ?

इस बीच पिताजी का फ़ोन आता है । मैं उन्हें यह सब क़ानूनी तर्क तफ़सील से समझाता हूं ।

पिताजी कहते हैं : "बेटा, हो सकता है, क़ानूनी हिसाब से यह फ़ैसला सही न हो । लेकिन किसी को तो इस झगड़े को ख़त्म करना था । कोर्ट ने कम-से-कम एक रास्ता तो दिखाया है ।"

उनकी बात से मुझे वह शिकायत समझ आयी जिसका ज़िक्र शुरू में किया गया है । कुछ लोग यह चाहते हैं कि इस फ़ैसले की ज़्यादा चीर-फाड़ न की जाए । अगर कुछ तकनीकी गड़बड़ी है भी तो उसे ढका रहने दिया जाए । बस अब इस मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जाए ।

दरअस्ल मुझे इसी मानसिकता पर एतिराज़ है । अयोध्या विवाद ने इस देश का मन तोड़ा है । लाखों-करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों के मन में ज़हर घोला है, बैर के बीज बोये हैं । ऐसे गहरे ज़ख़्म ऊपरी पोछा-पट्टी से भर नहीं जाएंगे ।

आज हम अपना मन भले ही बहला लें कि यह फोड़ा हमारी आंखों से ओझल हो गया है, लेकिन इलाज किये बिना यह फोड़ा नासूर बन सकता है । एक दिन ऐसी शक्ल में फूट सकता है, जो पहले से भी ज़्यादा ख़ौफ़नाक हो ।

अयोध्या विवाद से टूटे दिलों को जोड़ना है तो सबसे पहले सच बोलने की हिम्मत करनी होगी ।

सच क्या है ?

सच यह है कि जहां आज रामलला विराजमान हैं वहां सैंकड़ों वर्षों से एक मस्जिद थी । यह भी सच है कि लंबे अरसे से वहां के हिंदुओं की आस्था रही है कि वह राम जन्मभूमि है । इस पुराने झगड़े का हिंदू-मुसलमानों ने अपने तरीक़े से हल निकाल रखा था । गुम्बद में मुसलमान नमाज़ अदा करते थे तो चबूतरे पर हिंदू आरती करते थे ।

सच का सबसे कड़वा पहलू यह है कि विभाजन के बाद से कम से कम तीन बार (पहले 1949 में, फिर 1986 और अंत में 1992 में) प्रशासन की मिलीभगत का फ़ायदा उठा कर हिंदू नेताओं ने क़दम-दर-क़दम मुसलमानों को वहां से बेदख़ल कर दिया ।

अब तक की न्याय-प्रक्रिया में ठगा महसूस कर रहे मुसलमानों से आज उदारता की मांग करना बेमानी है । इसलिए अब सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है । सरकार की नाक के नीचे एक विवादित मस्जिद को धक्के से मंदिर में बदल दिया गया । इस ज़ोर-ज़बरदस्ती से अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने के बजाए कोर्ट-कचहरी ने भी इस पर मुहर लगा दी ।

बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्था को बचाने के लिए क़ानून, संविधान और देश में आस्था को दांव पर लगा दिया गया । इस सच को स्वीकार किये बिना अयोध्या मामले में कोई मध्यस्थता टिकाऊ नहीं हो सकती ।

आंसू न पोंछने वाला फ़ैसला

अयोध्या मसले पर उच्च न्यायालय के फ़ैसले से मेरा असली एतिराज़ यह नहीं है कि उसका बंटवारा सही नहीं है या कि उसके क़ानूनी तर्क नाकाफ़ी हैं । मेरी परेशानी यह है कि सच इस फ़ैसले से गुम हो गया है । मेरी पीड़ा यह है कि यह फ़ैसला उन आंखों के आंसू नहीं पोंछता जो 6 दिसम्बर, 1992 को भीगी थीं ।

उम्मीद करनी चाहिए कि न्याय के सबसे ऊंचे पायदान पर सच बोलने में किफ़ायत बरतने की मजबूरी नहीं होगी । मुसलमान को यह भरोसा होगा कि उसे इस देश में किरायेदार नहीं समझा जाता ।

इस विशेषांक के प्रकाशन पर मुबारकबाद

MUKHTAR MEDICOS

(UNANI & AYURVEDIC MEDICINE CENTRE

7/3, Gas Street (Raja Bazar)
Kolkata-700009
Mb. : 9831168315

बाबरी मस्जिद बनाम बाबरनामा

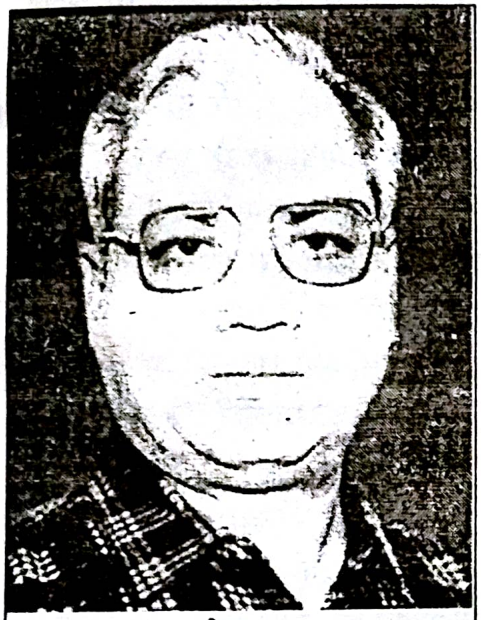

डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात

प्रतिवर्ष 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद चर्चा का विषय बन जाती है और बनती रहेगी। इस बार इसे 1992 में बम से उड़ाने की और बाद में उससे मुकरने की बात भी सामने आयी। इस दौरान अन्य अनेक बातें भी उभर कर सामने आयी हैं।

जिस तरह तुलसीदास के साहित्य से बाबरी मस्जिद के राम मंदिर को कथित तौर पर नष्ट करके निर्मित होने की कथा की पुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार बाबर की डायरी ''बाबरनामा'' से भी बाबरी मस्जिद के जन्म की कथा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

बाबर की वसीयत जिसकी प्रति भोपाल में राज पुस्तकालय में मौजूद बतायी जाती है, में हुमायूं को हिदायत दी गयी है :

''हिन्दुस्तान में अनेक धर्मों के लोग बसते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस देश का बादशाह बनाया है। तुम तअस्सुब (पक्षपात) से काम न लेना, निष्पक्ष होकर न्याय करना और सभी धर्मों की भावना का ख़याल रखना। गाय को हिन्दू पवित्र मानते हैं, अतएव जहां तक हो सके गोवध नहीं करवाना और किसी भी सम्प्रदाय के पूजा के स्थान को नष्ट नहीं करना।''

इस वसीयत के रेखांकित वाक्य के मद्देनज़र प्रश्न उठता है कि क्या बाबर स्वयं इसके विपरीत चलता था ? क्या वह सब उसके लिए हितकारी नहीं था जिसे उसने अपने बेटे के लिए हितकारी बताया है ?

बाबरनामा में अयोध्या में राम जन्मभूमि को धरासात् करके उसके स्थान पर मस्जिद निर्मित किये जाने का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। यदि बाबर का उद्देश्य हिन्दुओं के अतीव महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को धराशायी करके वहां मस्जिद निर्माण का 'पुण्यकार्य' होता तो वह उसकी बाबत अपनी डायरी में अवश्य कुछ न कुछ लिखता, क्योंकि यह साधारण न होकर एक विशिष्ट घटना होती।

यहां यह उल्लेखनीय है कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य खायी और चौड़ी करने के उद्देश्य से अनेक तरह की योजनाएं बनायीं। उनमें उन्होंने तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा ही नहीं, बल्कि नये 'तथ्य' व नये मिथक भी गढ़े गये। एक उदाहरण देखें : कनिंघम ने लखनऊ गजेटियर में लिखा कि 'बाबरी मस्जिद की तामीर के दौरान हिन्दुओं ने इस पर हमला किया और उस जंग में एक लाख चौहत्तर हज़ार हिन्दुओं को हलाक किया गया। उन्हीं के ख़ून से मस्जिद के लिए गारा बनाया गया था।'

लेकिन नेविल के फ़ैज़ाबाद गजेटियर (1905) से पता चलता है कि सन 1869 में फ़ैज़ाबाद अयोध्या की कुल आबादी 9,949 थी और 1881 में 11643 थी, यानी 12 वर्षों में क़रीब 2000 की बढ़त हुई। इसके मद्देनज़र हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1528 ई॰ में इस इलाक़े की आबादी कितनी रही होगी। लेकिन कनिंघम ने 1528 में यहां 1,74000 हिन्दू मरवा दिए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पहले अंग्रेज़ों ने बाबरनामा के बीस पृष्ठ ग़ायब किये-3 अप्रैल 1528 से 17 सितम्बर 1528 तक के साढ़े पांच महीनों के विवरण, ताकि उनके द्वारा गढ़े गये 'तथ्य' स्वीकृत हो सकें। जब वे इसमें सफल हो गये, जब झूठ सत्य में परिवर्तित हो गया, तब उन्होंने कनिंघम का गजेटियर भी ग़ायब कर दिया, ताकि उनका गढ़ा गया 'सत्य' नंगा न हो जाए।

3 अप्रैल से बाबरनामा के पृष्ठ क्यों ग़ायब किये गये ?

इसलिए कि सन्देह के कीटाणुओं को पुष्ट होने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके । बाबर ने 2 अप्रैल को औध के जंगलों में अपने शिकार खेलने का उल्लेख किया है । एच॰आर॰ नेविल ने अपने फ़ैज़ाबाद गजेटियर (1905) में 2 अप्रैल के बाद का विवरण अपनी ओर से लिख दिया कि बाबर अयोध्या में एक हफ़्ते के लिए ठहरा था । इसी दौरान उसने राम मंदिर को मिसमार किया था, आदि ।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाबर ने 'औध' के जंगलों का उल्लेख किया है । औध का मतलब है : अवध । इसी इलाक़े की भाषा अवधी कहलाती थी । रामचरितमानस इसी भाषा में लिखा गया था । मलिक मुहम्मद जायसी का 'पद्मावत' महाकाव्य भी इसी में रचा गया था । औध का अर्थ अयोध्या नहीं । एक छोटे से क़स्बे की भाषा नहीं होती, इलाक़े की भाषा होती है । अवध के नवाब व वहां की रानियों के कई क़िस्से प्रचलित हैं । स्पष्ट है, वे अयोध्या के नवाब व बेगमें नहीं हैं ।

नेविल ने बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द 'औध' को अवध के स्थान पर पहले अयोध्या बनाया, फिर उसे एक हफ़्ते के लिए वहां ठहरा दिया और साथ ही, बाबरनामा के अप्रैल दो के बाद के पृष्ठ ग़ायब कर दिये । इस तरह नया सत्य प्रस्तुत कर दिया ।

असलियत यह है कि जो बीस पृष्ठ ग़ायब किये गये वे इस बात का प्रमाण थे कि बाबर कभी अयोध्या तक नहीं गया । वह अफ़ग़ान विद्रोहियों का पीछा करते हुए घाघरा नदी तक गया था । उन्हें खदेड़ कर वह घाघरा के जंगलों में शिकार खेलता रहा । वहीं उसे यह ख़बर मिली कि काबुल से उसकी बेग़म और बिटिया हिन्दुस्तान में पहुंच चुकी हैं, तो वह घाघरा के पश्चिमी कछारों और जंगलों से फ़ौरन अलीगढ़ शहर की ओर लौट पड़ा । वह घाघरा के पूर्वी किनारे के पार स्थित अयोध्या में कभी नहीं गया ।

चाहे साज़िशी अंग्रेज़ अपनी तरफ़ से कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे उनके सत्य का चौराहे में भंडाफोड़ हो जाए, फिर भी वे सभी सबूतों को नष्ट करने में असफल रहे । नेविल का सत्य है कि बाबर हफ़्ता भर अयोध्या में मंदिर गिरवा कर मस्जिद बनवाता रहा (यह सत्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गढ़ा गया), जबकि बाबर की पुत्री गुलबदन ने हुमायूंनामा में 16वीं शताब्दी में ही लिखा था कि जब मेरे अब्बा हुज़ूर को हमारे हिन्दुस्तान में पहुंचने का पता चला तो वे हमें लेने के लिए 7 अप्रैल 1528 से पहले आगरा पहुंच चुके थे । मैं अपनी मां मेहम बेगम के साथ 9 अप्रैल 1528 को अलीगढ़ पहुंची थी । अब्बा हुज़ूर हमें लेने के लिए आगरा से अलीगढ़ के लिए पैदल ही चल पड़े थे और आगरा से चार मील दूर हमें मिले थे । वहां से भी वे घोड़े पर सवार नहीं हुए थे, पैदल ही हमारे क़ाफ़िले के साथ आगरा में दाख़िल हुए थे । यह तारीख़ 10 अप्रैल 1528 थी ।

स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद की तामीर के साथ बाबर का कोई संबंध बाबरनामा और हुमायूंनामा के प्रकश में सिद्ध नहीं होता । फिर बाबर का नाम बाबरी मस्जिद से कैसे और क्यों जुड़ा ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने से पहले कुल संबद्ध तथ्य हृदयंगम करने नितांत प्रासंगिक हैं । पहली बात यह कि बाबर मां की ओर से चंगेज़ ख़ां और बाप की ओर से तैमूर का वंशज था । यह बताने की ज़रूरत नहीं कि चंगेज़ बौद्ध था । बाबर ने भारत पर अप्रैल 1526 में जो आक्रमण किया था, वह बाबरनामा के अनुसार, स्वेच्छा से नहीं, बल्कि रणथंभौर के हिन्दू राजपूत राणा सांगा तथा पंजाब के सूबेदार दौलत ख़ां द्वारा निमंत्रण भेजने के कारण किया था । उसकी फ़रगना और बुखारा की सल्तनत छिन चुकी थी । जब उसे निमंत्रण मिला, उसने आक्रमण किया और विजयी रहा । यहां उसने नयी सल्तनत स्थापित की ।

यहां कुछ बातें विचारणीय हैं । क्या राणा सांगा ने उसे यहां इस्लाम के प्रचार के लिए बुलाया था या इब्राहीम लोदी की शक्ति कम करवाने के लिए ? स्पष्ट है, वह इस्लाम के प्रचार के लिए उसे नहीं बुला सकता था, क्योंकि वह काम तो लोदी से भी करवाया जा सकता था, यदि यही उद्देश्य रहा होता । दौलत ख़ां ने अपने भतीजे इबराहीम लोदी पर बाबर को हमला करने के लिए क्यों निर्मंत्रित किया ? क्या इस्लाम के प्रचार के लिए या अपने भतीजे के प्रति ईर्ष्या के कारण उसे नष्ट करवाने के लिए ? यहां भी पहला कारण कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि इस्लाम का प्रचार तो वह स्वयं भी कर सकता था । दूसरे, बाबर कोई इस्लाम का विद्वान नहीं था कि उसे धर्म-प्रचार के लिए बुलाया जाता । स्पष्टतः दोनों के निमंत्रणों के पीछे केवल राजनीति थी ।

बाबर का हमला एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हमला था । दोनों धर्म की दृष्टि से इस्लाम को मानते थे । दूसरे, बाबर की मुग़लिया सल्तनत को स्थापित करवाने का

दायित्व हिन्दू राजपूत राणा सांगा का है, जिसने उसे यहां आने का निमंत्रण भेजा था । यद्यपि बाद में 1527 ई॰ में वह बाबर से जूझा और परास्त हुआ तथा देश के अन्दर की समस्याओं के समाधान के लिए 'शार्टकट' के तौर पर विदेशी हमलावरों को निमंत्रण देने के अपराध से वह वीर योद्धा व 'देशभक्त' किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता । जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए बाबर की निंदा करते हैं, उन्हें उसके साथ-साथ राणा सांगा का भी स्मरण करना चाहिए ।

बाबरी मस्जिद का नाम पहले बाबरी मस्जिद नहीं था । 1889 ई॰ में इस मस्जिद में पहले से लगे हुए एक शिलालेख को ए॰ फ्यूहरर ने पढ़ा था, जिसे बाद में जाहिलों ने पढ़ने लायक़ नहीं छोड़ा । उसे जान-बूझकर मिटाया गया । लेकिन फ्यूहरर ने उसका जो अनुवाद किया था वह आर्कियालॉजीकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की फाइलों में पड़ा रह गया । उसे नष्ट करने का अंग्रेज़ों व दूसरे निहित स्वार्थों को ख़याल नहीं आया । उस शिलालेख में लिखा था–"हिजरी 930 यानी 17 सितम्बर 1523 में इबराहीम लोदी ने इस मस्जिद की नींव रखवायी थी और यह 10 सितम्बर 1524 में बनकर तैयार हुई ।"

इस शिलालेख में यह नहीं कहा गया था कि यहां पहले राम मंदिर था, उसे धराशायी करके यह मस्जिद बनवायी गयी थी । लोदी ने यदि यह मस्जिद धर्मान्धता के कारण बनवायी होती तो वह उस मंदिर का अवश्य उल्लेख करता जो उसने मिसमार किया होता । स्मरण रहे, लोदी की दादी हिन्दू थीं ।

मस्जिद के शिलालेख के अनुसार यह बाबर के भारत में आने से दो वर्ष पूर्व ही निर्मित हो चुकी थी । फिर बाबर ने उसे कैसे बनाया ? वह उसे बना ही कैसे सकता था ? यदि उसने नहीं बनाया तो फिर यह बाबरी मस्जिद क्यों कहलाती है ? विद्वानों का मत है कि संभव है कि पहले से बनी चली आ रही उस मस्जिद का मीर बाक़ी ताशकंदी ने नवीनीकरण किया हो और उसमें कुछ फेरबदल करके उसने बाबर के नाम का क़त्बा गढ़वा दिया हो, अपने आक़ा को खुश करने के लिए । इस तरह यह बाबरी मस्जिद बन गयी । (मस्जिद के दोनों ओर लिखे फ़ारसी-पद्यों में मीर बाक़ी द्वारा उसे बनाने का उल्लेख था ।)

यह मस्जिद जब मूल रूप में तामीर हुई या जब इसका बाद में नवीनीकरण हुआ, तब संभव है, किसी अवस्था में इसमें किसी/किन्हीं मंदिरों का कुछ मलबा इस्तेमाल हुआ हो, परन्तु इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि उक्त मलबा जान-बूझकर किसी मंदिर को गिराकर प्राप्त किया गया था ।

इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिन्हें मतान्धतावश मानने से इन्कार करने से इतिहास बदल नहीं जाता । पंजाब में श्रीहरगोबिन्पुर में सिक्खों के 6वें गुरु, गुरु हरगोबिन्द ने मस्जिद बनवायी थी, जो "गुरु की मस्जिद" के नाम से विख्यात है । अभी 28-12-2000 को रोपड़ ज़िले के गांव चाहार में संत वरियाम सिंह ने एक मस्जिद ईद के दिन गांव के मुसलमान को भाईचारे व ईद के तोहफ़े के तौर पर भेंट की है ।

(यहां स्मरणीय है कि 6वें गुरु के शाह-ए-वक़्त जहांगीर से संबंध बिगड़े भी और उसने उन्हें ग्वालियर के क़िले में नज़रबन्द भी रखा । इधर संत वरियाम सिंह को डॉ॰ अली फ़र्वाद ने अमेरिका से अपना आश्रम बनाने के लिए धन भेजा था, परन्तु उन्होंने उससे मस्जिद बनवा दी ।)

सभी संबद्ध पक्षों को फ्यूहरर के शिलालेख के अनुवाद को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वही एक साधन है जो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद को निष्पक्ष तौर पर हल करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय (यजुर्वेद 31/18) (इसके सिवा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है ।)

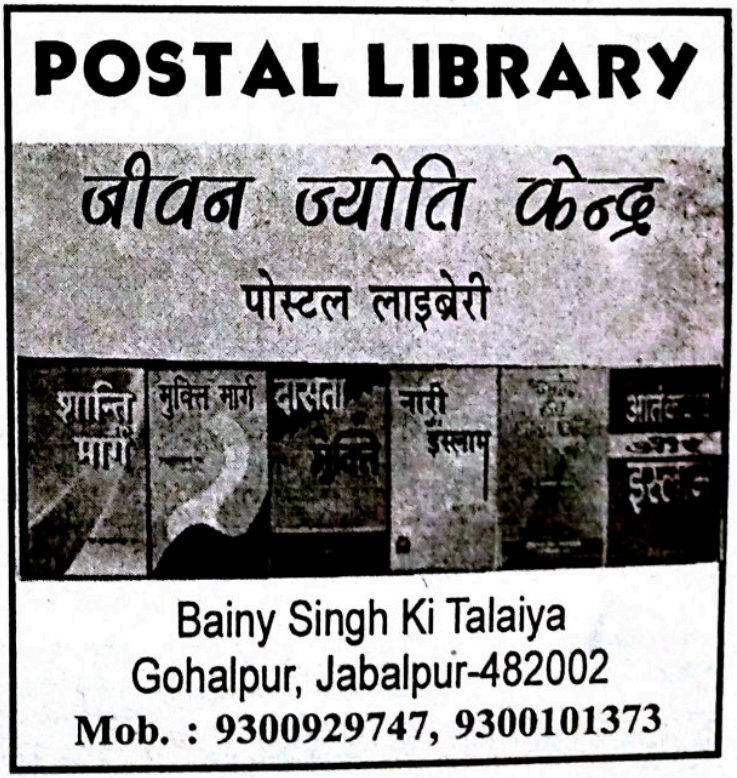

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

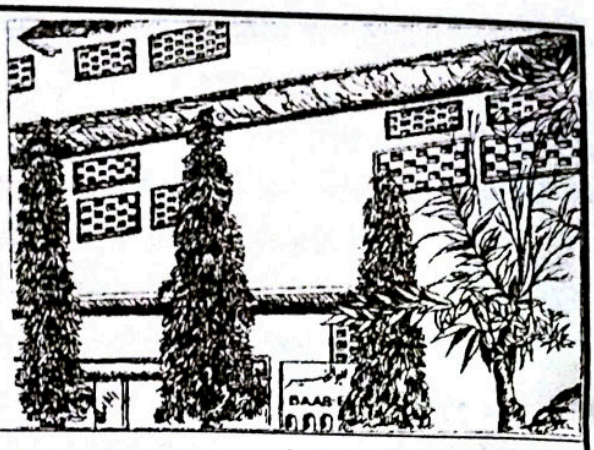

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 24 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2010 ई॰ तक 63 अनाथ बच्चियों और 37 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 13 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 73000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

.....पता.....

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA

☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

BANK A/C NO.: 7752 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

संस्थापक महासचिव

इक़बाल अहमद ख़ां

बाबरी मस्जिद से पहले भी वहां मस्जिद ही थी

जाने-माने पुरातत्वविद, इतिहासकार और सोशल एक्टिविस्ट डॉ॰ सूरज भान का 14 जुलाई 2010 को रोहतक (हरियाणा) में देहांत हुआ। उनका जन्म 1 मार्च 1931 को मिंटगुमरी (फ़िलहाल पाकिस्तान में) हुआ था। वे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के केन्द्रीय सलाहकार मंडल और भारतीय अनुसंधान परिषद की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दिये जाने के बाद उसके मलबे में से मंदिर के तथाकथित अवशेष ढूंढ़ने का दावा कर रहे आर॰एस॰एस॰ प्रायोजित कथित पुरातात्विकों से उन्होंने लोहा लिया और वे इस मसले में लखनऊ की अदालत में बतौर विशेषज्ञ गवाह के रूप में पेश होते रहे। यह बात दीगर है कि अयोध्या पर आये यू॰पी॰ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के विवादस्पद फ़ैसले में एक न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि चूंकि वे इतिहासकार नहीं हैं इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक पहलू की छानबीन नहीं की पर उन्होंने यह भी कह दिया कि इन मुक़दमों पर फ़ैसला देने के लिए इतिहास और पुरातत्वशास्त्र अत्यावश्यक नहीं थे। डॉ॰ सूरज भान का यह लेख 'सहमत मुक्तनाद' के अप्रैल-जून 2003 अंक में छपा था।

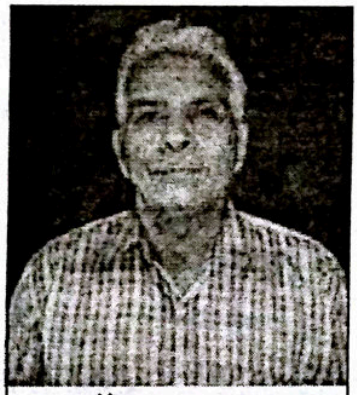

डॉ॰ सूरज भान
(सुख्यात इतिहासज्ञ)

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद, काफ़ी समय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के सामने विचाराधीन है। उच्च न्यायालय फ़िलहाल इस प्रश्न पर साक्ष्यों की सुनवाई कर रहा है कि 1528 में बाबरी मस्जिद के बनाए जाने से पहले वहां कोई हिन्दू मंदिर था या नहीं? हालांकि दोनों पक्षों के गवाहों से काफ़ी मात्रा में साक्ष्य दर्ज कराये जा चुके थे, उच्च न्यायालय ने यह तय किया कि विवादित स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से खोदाई करायी जाए। इस खोदाई के लिए आदेश जारी करने से पहले अदालत ने संबंधित स्थल का भू-भौतिकी सर्वेक्षण भी कराया था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही आमंत्रण पर तोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लि॰ नामक कंपनी ने, जिसका कार्यालय नयी दिल्ली में कालकाजी में है, रिमोट सेसिंग की पद्धति से भूगर्भ सर्वेक्षण किया था। उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट में संबंधित स्थल पर सतह के नीचे भूमिगत असंगतियां दर्ज की गयीं थीं। इस रिपोर्ट के ही अंशों में से असंगतियां, "प्राचीन या समकालीन निर्माणों जैसे खंभों, नींव की दीवारों, संबंधित स्थल के बड़े हिस्से में फैले पत्थर के फ़र्श से संबंद्ध" हो सकती थीं।

इस तरह तोजो विकास कंपनी के भूगर्भ सर्वेक्षण की रिपोर्ट के ही आधार पर उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 के अपने आदेश जारी किये थे, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कहा गया था कि विवादित स्थल पर खोदाई करे और इसका पता लगाए कि वहां कोई मंदिर बना हुआ था या नहीं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दल ने 12 मार्च 2003 से वहां खोदाई का काम शुरू किया। मैं 10 से 12 जून तक खोदाई स्थल पर था। टीले के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर जिस पर रामलला का अस्थायी मंदिर बना हुआ है, 80 मीटर गुना 60 मीटर के विवादित क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वे के विशेषज्ञों ने विस्तृत रूप से खोदाई की है। जे-3 खाई में 10 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक गहरी खोदाई की गयी है। इससे पहले 1969-70 में ए॰के॰ नारायण (बी॰एच॰यू॰) द्वारा और बी॰बी॰ लाल (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ट स्टडीज़, शिमला) तथा के॰वी॰

सुंदरराजन (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा की गयी खोदाइयों में उजागर किये गये आकृतियों के क्रम की ही मौजूदा खोदाई ने पुष्टि की है ।

इसके हिसाब सै अयोध्या में राम जन्मभूमि कहलाने वाले स्थल को सबसे पहले 600 ईसवी पूर्व आबाद किया गया था । लेकिन इसके बाद कुषाण काल के आख़िरी दौर में या गुप्त काल में, पांचवीं सदी ईसवी तक यह इलाक़ा उजड़ चुका था ।

आरंभिक मध्य काल में आबादी के साक्ष्य नहीं है । मौजूदा खोदाई में आरंभिक मध्य काल (600 ईसवी पूर्व से 1200 ईसवी) से संबद्ध बसावट का कोई संस्तर नहीं मिला है । मस्जिद की बाउंड्री वाल के नज़दीक खोदाई में बी०बी० लाल ने जो चूने के फ़र्श तथा 'स्तंभ आधार' खोजे थे (इंडियन आर्कियोलोजी-एक रिव्यू, 1976-77) और ग्यारहवीं सदी के बताये थे, अब स्पष्ट हो गया है कि वे सल्तनत काल (13वीं सदी ईसवी) से पहले के नहीं हो सकतें । जो भी नक्काशीदार काले पत्थर के खंभों, दरवाज़े के क़ब्ज़े व अन्य नक्काशीदार पत्थर, विवादित स्थल पर या उसके निकट मिले थे, जिसके संबंध में हिस्टोरियंस फोरम ने न्यू आर्कियोलोजिकल डिस्कवरीज (1992) में बताया था या जिनके मस्जिद के मलबे से मिलने के बारे में बताया गया था, उनका बाबरी मस्जिद के नीचे के संस्तरों से कोई भूसंस्तरीय संबंध नहीं बनता है ।

मौजूदा खोदाई में एफ-3 खाई में मिला काले पत्थर का खंभा, मस्जिद के मलबे से आया है । जे-3 खाई में मिला आलेखदार पत्थर, गढ़े के भरत में कंकड़ियों के साथ औंधा पड़ा पाया गया है । उसकी लिपि भी उन्नीसवीं सदी से पुरानी नहीं है । खोदाई में सामने आए सबसे महत्वपूर्ण मध्ययुगीन निर्माण, वास्तव में विभिन्न कालखंडों की दो मस्जिदों के अवशेष हैं । ये अवशेष टीले के तो उपरले संस्तरों पर हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे हैं, जबकि मलबे के ऊपर अस्थायी मंदिर खड़ा हुआ है । सल्तनत काल की मस्जिद बाबरी मस्जिद से पहले की मस्जिद के सबसे अच्छे साक्ष्य खाई संख्या : डी-6, ई-6, एफ-6 तथा उत्तर व दक्षिण की कुछ और खाइयों में मिले हैं । उसकी पश्चिमी दीवार, बाहरी दीवार (बाउंड्री वाल) का भी काम करती होंगी । उसकी नींव में कुछ नक्काशीदार पत्थर लगे थे, जो कहीं अन्य पुराने निर्माणों के रहे होंगे । इसकी ऊपर की दीवारें सांचे की (मोल्डेड) ईंटों से बनी हैं, जो आसपास में किन्हीं पुराने मध्यकालीन निर्माणों के मलबे से आयी होंगी । उपरोक्त खाइयों में एक हाल की दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तरी दीवारें देखी जा सकती हैं । दीवारों की अंदरूनी सतह पर चूने का पलस्तर है और ये दीवारें चूने और सुर्खी के फ़र्श से जुड़ती हैं, जो उत्खनन के क़रीब-क़रीब पूरे ही क्षेत्र में फैला हुआ है । इस फ़र्श के नीचे मिट्टी का भरत किया हुआ है, ताकि मस्जिद के फ़र्श को ऊपर उठाया जा सके । फ़र्श बनाने में चूने और सुर्खी के प्रयोग, दीवारों पर पलास्तर किया जाना और इन दीवारों पर बाबरी मस्जिद (निर्माण 1528 ईसवी) की दीवारों का बनाया जाना, यह सब बाबरी मस्जिद से पहले के इस निर्माण के सल्तनत काल का होने को साबित करता है । बाबरी मस्जिद संबंधित मस्जिद पर जिस दूसरी मस्जिद के साक्ष्य मिले हैं, निर्विवाद रूप से बाबरी मस्जिद थी, जो पत्थरों से बनायी गयी थी । इसके दक्षिणी **गुंबद** की दीवारें, सल्तनत काल की मस्जिद की ही निर्माण योजना का अनुसरण करती हैं ।

बाबरी मस्जिद की दीवारें, जहां कहीं भी बची रह गयी हैं, चूने के पलस्तर के साक्ष्य पेश करती हैं । इस मस्जिद का फ़र्श भी, चूने तथा सुर्खी का बना है । पहले वाला यानी सल्तनत काल की मस्जिद का फ़र्श, अब मिट्टी के भराव के नीचे दब गया है, जो शायद मुग़लकालीन मस्जिद को ऊपर उठाने के लिए किया गया होगा । मुग़लकालीन मस्जिद का फ़र्श भी ख़ूब लंबा-चौड़ा है, क़रीब-क़रीब सल्तनत काल की मस्जिद जितना ही । बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक ओर महत्वपूर्ण निर्माण है, मस्जिद के दक्षिण-पूर्व में बना कंकड़-पत्थर का (पानी का) हौज । नौ-दस फुट की ऊंचाई तक, पत्थर के हरेक रद्दे पर चूने तथा सुर्खी का गारा फैलाया गया था । हौज़ की तली और दीवारों पर भी ख़ूब मोटा पलस्तर किया गया है ताकि उससे पानी का रिसाव न हो । हौज़ की ऊपरी सतह के बाबरी मस्जिद के फ़र्श से जुड़े होने से, बाबरी मस्जिद (प्रथम चरण) के साथ इसके संबद्ध होने का पता चलता है । राम चबूतरा अट्ठारहवीं-उन्नीसवीं सदियों से जुड़ा एक विचित्र साक्ष्य सामने आया है ।

हौज़ को कंकड़-पत्थर से और चूने के मसाले से भर दिया जाता है । उसके ऊपर उसी सामग्री से छोटा-सा चबूतरा बना दिया जाता है । चबूतरा पौने पांच मीटर गुणा पौने

पांच मीटर का है । पहले चबूतरे को घेरते हुए और बड़ा चबूतरा बनता है । अब चबूतरा 22 मीटर गुणा 22 मीटर का हो जाता है । इसी के ऊपर राम चबूतरा बनाया गया था । राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के पहले फ़र्श में धंसा हुआ था, जिससे यह संकेत मिलता है कि चबूतरों का निर्माण बाबरी मस्जिद के निर्माण के काफ़ी बाद का होगा । एक और निर्माण भी बाबरी मस्जिद के परिसर में धंसता नज़र आता है । इसमें 'स्तंभ आधार' शामिल है । ये स्तंभ आधार जो गोल से या चौकोर से हैं, बीच में ईंट के टुकड़ों के बने हैं, जिनके बीच में कंकड़-पत्थर लगा है और इनमें मिट्टी के गारे की चिनाई है ।

ये सभी निर्माण किसी एक ही बड़े निर्माण के हिस्से नहीं हैं, जैसा कि बी॰बी॰ लाल तथा एस॰पी॰ गुप्ता मान बैठे थे । ऐसा लगता है कि ऐसे स्तंभ आधारों के समूह हैं और ये स्वतंत्र, साधारण छप्परों, छाजनों के हिस्से होंगे, जिनका अयोध्या में और उसके आसपास दूकानों, झोंपड़ियों आदि के लिए उपयोग आम है । मस्जिद के उत्तर की ओर कुछ स्तंभ आधार सेंट स्टोन के भी बने हैं । ईंट के टुकड़ों के बने स्तंभ आधारों की रचना बी॰बी॰ लाल को इससे पहले की अपनी खोदाई में मिले स्तंभ आधारों से भिन्न नहीं हैं । उन्होंने इनका समय 11वीं सदी आंकने में ग़लती की है ।

बाबरी मस्जिद परिसर में मिला तीसरा निर्माण, बहुत सारी क़ब्रें हैं जो बाबरी मस्जिद के उत्तर में भी पायी गयी हैं और दक्षिण में भी । ये क़ब्रें बाबरी मस्जिद के पहले वाले फ़र्श में धंसी हैं । इससे पता चलता है कि ये क़ब्रें बाबरी मस्जिद के अपेक्षाकृत बाद के दौर में बनी होंगी । क़ब्रें उत्तर-दक्षिण दिशा में हैं । क़ब्रों में अस्थि-पिंजरों का चेहरा पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ है, जैसा कि मुसलमानों में रिवाज है ।

इस खोदाई में बाबरी मस्जिद के बाद वाले चरण के साक्ष्य दूसरा फ़र्श फैलाये जाने के रूप में मिलते हैं । यह फ़र्श स्तंभ आधारों, क़ब्रों तथा चबूतरों को ढांपने के बाद, यह फ़र्श चूना और सुर्खी का बना है । यह मस्जिद के आख़िरी ढांचागत चरण का संकेतक है । चूंकि 18वीं सदी के मध्य भाग से पहले राम चबूतरों की मौजूदगी का कोई साहित्यिक या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, चबूतरों स्तंभ आधारों तथा क़ब्रों का फ़र्श में धंसता हुआ निर्माण, 18वीं-19वीं सदियों का माना जा सकता है ।

यह ज्ञात ही है कि 1857 से पहले अयोध्या में दंगे हुए थे और इनमें कुछ ख़ून-ख़राबा हुआ था । बहरहाल, अवध के नवाब के हस्तक्षेप से दोनों समुदायों के बीच के टकराव को हल कर लिया गया था । इसके बाद सद्भाव बहाल हो गया था और इसके कुछ ही समय बाद 1857 में हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ी सत्ता के ख़िलाफ़ मोर्चा लिया था । आगे चलकर 1948 में बाबरी मस्जिद पर जबरन क़ब्ज़ा किये जाने के बावजूद 6 दिसम्बर 1992 को संघ परिवार की उपद्रवी भीड़ों द्वारा ध्वस्त किये जाने तक मस्जिद वहां क़ायम थी । अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं :

1. राम जन्मभूमि कहलाने वाली जगह पर ताज़ा खोदाई से यह पता चलता है कि भगवान राम के अयोध्या में जन्म होने के परंपरागत विश्वास को इतिहास में अनंतकाल तक पीछे नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि यहां तो पहली बार आबादी ही 600 ईसवी पूर्व में आयी थी ।

2. ताज़ा खोदाई से इसकी और पुष्टि होती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई हिन्दू मंदिर नहीं था । वास्तव में इसके नीचे (यानी उसी स्थान पर इससे पहले) सल्तनत काल की एक मस्जिद थी । इसलिए 1528 में मस्जिद बनाने के लिए बाबर के ऐसे किसी कल्पित मंदिर को तोड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता है ।

3. खोदाई में यह भी पता चला है कि बाबरी मस्जिद से जुड़े पानी के हौज़ के ऊपर राम चबूतरा बनाया गया था । इसके साथ ही ईंट के टुकड़ों तथा सेंड स्टोन के स्तंभ आधारों का निर्माण और बाबरी मस्जिद परिसर में बनी क़ब्रें, सभी बाद में जोड़े गये निर्माण हैं और ये 18वीं-19वीं सदियों से पहले के नहीं लगते । उन्नीसवीं सदी में बाबरी मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ था और उसका दूसरा फ़र्श सभी बाद के निर्माणों को ढांपे हुए था ।

यह विचित्र बात है कि विश्व हिन्दू परिषद ने संघ परिवार तथा भाजपा के समर्थन से अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ घृणा तथा हिंसा का आन्दोलन छेड़ा है । इसमें न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों का कोई क़सूर है और न ही इसका पीछे कोई जायज़ कारण है । यह मुहिम मानवता, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के उन सभी मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए छेड़ी गयी है, जिनकी सभी आधुनिक सभ्य समाज क़द्र करता है ।

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इंन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

मस्जिद विध्वंस को जायज़ ठहराने वाला फ़ैसला

❖ टी॰आर॰ अंध्याराजन
(भारत का पूर्व महाधिवक्ता)

अगर मस्जिद ढहाई नहीं गयी होती, तब भी क्या न्यायालय ने विवादित स्थल का विभाजन और बंटवारा इसी ढंग से करने का निर्देश दिया होता ?

6 दिसम्बर 1992 को मस्जिद ढहाने की बर्बर घटना की निंदा न करना अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले का एक उल्लेखनीय पहलू है । 1994 के अपने फ़ैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने विध्वंस का ज़िक्र करते हुए कहा था कि : "थोड़े से समय में, पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया गया । वास्तव में यह 'राष्ट्र को शर्मसार' कर देने वाली घटना थी । ढहायी गयी इमारत न केवल एक प्राचीन ढांचा था, बल्कि न्याय और बहुसंख्यक आबादी की निष्पक्षता के अर्थों में अल्पसंख्यकों के विश्वास को भी उसके साथ ढहा दिया गया । इसने क़ानून के शासन और संवैधानिक प्रक्रियाओं में उनकी आस्था को डगमगा दिया है । एक 500 वर्ष पुराना ढांचा जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था और जिसकी हिफ़ाज़त करने का एक पवित्र भरोसा राज्य सरकार पर था, ढहा दिया गया ।"

विध्वंस के मामले में सरकार की ओर से जारी एक श्वेत पत्र कहता है : "6-12-1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे का ढहाया जाना एक अत्यंत निंदनीय घटना है । इसे अंजाम देने वालों ने न सिर्फ़ एक धार्मिक स्थल पर आक्रमण किया है, बल्कि हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और क़ानून के शासन के सिद्धांतों पर भी प्रहार किया है । एक अत्यंत आकस्मिक और उतनी ही शर्मनाक चाल के द्वारा कुछ हज़ार लोगों ने सभी समुदायों के उन करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है जो इस घटना से दुखी और निराश हैं ।"

गुस्से की यह भावना इतनी गहरी थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार ने 7 दिसम्बर 1992 और 27 दिसम्बर 1992 को कहा कि मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा । अयोध्या के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला 6 दिसम्बर 1992 का कोई ज़िक्र ही नहीं करता । दूसरी तरफ़, वे विध्वंस को एक सिद्ध कार्य समझते हैं, जैसे कि 2.77 एकड़ के विवादित स्थल पर कुछ रहा ही न हो । यह फ़ैसला देने के बाद कि भूतपूर्व मस्जिद के मध्य गुम्बद के नीचे की ज़मीन हिन्दुओं को दी जानी चाहिए क्योंकि उनका विश्वास है कि वह राम का जन्म स्थान है और राम चबूतरा और सीता की रसोई वाली ज़मीन निर्मोही अखाड़ा को दी जानी चाहिए, न्यायालय ने विवादित स्थल की शेष ज़मीन को विभाजित करके, दो तिहाई हिन्दूवादियों को और एक तिहाई मुसलमानों को माप कर देने का हुक्म दिया ।

इसलिए ये फ़ैसले 1992 के विध्वंस को वैधता और क़ानूनी मान्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि न्यायालय के फ़ैसले का आधार यह है कि विवादित स्थल पर आज मस्जिद मौजूद ही नहीं है । अदालतों में निर्णय करने का एक बुनियादी नियम यह है कि जब भी किसी मुक़दमे का एक पक्ष मौजूदा परिस्थितियों को अपने लाभ की स्थिति में बदलने के लिए क़ानून अपने हाथ में लेता है (जैसा कि 1992 के विध्वंस ने हिन्दूवादियों के पक्ष में किया) तो सर्वप्रथम अदालत पहले से मौजूद परिस्थिति को बहाल करने का आदेश देती है । यदि ऐसा संभव न हो जैसा कि वर्तमान मामले में तो अदालत को यह देखना चाहिए कि किसी ग़ैरक़ानूनी काम का लाभ ऐसा काम करने वाले को न मिले । इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला न्याय के इस बुनियादी नियम की उपेक्षा करता है ।

अदालत के फ़ैसले के सही होने की जांच यह है : उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को सही मानते हुए कि मस्जिद के मध्य गुम्बद के नीचे की ज़मीन राम का जन्म स्थान है या कि मस्जिद का निर्माण 1528 में एक मन्दिर के ध्वंसावशेष पर किया गया था, यदि मस्जिद ढहाई नहीं गयी होती और स्थल पर मौज़ूद होती, तब भी क्या अदालत ने इसी रूप में विवादित स्थल के विभाजन और बंटवारे का निर्देश दिया होता ? ऐसा केवल 500 वर्ष पुरानी मस्जिद को ढहा कर और उस स्थल को ख़ाली करके ही किया जा सकता था–स्पष्टत: ऐसा निर्देश दे पाना असंभव होता । यदि ऐसा नहीं है, तो क्या अदालत मस्जिद के ढहाये जाने के ग़ैरक़ानूनी कृत्य का लाभ उठाकर विवादित स्थल को इस प्रकार बांटने का आदेश दे सकती थी जैसा उसने किया है ?

(सा॰ : 'द हिन्दू', 5 अक्तूबर 2010)

मूल्यों की उपेक्षा

अयोध्या फ़ैसले पर कुछ जाने-माने बुद्धिजीवियों ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित बयान जारी किया–

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा 30 सितम्बर 2010 ई॰ को दिये गये फ़ैसले में जिस प्रकार इतिहास, तार्किकता और सेकुलर मूल्यों की उपेक्षा और अनदेखी की गयी, इसने गंभीर चिन्तनीय प्रश्न खड़े कर दिये हैं । सर्वप्रथम, यह विचार कि बाबरी मस्जिद एक हिन्दू मंदिर तोड़कर बनायी गयी है, जो तीन में से दो जजों ने व्यक्त किया है, सभी साक्ष्यों और प्रमाणों के विरुद्ध है । इसके विपरीत भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी खोदाई से यह पता चलता है कि उसमें शुरू से आख़िर तक सुर्ख़ी और चूने के सम्मिश्रण के साथ जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है (जो मुस्लिम मौजूदगी को प्रमाणित करता है) और इस संभावना को ख़ारिज करता है कि मस्जिद के नीचे हिन्दू मंदिर मौजूद था । पुरातत्व विभाग की विवादित रिपोर्ट, जिसमें आधारभूत खंभे का दावा किया गया है, जो पूर्णतः धोखा है, क्योंकि वहां कोई खंभा नहीं पाया गया और पुरातत्वेत्ताओं के बीच तथाकथित खंभे पर बहस भी हुई । अब यह उचित होगा कि पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी खोदाई के विवरण, नोट बुक्स, तथ्य प्रकटक चीज़ें और अन्य सामग्रियां अध्येत्ताओं, इतिहासकारों और पुरावेत्ताओं को छानबीन और गहन अध्ययन के लिए उपलब्ध करायी जाएं ।

इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं प्रस्तुतं किया गया कि राम का जन्म स्थान वही है, जहां पर मस्जिद है । केवल यही नहीं कि आस्था को स्वीकार करते हुए फ़ैसला सुनाना ग़लत है, बल्कि यह बात गंभीर रूप से परेशान करने वाली है कि इस प्रकार की स्वीकृति जायदादों की मिल्कियत का फ़ैसला करने में प्रमाण का रूप धारण कर लेगी । यह क़ानून और निष्पक्षता के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है ।

इस फ़ैसले का सबसे आपत्तिजनक पहलू यह है कि यह हिंसा और बाहुबल को औचित्यता प्रदान करता है । यह 1949 में मस्जिद के अन्दर बल पूर्वक मूर्तियां रखे जाने को मान्यता देता है । यह किसी भी तर्क के बिना ही स्वीकार करता है कि मूर्तियों को सही स्थान पर रखा गया था । इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि यह स्वीकार करता है कि 1992 ई॰ में मस्जिद का विध्वंस युक्तिसंगत था, क्योंकि विध्वंसकारियों को मस्जिद का मुख्य भाग हस्तांतरित किया गया है, जो वहां मंदिर बनाने का दावा कर रहे थे ।

इन्हीं कारणों से हम इस फ़ैसले को देश के सेकुलर ताने-बाने पर एक और आक्रमण और देश की न्यायपालिका पर एक झटका के रूप में देखते हैं । इस केस में आगे चाहे जो भी हो, लेकिन देश जो खो चुका है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है ।

हस्ताक्षरकर्ता : रोमिला थापर, के॰एम॰ श्रीमाली, डी॰एन॰ झा, के॰एन॰ पणिक्कर, अमिया कुमार बागची, इक़्तिदार आलम ख़ां, शीरीं मूसवी, जया मेनन, इरफ़ान हबीब, सुवीरा जैसवा, केसवन वेलुथत, डी॰ मंडल, रामकृष्ण चटर्जी, अनिरुद्ध राय, अरुण बन्दोपाध्याय, ए॰ मुराली, वी॰ रामकृष्णा, अर्जुन देव, आर॰सी॰ ठाकरन, एच॰सी॰ सत्यार्थी, अम्मार फ़ारूक़ी, बी॰पी॰ साहू, विश्वमोय पाटिल, लता सिंह, उत्सा पटनायक, ज़ोया हसन, प्रभात पटनायक, सी॰पी॰ चन्द्रशेखर, जयति घोष, अर्चना प्रसाद, शक्ति काक, वी॰एम॰ झा, प्रभात शुक्ला, इंदिरा अर्जुन देव, महेन्द्र प्रताप सिंह, एम॰के॰ रैना, सुहैल हाशमी, पर्थिव शाह, मदन गोपाल सिंह, मधु प्रसाद, विवान सुन्दरम, गीता कपूर, राजेन्द्र प्रसाद, अनिल चन्द्रा, राहुल वर्मा, इंदिरा चन्द्रशेखर, सुकुमार मुरलीधरन, सुप्रिया वर्मा, एन॰के॰ शर्मा, एस॰ज़ेड॰एच॰ जाफ़री, फ़रहत हसन, शालिनी जैन, संतोष राय, नजफ़ हैदर, आर॰ गोपीनाथ, आर॰पी॰ बहुगुणा, जी॰पी॰ शर्मा, सीताराम राय, ओ॰पी॰ जायसवाल, के॰के॰ शर्मा ।



फ़ैसला क़ानून के धरातल पर खरा नहीं उतरता : जीलानी

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड के वकील के तौर पर केस लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन के 24 साल लगा दिये हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में इस ऐतिहासिक मामले की पैरवी के लिए और कई साल लगाने को तैयार हैं । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जनाब ज़फ़रयाब जीलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी सदस्य हैं । लखनऊ के मॉडल हाउस स्थित मकान में किताबों से भरे अपने आफ़िस में टुडेज 24 न्यूज़ के विशेष संवाददाता पुनीत कुमार मालवीय से साक्षात्कार में जीलानी साहब ने बेबाक बातचीत की । प्रस्तुत हैं बातचीत के कुछ अंश–

■ इस फ़ैसले के महत्वपूर्ण पहलू 'आस्था और विश्वास' पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ? क्योंकि खंडपीठ के एक न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल का कहना है, ''विवादित स्थल के तीन गुंबदों में से बीच का गुंबद भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है । ऐसा हिन्दुओं का विश्वास है और उनकी आस्था है ।''

जवाब : यह फ़ैसला क़ानून के धरातल पर खरा नहीं उतरता । हिन्दू पक्ष की ओर से एक गवाह के बयान इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत विश्वसनीय नहीं हैं । उसके अनुसार रामचन्द्र जी का जन्म नौ लाख वर्ष पूर्व हुआ था । यह प्रामाणिक सूचना नहीं है । गवाह ने शपथपूर्वक बयान दिया कि रामचन्द्र जी का जन्म नौ लाख वर्ष से 1.5 करोड़ वर्ष के बीच हुआ था । जबकि दो लाख वर्ष से पूर्व की किसी मानव सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं है । माननीय न्यायाधीश का मानना है कि विवादित ढांचे का निर्माण मंदिर को गिराकर किया गया था और इसका भी प्रमाण नहीं है ।

■ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड की अर्ज़ी को क्यों ख़ारिज किया गया ?

जवाब : उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड की अर्ज़ी को खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने समय सीमा के आधार पर ख़ाजिर किया । ऐसा लगता है कि अर्ज़ी सिर्फ़ घोषणा के लिए ख़ारिज की गयी जिसमें एक्ट के तहत छह वर्ष की समय-सीमा है जबकि बोर्ड का दावा था कि अर्ज़ी सिर्फ़ घोषणा के लिए नहीं थी, यह मस्जिद पर क़ब्ज़े के लिए भी थी । निर्मोही अखाड़े की अर्ज़ी भी समय-सीमा के आधार पर ख़ारिज की गयी थी लेकिन ऐसा करना सही था । बहस के दौरान उनके वकील इस संबंध में कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाये ।

■ क्या आप फ़ैसले के किसी भी अंश से संतुष्ट हैं ?

जवाब : तथ्य यह है कि खंडपीठ ने बहुमत से मस्जिद का होना स्वीकार किया है । न्यायाधीश यू॰एस॰ ख़ान ने कहा, ''बाबर के आदेश द्वारा विवादित ढांचे का मस्जिद के तौर पर निर्माण किया गया । साथ ही न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने कहा है, ''स्थल के अन्दर का क्षेत्र हिन्दू और मुस्लिम दोनों से संबंधित है और दोनों समुदाय दशकों से इसका प्रयोग कर रहे हैं ।''

■ इस फ़ैसले का क्या असर पड़ेगा जबकि विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में कई आपराधिक केस लंबित हैं ?

जवाब : इस फ़ैसले से इन केसों में काफ़ी मदद मिलेगी । खंडपीठ ने बहुमत से स्वीकार किया है कि वहां मस्जिद थी । अब यह सिद्ध करना आसान होगा कि इसे गिराया गया था । इन केसों में बहस के दौरान कहा गया था कि वहां मस्जिद कभी नहीं थी और जो ढांचा गिराया गया था, वह मंदिर था । अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाऊंगा कि यह देश संविधान के क़ानून के तहत चलता है अथवा आस्था और विश्वास पर ।

AL-HERA LIBRARY

(Run and Managed by **Sabiha Welfare Trust,** Registration No. 5418/4603)

Near Road No. 10, Main Road, Jawahar Nagar, P.O. Azadnagar,
Mango, Jamshedpur-832110, Jharkhand (INDIA)
E-mail : al_hera_library@sify.com, Mob. : 09334634662, 09204000609

APPEAL

An academic library named **"AL-HERA LIBRARY"** was established in 2004 to uplift the education standard in the downtrodden people of the society. Now it is running under **"SABIHA WELFARE TRUST" Regn. no. 5418/4603, PAN No. AAITS2377J.** This is the only academic library in approx. 8 lakhs populated area, it works progressively and achieving its goal day by day. It was started with 75 books only & after 6 consecutive years it reaches 4656 books. But still it requires your support to fulfill the student's requirements. Apart from that library also works for carrier counseling, AIDS awareness, blood donation, quiz contest etc.

The president of the library received **CMD** (chairman and managing director) award 2006 in the category of **"CORPORATE RESPONSIBILITY"** from Cummins in India held at Pune. Visit **(orkut.com>search>type al hera library).**

Here is the kind request to all of you that please bring your hand forward for this noble cause to serve the students for their glorious future and make our country developed and strong through education.

You are requested to send your donations to :
A/C name : SABIHA WELFARE TRUST
Bank name : STATE BANK OF INDIA
Branch : Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand
A/C no. : 30573132872

May Allah give you returns, Inshallah, Ameen

PRESIDENT
MD. SHAHNAWAZ QUAMAR

मिल्कियत का अजब फ़ैसला

❖ साजिद रशीद

अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक़ को लेकर हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उससे न तो सारे हिन्दू प्रसन्न हैं और न ही सारे मुसलमान संतुष्ट हैं । यह निर्णय बहुमत के आधार पर दिया गया है, क्योंकि तीन जजों की खंडपीठ में से दो जजों ने विवादित स्थल को हिन्दू और मुस्लिम पक्षकारों में बांट देने का निर्णय दिया है, जबकि एक जज ने पूरे विवादित भूखंड को रामलला का मंदिर मानते हुए हिन्दुओं को दिये जाने का स्पष्ट निर्णय दिया था । इस तरह विवादित स्थल पर निर्णय सर्वसम्मति से नहीं, बल्कि बहुमत के आधार पर सुनाया गया । जब अदालत की किसी खंडपीठ के जजों में सर्वसम्मति नहीं बनती है तो निर्णय के लिए बहुमत को आधार बनाया जाता है । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति एस॰यू॰ ख़ान ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह भी स्वीकार किया कि मस्जिद किसी पुरातन काल के मंदिर पर बनाया गया था । न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने बाबरी मस्जिद के वजूद को इस तर्क के साथ ख़ारिज कर दिया कि किसी दूसरे धर्म स्थल को ध्वस्त करके बनाया जाने वाला भवन इस्लाम की शिक्षा के अनुसार मस्जिद हो ही नहीं सकता । तीनों जजों ने राम मंदिर को मानने का आधार हिन्दुओं की आस्था को ठहराया है । दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक़ के लिए सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के दावे को इस टिप्पणी के साथ ख़ारिज कर दिया कि सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड अपना मालिकाना हक़ साबित करने में असमर्थ रहा । वक़्फ़ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जीलानी अपने मुवक्किल का दावा क्यों साबित नहीं कर सके, जबकि बोर्ड पिछले आठ वर्षों से बाबरी मस्जिद के भूखंड का टैक्स भरता रहा है ।

अदालत ने सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के दावे को इस दलील के साथ रद्द कर दिया कि 'सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड यह साबित नहीं कर सका कि मस्जिद बाबर ने बनवायी थी या मीर बाक़ी ने !' निर्मोही अखाड़े ने अपने दावे में बाबरी मस्जिद का निर्माणकर्ता मीर बाक़ी को बताया था । सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड मस्जिद के भूखंड पर मुसलमानों का दावा क्यों नहीं साबित कर सका । मुसलमान इसका उत्तर जजों के निर्णय को पढ़ने से पहले ज़फ़रयाब जीलानी से पूछेंगे । कहीं ऐसा तो नहीं कि सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की ओर से जीलानी ने बाबरी मस्जिद के भूखंड के मालिकाना हक़ के लिए जो सबूत और तर्क पेश किये उनमें मीर बाक़ी का ज़िक्र ही नहीं था ? यह प्रश्न इसलिए भी बहुत अहम है कि बाबरी मस्जिद पर शिया समुदाय ने भी अपना दावा पेश किया था, लेकिन वे मुसलमानों के भीतर एक नये विवाद को पैदा नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ख़ामोशी अपना ली थी । प्रश्न यह है कि कहीं मस्जिद पर शिया समुदाय के दावे को निरस्त करने के लिए सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने मस्जिद के निर्माणकर्ता के तौर पर केवल बाबर का नाम पेश किया, जिसके ठोस सबूत वह नहीं पेश कर सका ।

विवादित स्थल की बाबत जो निर्णय जजों ने दिया है इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि वर्तमान में जहां रामलला विराजमान हैं, वह हिन्दू आस्था और विश्वास के

इस निर्णय की कुंजी यह एक दलील है, जिसने भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार साक्ष्यों, तर्कों और दस्तावेज़ों पर आस्था को तरजीह दी है । जजों ने बड़ी ईमानदारी से यह लिखा है कि वे हिन्दुओं की आस्था को फ़ैसले का आधार बना रहे हैं । इसे जजों की ग़लती कहेंगे या एक सोचा-समझा क़दम, इसका पता तो उच्चतम न्यायालय में उस समय चलेगा जब आस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा कर पूरे निर्णय को चुनौती दी जाएगी ।

अनुसार राम का जन्म स्थान है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का उस पर अधिकार है । इस निर्णय की कुंजी यह एक दलील है, जिसने भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार साक्ष्यों, तर्कों और दस्तावेज़ों पर आस्था को तरजीह दी है । जजों ने बड़ी ईमानदारी से यह लिखा है कि वे हिन्दुओं की आस्था को फ़ैसले का आधार बना रहे हैं । इसे जजों की ग़लती कहेंगे या एक सोचा-समझा क़दम, इसका पता तो उच्चतम न्यायालय में उस समय चलेगा जब आस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा कर पूरे निर्णय को चुनौती दी जाएगी । मुलायम सिंह ने कहा है कि 'उच्चतम न्यायालय का निर्णय आस्था के अनुसार किया गया है । देश आस्थाओं पर नहीं चलता और आने वाले समय में इस निर्णय के दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे ।' मुलायम सिंह ने चाहे जिस मक़सद से यह बयान दिया हो, पर उन्होंने बात तो पते की कही है ।

अगर आस्था को साक्ष्यों और तर्कों पर तरज़ीह देना दोनों पक्षों को पूरी तरह स्वीकार्य होता तो अदालत में साठ वर्षों तक मुक़दमा लड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती ? ऐसे फ़ैसले तो पंचायतों में कर लिए जाते हैं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय भी एक पंचायती फ़ैसला है, जिसमें तीनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की गयी है । अदालत के पास वादी और प्रतिवादी ज़मीन के बंटवारे के लिए नहीं गये थे, वे तो अपना-अपना मालिकाना हक़ पेश करके विवादित स्थल पर अपना क़ब्ज़ा चाहते थे । यह दिलचस्प है कि अदालत ने बंटवारे में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को भी एक तिहाई हिस्सा दे दिया । अगर सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का विवादित स्थल पर मालिकाना हक़ साबित नहीं होता है तो ज़मीन में उसका हिस्सा कैसा ? निर्मोही अखाड़ा और अखिल भारतीय हिन्दू महासभा यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय में उठाने जा रहे हैं ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फ़ैसला मुझे इसलिए भी परिपक्व मालूम होता है कि न्यायमूर्ति शर्मा ने रिटायर होने के दूसरे रोज़ समाचार चैनल 'आजतक' पर जो बयान दिया वह एक जज का नहीं, एक आस्थावान हिन्दू का बयान मालूम होता है । उन्होंने कहा कि 'मेरा मत है कि अयोध्या में जहां श्री दशरथ का भव्य भवन था वहीं भगवान राम का जन्म स्थान है, जहां विवादित ढांचा था ।' एक जज अगर अपनी धार्मिक आस्था को एक संवेदनशील मुक़दमे में निर्णय का आधार बनाता है तो ऐसी न्याय-व्यवस्था इस देश को कहां ले जाएगी ? मेरी यह चिंता इसलिए भी है कि मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन तमाम धर्मों का सम्मान करता हूं, इसलिए कि धर्म की जड़ें हम भारतीयों की चेतना में बहुत गहराई तक हैं । मस्जिद-मंदिर विवाद में बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक मेरा स्पष्ट मत था कि अगर देश के बहुसंख्यक हिन्दू विवादित स्थल को ही राम जन्मभूमि मानते हैं और यह स्थान उनके लिए मुसलमानों के काबा जैसा महत्व रखता है तो मुसलमानों को एक समझौते के तहत विवादित स्थल को अयोध्या के हिन्दुओं को (राम के नाम पर संघ परिवार के चंदाख़ोरों को नहीं) भेंट कर देना चाहिए ।

लेकिन जिस रोज़ आडवाणी ने कारसेवकों की उन्मादी भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर या करवा दिया, उस रोज़ से मेरे रुख़ में फ़र्क़ आ गया । मैं इस विवाद को अदालत से निबटाने के पक्ष में हो गया । चाहे जो फ़ैसला आये उसे मुसलमानों और हिन्दुओं को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत इसलिए था कि आडवाणी ने आस्था के नाम पर रथ यात्रा आरंभ की थी और आस्था को सिद्ध करने के लिए बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गयी थी । अगर आस्था सर्वोपरि है तो जिस रोज़ बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उद्दंडता के साथ 'मर्यादा पुरुषोत्तम' की मूर्तियां रखकर पूजा-पाठ शुरू कर दिया गया था, उसी समय आडवाणी इस समस्या का समाधान, इलाहाबाद उच्च

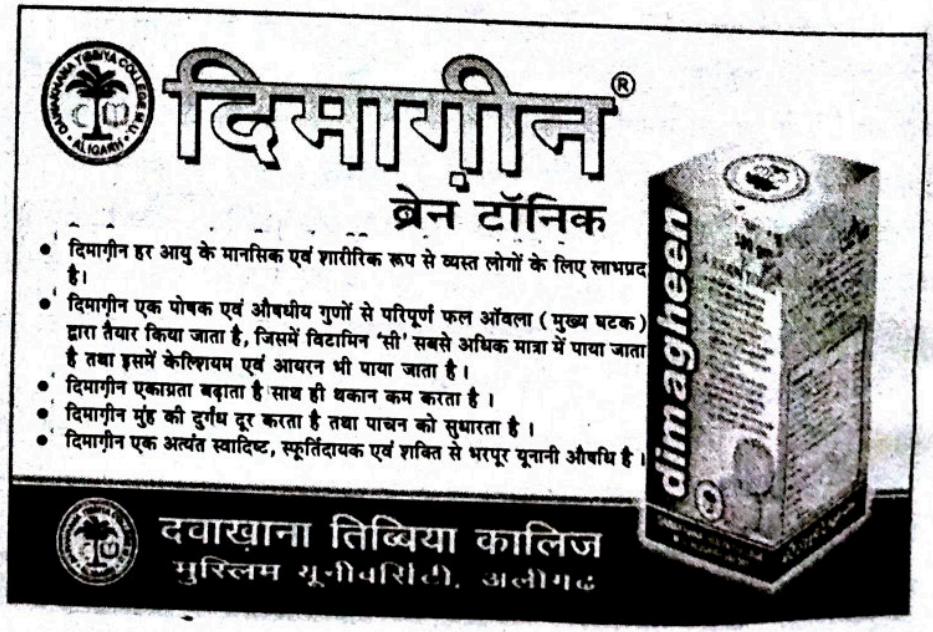

न्यायालय के निर्णय से अठारह वर्ष, पूर्व आस्था की ही बुनियाद पर कर चुके थे। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आडवाणी की रथ यात्रा उचित नज़र आती है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को कुछ आदर्शवादी एक 'संतुलित निर्णय' कह रहे हैं, और उनका आग्रह है कि अब इस विवाद को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। सुनने में यह बात बहुत भली लगती है, पर क्या इस निर्णय को स्वीकार कर लेने के बाद सारा विवाद समाप्त हो जाएगा ? मुसलमान इस फ़ैसले से आहत हैं कि साढ़े चार सौ वर्ष पुरानी उनकी एक ऐतिहासिक मस्जिद को उन्मादी भीड़, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, गिरा कर अपनी मनमानी करती है और अदालत उनके मालिकाना हक़ को ही नहीं मानती । दूसरी ओर हिन्दू इसलिए संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वे मानते हैं कि विवादित स्थल राम जन्मभूमि है ओर उसमें एक तिहाई भूखंड मुसलमानों को दे दिया गया है । जो फ़ैसला न तो न्याय के मापदंड पर खरा उतरा है और न ही किसी पक्ष को संतुष्ट कर पाया है, उसे 'संतुलित निर्णय' कैसे कहा जा सकता है ! जहां तक संतुलित निर्णय का प्रश्न है, वह आमतौर पर सामाजिक पंचायतों में दिया जाता है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर अब सबसे अधिक भाजपा विचलित हैं । उसकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह इसे अपने वरिष्ठ नेता आडवाणी की रथ यात्रा के औचित्य की पुष्टि समझे या हिन्दुत्व की जीत माने ? निर्णय के आते ही भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने इसका स्वागत बहुत ज़ोर-शोर से किया था । लेकिन उसी रोज़ शाम ढलते-ढलते उन्हें यह समझ में आया कि उनकी पार्टी जिस भव्य मंदिर के निर्माण का वादा करती रही है वह संभव ही नहीं है, क्योंकि 120 गुणा 90 मीटर के विवादित स्थल में से एक तिहाई भूखंड मुसलमानों को दिया गया है (संघ परिवार मंदिर के आसपास तो छोड़िये, अयोध्या के पांच किलोमीटर के दायरे में बाबरी मस्जिद को नहीं देखना चाहता)। जब प्रसाद को विवादित भूखंड का बंटवारा समझ में आया तो वे ठगा-सा महसूस करने लगे और जब समाचार चैनलों पर उन्हें मंदिर-मस्जिद एक साथ बनाने के सुझाव दिये जाते तो वे हत्थे से उखड़ जाते ।

यह खीज केवल रविशंकर प्रसाद की नहीं है, समूचे संघ परिवार की है, जो यह मुक़दमा जीत कर भी हार-सा गया है । लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए । अभी उच्चतम न्यायालय का एक चरण बाक़ी है, जहां आस्था और क़ानून में कौन सर्वोपरि है इस पर बहुत गंभीर और विचारोत्तेजक बहस अपेक्षित है । तब पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा ।

بسم الله الرحمن الرحيم

"जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं, उनकी उपमा ऐसी है, जैसे एक दाना बोया जाए, जिससे सात बालें निकलें और प्रत्येक बाल में सौ दानें हों ।" (क़ुरआन)

एक ख़ैरख़्वाह

मुम्बई

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

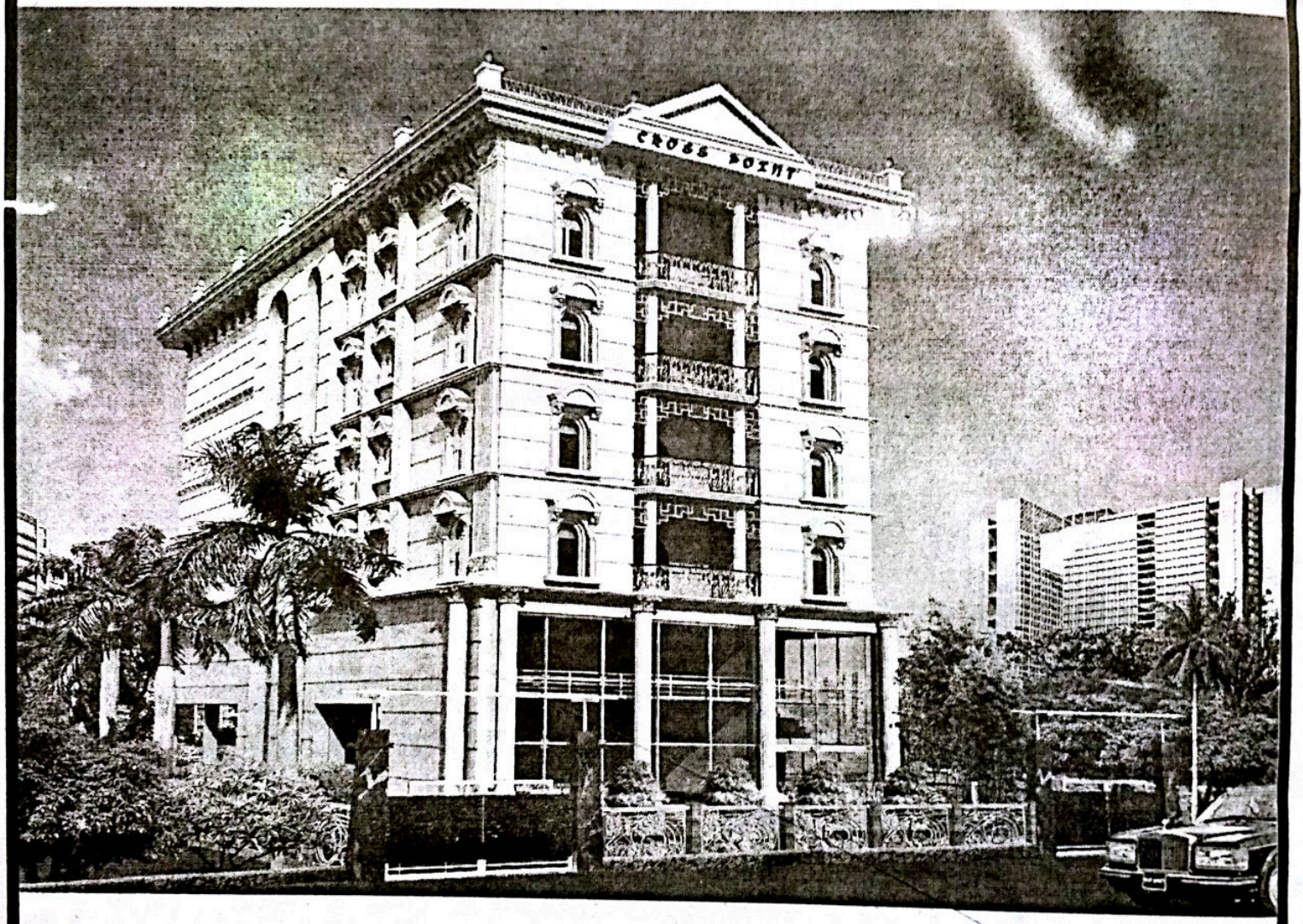

M.D. MR. MUKHTAR AHMED MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

अयोध्या के सबक़

❖ आनंद प्रधान

अयोध्या विवाद की बाबत आये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के फ़ैसले ने संवैधानिक मूल्यों और क़ानून के राज में भरोसा करने वाले सभी लोगों को विचलित किया है । उच्च न्यायालय ने फ़ैसले के लिए क़ानूनी प्रावधानों के बजाय जिस तरह से धार्मिक आस्था और विश्वास को आधार बनाया है, मिथ और इतिहास को गड्मड् कर दिया है, वह आधुनिक संविधान और क़ानून के राज के लिए बहुत ख़तरनाक नज़ीर बन सकता है । बहुतेरे क़ानूनविदों ने इस फ़ैसले की ठीक ही आलोचना की है कि यह क़ानून पर आधारित न्यायिक फ़ैसला कम और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर निकल कर पंचायत की तर्ज़ पर किया गया राजनीतिक फ़ैसला अधिक लगता है ।

लेकिन दूसरी ओर मीडिया के बड़े हिस्से कई जाने-माने बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) के नेताओं ने 'सभी पक्षों को खुश करने वाले' इस फ़ैसले का इस आधार पर स्वागत भी किया है कि इससे दोनों पक्षों–हिन्दू और मुस्लिम समुदाय–में सुलह-समझौते का रास्ता साफ़ होगा । कांग्रेसी धर्मनिरपेक्षता के नये मसीहा दिग्विजय सिंह के अनुसार मौजूदा स्थितियों में इससे बेहतर फ़ैसला नहीं हो सकता था । इन सभी लोगों को इस फ़ैसले में इसलिए भी 'उम्मीद की किरण' दिखायी दे रही है कि उच्च न्यायालय के फ़ैसले

आश्चर्य नहीं कि फ़ैसले से पहले तक धार्मिक आस्था और विश्वास को क़ानून और न्याय प्रक्रिया से ऊपर मानने वाले संघ ब्रिगेड ने न्यायालय के फ़ैसले का न सिर्फ़ स्वागत किया है बल्कि सबसे पहले शांति-सौहार्द और सुलह-समझौते की बातें भी करनी शुरू कर दी हैं । जो कल तक 'मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा लगाते नहीं थकते थे, उनकी मांग है कि इस फ़ैसले को सभी, ख़ासकर मुसलमान स्वीकार कर लें और वहां 'भव्य राम मंदिर' बनाने में योगदान करें । उनका यह भी कहना है कि सुलह-समझौते का रास्ता बेहतर है । लेकिन उनके लिए सुलह-समझौते का एक ही मतलब है कि मुस्लिम समुदाय उदारता दिखाते हुए कोर्ट के फ़ैसले के तहत मिली एक तिहाई ज़मीन के मालिकाने को भी 'भव्य मंदिर' निर्माण के लिए छोड़ दे ।

को लेकर जतायी जा रही तमाम आशंकाओं और चेतावनियों के बावजूद देश में शांति और सामान्य स्थिति बनी रही । इससे उत्साहित इन लोगों का तर्क है कि देश 1992 से बहुत आगे निकल आया है और अब समय आ गया है कि पीछे देखने के बजाय आगे देखा जाए ।

इन उदार धर्मनिरपेक्ष महानुभावों के कहने का तात्पर्य यह है कि क़ानूनी ख़ामियों और सीमाओं के बावजूद इस फ़ैसले को स्वीकार कीजिए, क्योंकि इक्कीसवीं सदी के इस दशक में अतीत के इस बोझ-अयोध्या विवाद को उतार फेंकने का यह अच्छा मौक़ा है । इसमें दो राय नहीं कि देश 80-90 के साम्प्रदायिक उन्माद और विध्वंस के आत्मघाती दशक से आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ भी रहा है । लेकिन सवाल यह है कि वह आगे कैसे बढ़े, जब न्यायालय धार्मिक आस्था और विश्वास पर फ़ैसला देकर उसे फिर से सोलहवीं शताब्दी में खींच ले जाना चाहती है ? देश आगे कैसे बढ़े जब 'न्याय' उन साम्प्रदायिक उन्मादियों के साथ खड़ा नज़र आता है जो देश को मध्ययुगीन अंध-आस्था से बाहर नहीं निकलने देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं ?

आश्चर्य नहीं कि फ़ैसले से पहले तक धार्मिक आस्था और विश्वास को क़ानून और न्याय प्रक्रिया से ऊपर मानने वाले संघ ब्रिगेड ने न्यायालय के फ़ैसले का न सिर्फ़ स्वागत किया है बल्कि सबसे पहले शांति-सौहार्द और सुलह-

समझौते की बातें भी करनी शुरू कर दी हैं । जो कल तक 'मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा लगाते नहीं थकते थे, उनकी मांग है कि इस फ़ैसले को सभी, ख़ासकर मुसलमान स्वीकार कर लें और वहां 'भव्य राम मंदिर' बनाने में योगदान करें । उनका यह भी कहना है कि सुलह-समझौते का रास्ता बेहतर है । लेकिन उनके लिए सुलह-समझौते का एक ही मतलब है कि मुस्लिम समुदाय उदारता दिखाते हुए कोर्ट के फ़ैसले के तहत मिली एक तिहाई ज़मीन के मालिकाने को भी 'भव्य मंदिर' निर्माण के लिए छोड़ दे ।

इसके बावजूद बहुतेरे उदारवादी यह कहते हैं कि अब अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसा लगता है कि इतिहास से नज़रें चुराने की कोशिश की जा रही है । सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि ये सभी भलेमानुष इस बात को लेकर डरे हुए और परेशान हैं कि फ़ैसले की आलोचना या विरोध करने से अयोध्या विवाद को लेकर अतीत की कड़वी स्मृतियां फिर ताज़ा हो जाएंगी, पुराने ज़ख़्म याद आएंगे और दोनों समुदायों में कड़वाहट बढ़ सकती है । लेकिन याद रखना चाहिए कि इतिहास से नज़रें चुराने वाले उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं ।

वास्तव में जो इतिहास से जितना भागते हैं, इतिहास उनका उतना ही पीछा करता है । लातिन अमेरिका पर अपनी हालिया किताब से मशहूर हुए उरुग्वे के लेखक एदुआर्दो गलिआनो के अनुसार 'कुछ लोग इस दोषपूर्ण विचार की वकालत करते हैं कि याद रखना बहुत घातक होता है क्योंकि याद रखने से इतिहास ख़ुद को एक दुस्वप्न की तरह दोहरा सकता है...लेकिन यह स्मृति-छोष है जो इतिहास को दोहराने और एक दुस्वप्न की तरह दोहराने का मौक़ा देता है । स्मृति-दोष का अर्थ है, अपराधियों को खुली छूट और खुली छूट का मतलब है अपराधों को और बढ़ावा ।' कहने की ज़रूरत नहीं कि अयोध्या मामले में भी 'आगे बढ़ने' की वकालत करने वाले अपनी तमाम सदिच्छाओं के बावजूद इसी स्मृति-दोष के शिकार हैं । उनके इस स्मृति-दोष का राजनीतिक फ़ायदा साम्प्रदायिक उन्मादी शक्तियों को हो रहा है, जो बड़ी चालाकी से अपने जघन्य अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं ।

आख़िर इसे कैसे और क्यों भुलाया जाना चाहिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को एक बड़े साम्प्रदायिक फ़ासीवाद अभियान के तहत उठाया और आगे बढ़ाया गया ? इसे कैसे अनदेखा किया जा सकता है कि आर०एस० एस० और उसके विहिप, बजरंग दल जैसे अनुषंगी संगठनों और बाद में सीधे भाजपा के नेतृत्व में चले 'मंदिर वहीं बनाएंगे' के ज़हरीले साम्प्रदायिक अभियान में हज़ारों निर्दोष लोगों की जानें चली गयीं ? इसे कैसे माफ़ किया जा सकता है कि मामले के कोर्ट में होने के बावजूद छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में क़ानून और संविधान को खुलेआम रौंदते हुए बाबरी मस्जिद गिरा दी गयी ? इसे कैसे भुलाया जा सकता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने देश को भरोसा दिलाया था कि मस्जिद वहीं बनायी जाएगी ?

सवाल है कि अगर यह सब भुला कर आगे बढ़ने की बात हो रही है तो फ़ैसले के तुरंत बाद वहां 'भव्य मंदिर' बनाने की याद क्यों हो आयी ? क्या मंदिर इस भूलने और आगे बढ़ने में शामिल नहीं है ? अस्ल में जो लोग भी भूलने और माफ़ करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वे जाने-अनजाने संघ परिवार की चुनिंदा और धूर्ततापूर्ण स्मृति-दोष की राजनीति का समर्थन कर रहे हैं, जो मस्जिद को भूलने और भव्य मंदिर के नारे को याद रखने की वकालत करती है । अफ़सोस की बात यह है कि अयोध्या विवाद में न्यायालय का फ़ैसला भी इसी चुनिंदा स्मृति-दोष से ग्रस्त नज़र आता है । न्यायालय के फ़ैसले पर यह सवाल उठ रहा है कि उसने 92 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का उल्लेख क्यों नहीं किया है ? यह ठीक है कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का आपराधिक मुक़दमा अलग से चल रहा है, लेकिन इस सवाल को अनदेखा कैसे किया जा सकता है कि अगर 92 में बाबरी मस्जिद को आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिराया नहीं गया होता, तो भी क्या उच्च न्यायालय के तीनों माननीय जज उसे आस्था और विश्वास के आधार पर राम जन्मभूमि घोषित करते हुए बाक़ी विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांटने का फ़ैसला कर पाते ?

पूर्व महाधिवक्ता टी०आर० अंध्यराजन का यह कहना बिल्कुल तार्किक है कि इस फ़ैसले ने एक तरह से बाबरी मस्जिद गिराए जाने को क़ानूनी जामा पहना दिया है, क्योंकि न्यायालय का आदेश इस आधार पर है कि आज उस विवादित स्थल पर कोई मस्जिद नहीं है । उनका यह भी कहना है कि यह फ़ैसला एक तरह से क़ानून अपने हाथ में लेने वाले उपद्रवियों को पुरस्कृत करने की तरह है ।

अतीत के बोझ से मुक्त होने और आगे देखने की बातें

ठीक हैं, लेकिन इतिहास का यह भी सबक़ है कि साम्प्रदायिक अपराध और अन्याय को न्याय घोषित करके और उसके आधार पर होने वाला कोई भी सुलह-समझौता स्थायी नहीं हो सकता । यह मांग करके एक ख़तरनाक नज़ीर क़ायम करने की कोशिश की जा रही है । हालिया इतिहास गवाह है कि अयोध्या में 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखने से लेकर 'मंदिर वहीं बनाएंगे' के साम्प्रदायिक अभियान के बाद मस्जिद का ताला खुलवाने, शिलान्यास करवाने, मस्जिद ढहाने और अब विवादित भूमि को रामलला का जन्म स्थान घोषित करने तक अन्याय का सिलसिला इसी सुलह-समझौते और 'आगे देखने' की आड़ में चला है ।

निश्चय ही मुस्लिम समुदाय इससे आहत और छला हुआ महसूस कर रहा है । इसके बावजूद उसने बहुत सब्र और परिपक्वता का परिचय दिया है । लेकिन जो लोग इस बात से निश्चिंत से हो गये हैं कि फ़ैसले के बाद भी देश में शांति और सामान्य स्थिति बनी हुई है और इसे इस बात के सबूत के रूप में देख रहे हैं कि अयोध्या मुद्दा लोगों के लिए बेमानी हो चुका है, वे ग़लती कर रहे हैं ।

यह शांति सतह के ऊपर की शांति है, जिसके नीचे चल रही बेचैनी, अलगाव और ग़ुस्से की हलचल को सुनना और समझना ज़रूरी है । इस शांति को स्थायी बनाने के लिए लोगों में जिसकी लाठी उसकी भैंस के बजाय क़ानून के राज के प्रति विश्वास पैदा करना होगा, जो तर्क और तथ्य आधारित न्याय के बिना असंभव है ।

दरअस्ल, यह मसला बाबरी मस्जिद तक सीमित नहीं है । साम्प्रदायिक विभाजन की राजनीति करने वाली शक्तियों के लिए अयोध्या विवाद देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने के उनके लंबे राजनीतिक अभियान का एक पड़ाव भर है । सुलह- समझौते की बातें उनके शब्दकोश में केवल दिखाने के लिए हैं । टकराव हमेशा से उनकी राजनीति की बुनियाद में रहा है । उनके पास अयोध्या विवाद जैसे ज्वलनशील मामले अनगिनत हैं । याद रखिए कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुएथनिक और विभिन्नताओं वाले देश में अनेक ऐतिहासिक कारणों से ऐसी कई साम्प्रदायिक-एथनिक दरारें (फाल्टलाइंस) है जिनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने में साम्प्रदायिक शक्तियां कभी पीछे नहीं रहती हैं । वे फिर मौक़े की तलाश में हैं ।

यह ठीक है कि जनता द्वारा पहले 2004 और फिर 2009 के आम चुनाव में नकारे जाने के बाद ये शक्तियां कमज़ोर हुई हैं, लेकिन अयोध्या विवाद में न्यायालय के फ़ैसले के बाद इनका हौसला बढ़ा है । उनकी मंशा और कोशिश यही है कि एक बार फिर अयोध्या विवाद को राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बना दिया जाए । लेकिन इसका जवाब कांग्रेस की तरह न तो अयोध्या मुद्दे से नज़रें चुरा कर और राजनीतिक पलायन से दिया जा सकता है और न ही सुलह-समझौते के नाम पर अयोध्या मामले में न्यायिक अन्याय को स्वीकार करने की वकालत करके दिया जा सकता है ।

अस्ल मुद्दा है साम्प्रदायिकता से सीधी लड़ाई का । साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ़ कोई भी सच्ची लड़ाई हर तरह से उससे बेहतर राजनीति के ज़रिये ही लड़ी जा सकती है । एक ऐसी राजनीति जो ग़रीबों के हक़-हुक़ूक़, रोज़ी-रोटी, इज़्ज़त के साथ एक बेहतर भारत बनाने की लड़ाई में विश्वास करती हो, वही स्थायी रूप से साम्प्रदायिकता को क़ाबू में कर सकती है । अफ़सोस, इस मामले में कांग्रेस या सपा-राजद जैसों की राजनीति कोई उम्मीद नहीं पैदा करती । अयोध्या के फ़ैसले के बाद उभरती राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सबक़ यही है । (सा॰ : जनसत्ता)

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the Society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

क़ानून के शासन का अंत !

(अयोध्या विवाद को लेकर हाईकोर्ट के फ़ैसले के बारे में न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, दिल्ली का वक्तव्य)

अयोध्या विवाद को लेकर उच्च न्यायालय के लिए आदेश के संदर्भ में जनता के तमाम हिस्सों द्वारा सिखाये गये संयम और एक नया पन्ना पलटने की उनकी ख़्वाहिश का जहां 'न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव' स्वागत करती है, वहीं उसका यह भी स्पष्ट मानना है कि यह जांचने की ज़रूरत है कि चारों तरफ़ दिख रही शांति सम्मान के साथ हासिल की गयी है या दबाव की वजह से क़ायम हुई है। अयोध्या मसले को लेकर हाल में संपन्न क़ानूनी घटनाक्रम को लेकर 'न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव' बेहद चिंतित है और उसे यह लगता है कि फ़ैसले में यह दिख रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र जैसे अहम संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता किया गया है।

अयोध्या जो लंबे समय से हमारी साझी विरासत का एक प्रतीक रही है, जिसे 18 साल पहले साम्प्रदायिक फासीवादी ताक़तों द्वारा पांच सौ साल पुरानी मस्जिद को तबाह कर कलंकित किया गया, उसकी छवि फिर एक बार मलिन हुई है। उपरोक्त ज़मीन के टुकड़े को लेकर जहां पांच सौ साल पुरानी मस्जिद खड़ी थी, सामने आये अदालती फ़ैसले का यही निचोड़ कहा जा सकता है।

इलाहाबाद उच्च अदालत की तीन सदस्यीय लखनऊ पीठ द्वारा किये निर्णय ने उपरोक्त ज़मीन के मालिकाना हक़ विवाद को तीन पक्षों के बीच के सम्पत्ति विवाद में रूपांतरित कर दिया और एक तरह से यह निर्णय दिया कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए वास्तविक तथ्यों की नहीं जनता की मान्यताओं की ज़रूरत है। क़ानून के बजाय आस्था का यह महिमामंडन या ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बजाय धर्मशास्त्र की दी जा रही दुहाई को हम आज़ाद भारत के न्यायिक इतिहास के पतन की पराकाष्ठा कह सकते हैं। ग़ौरतलब है कि अदालत ने जहां एक तरफ़ सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसके पास ज़मीन का समूचा मालिकाना था, और अंत में उसे ज़मीन का एक तिहाई हिस्सा दिया। ऐसा लगता है कि प्रस्तुत फ़ैसला ठोस क़ानूनी सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि दो समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के निबटारे की नीयत से प्रेरित है। यह बिल्कुल ठीक जान पड़ता है कि यह फ़ैसला 'पंचायती' क़िस्म का निर्णय है जहां मध्यस्थ की बात को ही अंतिम शब्द समझा जाता है।

यह बात भी बेहद आश्चर्यजनक है माननीय न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर अपनी राय बनाने के लिए ऐसे अन्य मसलों की भी चर्चा नहीं की।

बंटवारे के पहले लाहौर की शहीदगंज गुरुद्वारे का मसला चर्चित रहा है जिसमें बाद में प्रीवी कौंसिल को हस्तक्षेप करना पड़ा था और व्यवस्था देनी पड़ी थी कि मुसलमानों के इस दावे को ख़ारिज कर दिया गुरुद्वारा कुछ समय पहले तक मस्जिद के रूप में कार्यरत था। इस फ़ैसले के बाद हिन्दुत्व ब्रिगेड के ख़ेमे में मची ख़ुशी को समझा जा सकता है। इस फ़ैसले ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को साबित कर दिया है कि आस्था के मामले क़ानून से ऊपर होते हैं। अपनी आसन्न जीत को देखते हुए उन्होंने दोनों समुदायों के बीच मौजूद अन्य विवादास्पद मुद्दों को भी उठाना शुरू किया है, यहां तक कि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे मथुरा, वाराणसी और अन्य हज़ारों स्थानों पर अपने दावे खुद छोड़ दें। इस तरह यह बात विचलित करने वाली है कि इस फ़ैसले ने हिन्दुत्व की सियासत को नयी ऊर्जा प्रदान की है, जिसे हाल के समयों में कई हारों का सामना करना पड़ा था।

नब्बे के दशक में आये सर्वोच्च न्यायालय के एक फ़ैसले जिसमें हिन्दुत्व को जीवनप्रणाली घोषित किया गया था और जिसने हिन्दुत्व की असमावेशी परियोजना को नयी वैधता प्रदान की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ का यह फ़ैसला जो एक तरह से झुंडवादी दावों (Majoritarian claims) की बात करता और इन्साफ़ की अनदेखी करता है, आने वाले लंबे समय तक नज़ीर बना रहेगा।

'न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव' का साफ़ मानना है कि

इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि स्वतंत्र भारत की आगे की यात्रा में और भारतीय संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र पर इस अदालती फ़ैसले के अहम प्रभावों को देखते हुए इस मसले को सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के सामने रखा जाए तथा उससे यह अनुरोध किया जाए कि वह जल्द से जल्द इस मसले का समाधान ढूंढ़े ।

साम्प्रदायिकता विरोधी ख़ेमे के चन्द लोगों द्वारा उठायी गयी यह मांग कि 'मौक़े को हाथ से नहीं जाने देना है' ताकि सहयोग एवं समर्थन के नये युग की शुरुआत की जा सके, इसके पीछे उनके निहितार्थों को समझते हुए वह उन लोगों को इन झुंडवादी ताक़तों के वास्तविक इरादों के प्रति भी आगाह करना चाहता है ।

हम हर अमनपसन्द, इन्साफ़पसन्द और अग्रगामी नज़रिया रखने वाले व्यक्ति से अपील करना चाहते हैं कि वह विवेक की आवाज़ बुलन्द करे और धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र की हिफ़ाज़त के लिए एकजुट होकर दीर्घकालीन संघर्ष चलाने की तैयारी करे ।

हक़ की लड़ाई

जमीअत उलमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें इन्साफ़ मिलेगा । यह हक़ की लड़ाई है, जिस जगह मस्जिद थी वह मस्जिद रहनी चाहिए ।

माकपा ने कहा है कि इसकी प्रकृति को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं । पार्टी ने कहा कि हमारी संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जाने सहित न्यायिक प्रक्रिया मुद्दों के समाधान का एकमात्र तरीक़ा होना चाहिए ।

न्याय का प्रभाव

❖ वेद व्यास

(जयपुर)

इस अदालती फ़ैसले के बाद अब यह भी साबित हो गया है कि भारत की जनता का सामूहिक विवेक ही अजेय तथा अमर है तथा लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताक़त है । मुझे भी पता था कि 30 सितम्बर 2010 को कहीं कुछ उत्तेजना, हंगामा और हिंसा–आगजनी अब दुबारा होने वाली नहीं है । सबकी आशंकाएं, भय और जिज्ञासाएं भी निर्मूल हो गयीं और यह भी तय हो गया कि काठ की हांडी को दुबारा नहीं चढ़ाया जा सकता ।

मेरा भी ऐसा मानना है कि लखनऊ हाईकोर्ट का यह फ़ैसला न्यायिक विश्लेषण के स्तर पर कई तरह की 'भूलचूक और लेनदेन' के नज़रिये पर आधारित है तथा इस फ़ैसले से भी कुछ धार्मिक राजनीति करने वाली ताक़तें फिर कोई काशी-मथुरा के मंदिरों का या अन्यत्र के ऐसे ही विवादस्पद स्थलों का पिटारा भी खोलने का प्रयास करेंगी लेकिन अब यह विश्वास भी भारत की जनता के मन में और मज़बूत हो गया है कि 'एक क़दम आगे और दो क़दम पीछे' की रणनीति ही देश में अमनचैन का एक पक्का रास्ता है ।

क्योंकि 5 हज़ार साल के भारतीय इतिहास ने अनेक लड़ाइयां, युद्ध और दो विश्व युद्ध के अनुभव से आज यही सीखा है कि मनुष्य की पहली और अंतिम इच्छा शांति और सद्भाव को हासिल करना ही है तथा शांति का विकल्प केवल सत्य और हिंसाहीनता ही है ।

मुझे भी इस फ़ैसले में तथ्य और दस्तावेज़ी सबूतों पर आधारित न्याय का तो अभाव लगता है ।



NEW EMPRESS MILLS

1st Phase Industrial Area BALOTRA-344022 (Raj.)

Visit us. www.Empress. com. E-mail : empresspoplin@hotmail.com

(M) SAYED PARWAN ALI 09214408133



LILLY लिली गोल्ड GOLD

Superior Nighty

KAJAL काजल गोल्ड GOLD

MFG. OF : HIGHCLASS STANDARD POPLIN & NIGHTY PRINTS

शर्मनाक और चौंका देने वाला फ़ैसला

❖ निवेदिता मेनन

इस फ़ैसले के प्रभाव, लोकतंत्र के लिए इसके निहितार्थों और आने वाले भविष्य के बारे में यह जो कुछ भी कहता है–इस सबने मुझे तोड़ कर रख दिया है ।

मीडिया में एक के बाद एक आडंबर प्रेमी महानुभावों द्वारा इस फ़ैसले में किये गये समझौते की परिपक्वता के बारे में दिये गये हर वक्तव्य के साथ मेरा आक्रोश बढ़ता जा रहा है ।

उदाहरण के लिए–प्रतापभानु का आख़िर इरादा क्या है जब वे अमन सेठी द्वारा उद्धृत लेख में कहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए उस घटनास्थल को ही राम का जन्म स्थान मानने की स्वीकारोक्ति का एक ही अर्थ हो सकता है–धर्म के अराजनीतिकरण का प्रयास ।

उसी स्थल को ''इस उद्देश्य के लिए'' राम का जन्म स्थान मान लेने से ध र्म से राजनीति कैसे अलग हो जाती है ? भूमि का स्वामित्व तय करने का उद्देश्य क्या है ? संपत्ति के विवाद में आप ख़ुद भगवान को शामिल करने जा रहे हैं और यही है ''धर्म का अराजनीतिकरण''?

राम आस्था का विषय हैं या तर्क का, पौराणिक कथाओं का हिस्सा हैं या इतिहास का, समय से परे हैं या किसी विशेष कालखंड से बंधे हुए, यथार्थ हैं या कल्पना की उपज, ये सभी मुद्दे बहस का विषय हो सकते हैं, पर ऐसा लगता है कि अदालत ने यह मान लिया है कि आस्था से भारतीय समाज में व्याप्त अपनी पहचान के विभिन्न स्वरूपों से विचार-विमर्श के माध्यम से छुटकारा नहीं मिल सकता ।

प्रताप की और अदालत की भी समझ में ये ''भारतीय अस्मिता'' आख़िर है क्या ? क्या इसमें ब्राह्मण समाज को मानने वाले और मेरी मां जैसे निष्ठावान सनातनी हिन्दू सम्मिलित हैं, जिन्हें यह विचार ही स्तब्ध कर देता है कि कोई हिन्दू ईश्वरीय अस्तित्व को भूमि के एक संकीर्ण, छोटे से टुकड़े तक सीमित मान सकता है ? ग़ैर-हिन्दुओं और दलितों के बारे में क्या विचार है ? नास्तिकों और धार्मिक संशयवादियों के बारे में ? और ये राम जन्मभूमि न्यास भी आख़िर है क्या ? मंदिर बनाने के एकमात्र उद्देश्य से अधिकतर उत्तर भारतीय साधुओं, संतों-महंतों और विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा के सदस्यों द्वारा गठित एक न्यास, यही है ''भारतीय'' पहचान का प्रतीक ?

जब सारा तर्क ख़ामोश हो जाता है तो हर ओर लोग बड़बड़ाने लगते हैं, पर कल्पना कीजिए कि फ़ैसले में यह मान लिया गया होता कि ''हिन्दुओं'' के दावे का कोई भी क़ानूनी आधार नहीं, तब क्या हुआ होता, तब होता रक्तपात और नरसंहार । तो यह है अस्ली मुद्दा । पर अगर ऐसा ही है अगर सचमुच रक्तपात रोकने के लिए यह सब किया गया है और अगर इसके लिए हत्यारों को संतुष्ट करना आवश्यक है तो अदालत जाने की आवश्यकता ही क्या थी ?

ऐसा लगता है कि अदालत ने राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ख़तरे में डाले बग़ैर धार्मिक दावों को स्वीकार कर लिया है । इससे शुद्धतावादी तो संतुष्ट नहीं होंगे, पर धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने का यह कोई अविश्वसनीय तरीक़ा नहीं है । पर अदालत ने धार्मिक दावों को यथावत स्वीकार नहीं किया है, किया है क्या ? मुसलमानों के दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किये गये हैं क्या ? मैं आईने की दुनिया में भटकती किंकर्तव्यविमूढ़ एलिस की तरह महसूस कर रही हूं । मैं उकता चुकी हूं टालमटोल करती सतर्कता से : शायद फ़ैसले के तकनीकी बिन्दुओं पर हमने ध्यान ही नहीं दिया । ये भूमि के स्वामित्व का विवाद है, हमें इसके क़ानूनी निहितार्थों पर ध्यान देना चाहिए, क्या हम सभी क़ानूनी बारीकियों को समझ पा रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह ।

क़ानूनी बारीकियां ? वैधता ? फ़ैसला न केवल बहुत ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है बल्कि इसमें मनमाने तरीक़े से यह भी तय कर लिया गया है कि कब वैधता और बारीकियों पर

ज़ोर देना है और कब उन्हें नज़रअंदाज़ करना है । जब भी कोई तर्क कमज़ोर लगने लगता है तो कई अन्य बिल्कुल विरोधाभासी तर्क भी जोड़ दिये गये हैं, सिर्फ़ अपने बचाव के उद्देश्य से । ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई झूठा कहने लगे कि माफ़ करें मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं डेंगू से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा था, और मैं अपनी बीमार मां की देखभाल भी कर रहा था जिनके पैर की हड्डी टूट गयी थी और फिर काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और सड़कों पर पानी भर गया ।

क्या ''आस्था'' किसी भी आधुनिक विधिक न्यायालय में निर्णय का पर्याप्त आधार हो सकती है ? यही नहीं, ए०एस०आई० की रिपोर्ट दिखाती है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड भी निर्णायक रूप से अपना अधिकार सिद्ध करने में असमर्थ रहा है । फिर ये है क्या ?

ए०एस०आई० की रिपोर्ट की वैज्ञानिकता ? कमियों से भरी, अत्यधिक संदिग्ध और तकनीकी तौर पर अरक्षणीय । विधिक अभिलेख ? राम जन्मभूमि न्यास के पास एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो विधिक परीक्षण में खरा उतर सके । 20 मार्च 1992 के पट्टे के दस्तावेज़ से जो 43 एकड़ भूमि पर राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिन्दू परिषद के दावे का आधार है । स्पष्ट हो जाता है कि वह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की थी और न्यास को विशिष्ट मात्र के लिए दी गयी थी । यह सरकारी ज़मीन है जिसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है । मंदिर का निर्माण ऐसे उद्देश्यों के विपरीत है । अत: भूमि पर न्यास का कोई क़ानूनी स्वामित्व नहीं है ।

इसलिए आस्था का सहारा लिया गया, पर आपको एक बात पता है ? आस्था तो सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के पास भी बहुतेरी है । प्रताप ये भी कहते हैं संपत्ति के मामले में ''किसी भी पक्ष द्वार अधिकतम की मांग करना एक भूल होगी ।'' ''किसी भी पक्ष'' का तात्पर्य सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ही हो सकता है क्योंकि न तो न्यास, न ही अखाड़े द्वारा अदालत से मिली भूमि से अधिक की मांग करने की संभावना है । प्रताप चेतावनी देते हैं कि जितनी मिली है उससे अधिक भूमि की मांग करने का अर्थ होगा, वे लोग संपत्ति के लोभ में ज़िद्दी हो गये हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि यदि न्यास भूमि पर दावा करता हो वह तो अनेक अमूर्त और ऊंचे सिद्धांतों और ईश्वर तक की प्रेरणा से ऐसा कर रहा है, पर यदि वक़्फ़ बोर्ड अपनी क़ानूनी संपत्ति पर दावा करे तो वह लोभ और असभ्यता प्रदर्शित कर रहा है ।

जब सारा तर्क ख़ामोश हो जाता है तो हर ओर लोग बड़बड़ाने लगते हैं, पर कल्पना कीजिए कि फ़ैसले में यह मान लिया गया होता कि ''हिन्दुओं'' के दावे का कोई भी क़ानूनी आधार नहीं, तब क्या हुआ होता, तब होता रक्तपात और नरसंहार । तो यह है अस्ली मुद्दा । पर अगर ऐसा ही है अगर सचमुच रक्तपात रोकने के लिए यह सब किया गया है और अगर इसके लिए हत्यारों को संतुष्ट करना आवश्यक है तो अदालत जाने की आवश्यकता ही क्या थी ? दोनों समुदायों के समझदार लोगों की एक उपयुक्त ''पंचायत'' में बातचीत द्वारा निबटारा क्यों न कर लिया जाए जिसमें कमज़ोर पक्ष पूरी तरह समझौता कर ले और उसके बाद हमेशा ख़ामोश रहे ? हमारा काम हो गया । हमने मामला सुलझा दिया, अब आगे बढ़ें । गड़े मुर्दे मत उखाड़ो । क्या फ़ायदा ? बीती ताहि बिसार दें ? ठीक है, पर मैं भ्रमित हूं । आपका मतलब है कि हम भूल जाएं कि मस्जिद बनाने के लिए बाबर ने कोई मंदिर तोड़ा था या नहीं ?

अरे नहीं, नहीं । बीती बात से हमारा मतलब था 18 वर्ष पहले 1992 में मस्जिद तोड़ने से । उसे भूल जाओ और वो अतीत जब बाबर ने मंदिर तोड़ा था ? 500 वर्ष पहले ? वो अतीत तो हम हमेशा याद रखेंगे । इस प्रकार की सोच रखने वाले कितने अतार्किक और अविवेकी हैं !(सा० : kafila.org)

Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877

STAR

Hosiery Centre

Wholesaler

Readymade & Handloom

B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G)

"अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते।" (हदीस)

Abdul Malik ✆ **9845311911**

UNIQUE CREATIONS

Spl. in Unipole & Structure Hoarding

#4, Bldg NO. 29/35, 1st Main Road,
Opp. Masjid-e-Husna, SRK Garden,
Jayanagar East, Bangalore-560041
E-mail : uniquecreations2008@gmail.com

'बाबरनामा' के पांच पन्ने ग़ायब न हुए होते तो...

❖ योगेश मिश्र

इतिहास लेखन में हुई कोई चूक भविष्य में कितना बड़ा नुक़सान पहुंचा सकती है। 'बाबरनामा' के अगर पांच पन्ने ग़ायब नहीं हुए होते या लखनऊ व फ़ैज़ाबाद गजेटियर में अयोध्या में हुई किसी घटना का अतार्किक ज़िक्र न हुआ होता या फिर लोगों ने 'बाबरनामा' के साथ-साथ 'हुमायूंनामा' भी पढ़ लिया होता तो शायद वह घटना नहीं घटित होती जिसने पिछली शताब्दी के आख़िरी दशक में न केवल देश में साम्प्रदायिक भूचाल पैदा कर दिया बल्कि राजनीतिक दिशा भी बदल कर रख दी ।

अगर इन ऐतिहासिक संदर्भों को सही ढंग से पढ़ा और समझा जाता तो बाबर का नाम अयोध्या के विवादित ढांचे से नहीं जुड़ा होता और न ही अयोध्या में एक मंदिर के विध्वंस का षड्यंत्र रचा जाता । इन दोनों किताबों–'बाबरनामा' और 'हुमायूंनामा' के साथ ही साथ लखनऊ और फ़ैज़ाबाद के गजेटियर से ज़ाहिर होता है कि न तो बाबर और न ही उसके सेनापति मीर बाक़ी ने अयोध्या में कोई मंदिर ढहाया था क्योंकि जिस वक़्त की यह घटना बतायी जाती है उस समय वे वहां मौजूद नहीं थे । इतिहास को ठीक से पढ़ा जाता तो लोग मुस्लिम शासक इब्राहीम लोधी के शुक्रगुज़ार होते जिसने अपनी दादी की याद में अयोध्या में रामकोट पर मंदिर निर्माण प्रारंभ करवाया। यह कट्टर हिन्दुओं के चलते नहीं बन सका ।

भोपाल स्टेट लाइब्रेरी में सुरक्षित बेटे हुमायूं के नाम बाबर की वसीयत की पांडुलिपि, नयी दिल्ली स्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ए०एस०आई०) में बची रह गयी फ्यूहरर की डायरी (जिसमें ए०एस०आई०) के तत्कालीन महानिदेशक ए० फ्यूहरर ने 1886 में राम जन्मभूमि मंदिर बाबरी मस्जिद के पठनीय शिलालेख का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है), 'बाबरनामा' के अवशेष पत्रक (जिसमें बाबर की अयोध्या यात्रा तथा काल्पनिक मीर बाकी की तथाकथित सूबेदारी का रहस्य उजागर होता है) और बाबर की बेटी गुलबदन की 'हुमायूंनामा' (जिसमें 2 अप्रैल, 1528 से 17 सितम्बर 1528 के बीच का विवरण मिलता है ।) को पढ़ा जाए तो उन साढ़े पांच महीनों का सत्य पता चलता है जिसका विवरण ग़ायब पन्नों के कारण बाबरनामा में अनुपलब्ध है ।

इन तथ्यों से मुंह मोड़ते हुए कट्टर हिन्दू और अल्पसंख्यक जमाअत के लोग यह प्रचारित करने में जुटे रहे हैं कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाए जाने की जंग में हिन्दू मारे गये । इतना ही नहीं, अयोध्या के रक्तरंजित इतिहास नामक भगवा कुनबे की किताब ने जिस सेट्टेडुआ गांव को मीर बाकी का गांव बताकर फ़ैज़ाबाद से उसका तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश की है वह मीर बाकी गांव कभी था ही नहीं । 'बाबरनामा' में मीर बाकी नाम के किसी आदमी का ज़िक्र ही नहीं आता है । 'बाबरनामा' के पन्नों को पलटें तो बाकी, बाकी शकाउल और बाकी ताशकंदी का नाम ज़रूर मिलता है । ये तीनों एक ही व्यक्ति थे । वह ताशकंद का रहने वाला था । बाकी शकाउल को बाबर ने 932 हिजरी (1526 ई०) में दीपालुर का सूबेदार बना दिया था । बाकी शकाउल को अयोध्या की सूबेदारी कभी नहीं सौंपी गयी । 'बाबरनामा' में 934 हिजरी की घटनाओं में अवध के बंदोबस्त के समय भी बाकी को अधोध्या का सूबेदार बनाए जाने का कोई ज़िक्र उपलब्ध नहीं है । बाकी लखनूर (रामपुर का शाहाबाद) की व्यवस्था देख रहा था जिसकी मदद के लिए बिहार अभियान के समय बाबर ने बलिया के सिकंदरपुर से फ़ौजी मदद भेजी थी। यदि बाकी अवध का सूबेदार होता तो बाबा की मृत्यु के बाद शेख़ बायजीद द्वारा सुलतान जुनेद बरलास को अपदस्थ करके अवध के नेतृत्व के बजाय किसी बाकी को अपदस्थ किये जाने की चर्चा भी ज़रूर आती।

बाबर को घोर साम्प्रदायिक बताकर अपनी दुकान

चलाने वाले लोगों को भोपाल स्टेट लाइग्रेरी में सुरक्षित बाबर की मूल वसीयत में अपने बेटे हुमायूं की दी गयी हिदायतें ज़रूर पढ़नी चाहिए । वसीयत में बाबर ने लिखा है, 'ओ मेरे बेटे ! हिन्दुस्तान में विविध धर्म के लोग रहते हैं । हमें ईश्वर का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि राजाओं के राजा ने इस देश का शासन तुम्हें सौंपा इसलिए तुम्हारे लिए यह उचित होगा कि तुम धार्मिक पूर्वाग्रहों को अपने मन पर असर न डालने दो । जनता के सभी वर्गों की धार्मिक संवेदनशीलताओं और धार्मिक रीति-रिवाजों को उचित सम्मान देते हुए निष्पक्ष न्याय करो । विशेषकर गोवध से दूर रहो । इससे तुम्हें भारत के लोगों के दिलों में जगह पाने में मदद मिलेगी । तुम्हें कभी किसी संप्रदाय के उपासना स्थलों को नष्ट नहीं करना चाहिए । इस्लाम का प्रसार दमन की तलवार के बजाय कर्तव्य की तलवार के ज़रिये किया जाए ।'

एक दूसरी हक़ीक़त यह भी है कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं । 'बाबरनामा' के अनुसार बाबर 934 हिजरी में पहली बार बाराबंकी तक आया । यह तिथि मार्च, 1528 की बैठती है । वह यहां 2 अप्रैल तक रहा । दूसरी बार बिहार अभियान पर जाते समय बाबर आगरा से कालपी, इटावा, कानपुर, फ़तेहपुर, इलाहाबाद, चुनार, बनारस और ग़ाज़ीपुर के रास्ते चौसा होता हुआ आरा तक गया और कुनदीह, जो अब डोमाईगढ़ के नाम से जाना जाता है, में पड़ाव लगाया । पहली यात्रा में गोमती पार कर घाघरा संगम पर पड़ाव डाला । यह जगह बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच ज़िले के बार्डर प्वाइंट पर है । बाबर स्वयं लिखता है, 'यहां से मैं जुमेरात बारहवीं (यानी 2 अप्रैल 1528) को शिकार के लिए सवार हुआ...। इसके बाद के बाबरनामा के पन्ने ग़ायब हैं । अयोध्या में कोई जंगल नहीं है । जंगल बहराइच और सीतापुर के घाघरा और शारदा नदी के तट पर है । इसी का फ़ायदा उठाकर शारदा नदी को सेरवा तथा अवध को अयोध्या बताकर लेडेन नाम के इतिहासकर और अवध प्रांत के गजेटियर तथा नेविल द्वारा तैयार किये गये फ़ैज़ाबाद के गजेटियर में कई ऐसे तथ्य जोड़ दिये गये जिससे यह साबित हो सके कि बाबर अयोध्या गया और उसने बाबरी मस्जिद तामीर करवा दी जबकि 'बाबरनामा' के अनुसार इस पड़ाव में बाबर ने अवध का बंदोबस्त किया । स्वयं बाबर के अनुसार बाबर का अवध शब्द अयोध्या को समझना भूल होगी क्योंकि बिहार अभियान के समय हल्दीघाट से सेना के पार होने के समय बाबर ने बाबरनामा में जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार बाबर का अवध बहराइच के आसपास और उसके आगे है । ये पन्ने क्यों और कैसे ग़ायब हुए इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंच पाना किसी के लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है लेकिन इस सत्य को उद्घाटित करने में जुटे शोधार्थी लक्ष्मीकांत शुक्ल की मानें तो इसे षड्यंत्रपूर्वक ग़ायब किया गया है ताकि हिन्दू-मुस्लिम एकता में दरार पैदा करके देश में साम्प्रदायिकता का बीज बोया या जा सके । वहां न तो राम मंदिर था और न मस्जिद । इबराहीम लोधी द्वारा निर्मित तथाकथित मंदिर-मस्जिद में गोस्वामी तुलसीदास 1572 से 1577 तक रहे और इसी इमारत में उन्होंने 'मानस' की रचना की । जैसा कि कवितावली उत्तरकांड छंद 106-107 एवं 'रामचरित मानस' बालकांड दोहा 35 के बाद चौपाई चार-पांच से स्वत: स्पष्ट है ।' दिलचस्प तथ्य यह है कि भले ही 'बाबरनामा' के पन्ने ग़ायब करके इतिहास को साम्प्रदायिक बनाने की कोशिश हुई हो लेकिन अगर इसके साथ ही 'हुमायूंनामा' भी पढ़ा जाए तो तमाम झूठ की कलई खुल जाती है । 'हुमायूंनामा' में बाबर की बेटी गुलबदन के हवाले से लिखा गया है, ''खानवा युद्ध के एक घर्ष बाद मार्च-अप्रैल 1528 ईसवी में बेगम हज़रत हिन्दुस्तान आ गयी थी । बाबर ने अपने परिवार के साथ तीन महीने आगरा, धौलपुर और फ़तेहपुर सीकरी में भी गुज़ारे ।' 'हुमायूंनामा' में इस बात का विस्तार से ज़िक्र है कि बाबर ने अपनी पारिवारिक ज़िन्दगी कहां और कैसे गुज़ारी ?

लेकिन इन ऐतिहासिक तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए फ़ैज़ाबाद का गजेटियर लिखने वाले आई॰सी॰एस॰ अफ़सर ए॰एच॰आर॰ नेविल ने 1905 में पृष्ठ 153 में यह लिख दिया कि, '1528 ई॰ में बाबर ने अधोध्या में उस पौराणिक स्थल पर मस्जिद बनवाई जहां राम पैदा हुए थे ।' गजेटियर के पेज 174 पर नेविल ने यह इबारत भी दर्ज की है कि 1855 में अयोध्या में झगड़ा हुआ और जो मुसलमान बाबरी मस्जिद बनाकर राम जन्मभूमि पर क़ब्ज़ा किये थे, वे हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक बढ़ गये । बदले में हिन्दुओं ने भी हमला किया । अवध के गजेटियर 1877 और नेविल द्वारा लिखे गये फ़ैज़ाबाद के गजेटियर 1905 का मिलान करने पर इस साज़िश का ख़ुलासा होता है कि 1855 में मंदिर को लेकर हिन्दू और मुसलमानों के बीच कोई साम्प्रदायिक झगड़ा ही नहीं हुआ । 1855 में अवध को ब्रिटिश हुकूमत के तहत

मिलाए जाने का विरोध करते हुए ज़रूर कुछ मुसलमान अंग्रेज़ी सेना के हाथों मारे गये । इसमें 11 हिन्दुओं की भी मौत हुई थी, लेकिन इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ करते हुए नेविल ने फ़ैज़ाबाद के गजेटियर में लिखा, 'बाबर एक सप्ताह रुका, उसने उस पुराने मंदिर को नष्ट किया । उसकी जगह एक मस्जिद बनायी । जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं ।' गजेटियर में आगे कहा गया है कि इस मस्जिद में दो अभिलेख थे । एक प्रवचन मंच पर दूसरा बाहर की ओर । जिसमें 935 हिजरी की तारीख़ दर्ज है लेकिन हिजरी को ईसवी सन में तब्दील करें तो यह 1528 की जगह 1519 बैठती है । मतलब साफ़ है कि गड्मड् करने की कोशिश में इसका ध्यान नहीं रखा जा सका । इतिहासकारों की शरारत का इससे भी पर्दाफ़ाश होता है कि 1889 ईसवी में अंग्रेज़ अधिकारी फ्यूहरर द्वारा अयोध्या में बनी इमारत पर दर्ज शिलालेखों का जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया है उसके अनुसार हिजरी 930 यानी 1523 में इबराहीम लोधी ने मस्जिद की नींव रखवायी थी जो 10 सितम्बर 1524 को बनकर तैयार हुई । इसे ही अब बाबरी मस्जिद कहा जाता है ।

एक ख़तरनाक संकेत

❖ डॉ॰ असलम अब्दुल्लाह

साम्प्रदायिक तत्वों ने सबसे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के बारे में एक विवाद पैदा किया । दुष्प्रचार किया कि हिन्दू पौराणिक देवताओं राम आदि की मूर्तियां स्थापित हैं और फिर उन्होंने मस्जिद ध्वस्त कर दी । अंत में तीन भागों में से मस्जिद बांटने का फ़ैसला आया । इस फ़ैसले के साथ, भारत के इतिहास में पहली बार के लिए एक न्यायिक अदालत मिथक की वैधता स्पष्ट की है और तथ्यों को नज़रअंदाज़ किया गया है ।

अदालत के फ़ैसले से भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता के बारे में सवाल उठ रहा है । अभी तक भारत की न्यायपालिका अपने फ़ैसलों की दृष्टि से आस्था को प्रमाण के रूप में नहीं इस्तेमाल करती थी । अत: कुछ लोगों की दृष्टि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय पक्षपातपूर्ण है । यह एक न्यायिक फ़ैसले से अधिक एक धार्मिक और राजनीतिक बयान की तरह है । यह न्याय के नियमों की अनदेखी है और तथ्यों का उपहास है । अदालत का फ़ैसला भारतीय न्यायपालिका और अल्पसंख्यकों के लिए एक ख़तरनाक संकेत है ।

Homera Tanning Industries Pvt. Ltd.

"हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे ।" (मुस्लिम)

1-D (17-A-1) 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur-208010 (India)
Tel. : +91-512-2465504, 2461466, Fax : +91-512-2460701
E-mail : ashraf@homeratannery.com
Website : www.homeratannery.com

रथ का अनर्थ

❖ सुरेन्द्र किशोर

रथयात्रा के दौरान बिहार में आडवाणी की गिरफ़्तारी के बाद देश में जातीय और सांप्रदायिक राजनीति के घोड़े दौड़ने लगे और जनता की बुनियादी समस्याएं नज़रअंदाज़ हो गयीं ।

भाजपा के तत्कालीन **अध्यक्ष** लालकृष्ण आडवाणी को 23 अक्तूबर 1990 को **समस्तीपुर** में गिरफ़्तार किया गया था और उसके तुरंत बाद भाजपा ने वी॰पी॰ सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया । भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन-वापसी का जो पत्र राष्ट्रपति आर॰ वेंकटरमण को लिखा था, वह इस प्रकार है–''आदरणीय राष्ट्रपति जी, विभिन्न मोर्चों पर सरकार की विफलता, जिनकी परिणति राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को जबरन रोकने में हुई और हमारे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ़्तारी के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी इस माह की 17 तारीख़ को पारित अपने प्रस्ताव के अनुसार विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस लेती है । आपका विश्वासी, अटल बिहारी वाजपेयी ।' इसके बाद वी॰पी॰ सरकार गिर गयी और कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गये । इस तरह अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए भाजपा ने सरकार को गिरा दिया ।

बोफोर्स और अन्य कई घोटालों को लेकर हुए देशव्यापी हंगामे की पृष्ठभूमि में 1989 में वी॰पी॰ सिंह की सरकार बनी थी पर मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के वी॰पी॰ सिंह सरकार के फ़ैसले के बाद भाजपा ने मंदिर आन्दोलन शुरू कर दिया था । भाजपा को लगा था कि इसी मंदिर आन्दोलन के ज़रिये वह हिंदू मतों को अगड़ों-पिछड़ों के आधार पर पूरी तरह बंट जाने से रोक पाएगी । बाद में एक बार आडवाणी ने एक भेंटवार्ता में कहा भी था कि यदि मंडल आरक्षण नहीं लागू हुआ होता तो हमारा मंदिर आंदोलन भी नहीं होता । हाल में एक अन्य भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पता होता कि **बाबरी** मस्जिद ध्वस्त कर दी जाएगी तो वे सन 1992 **में अयोध्या** जाते ही नहीं । इससे पहले मंदिर आंदोलन को **गरमाने** के लिए आडवाणी ने 25

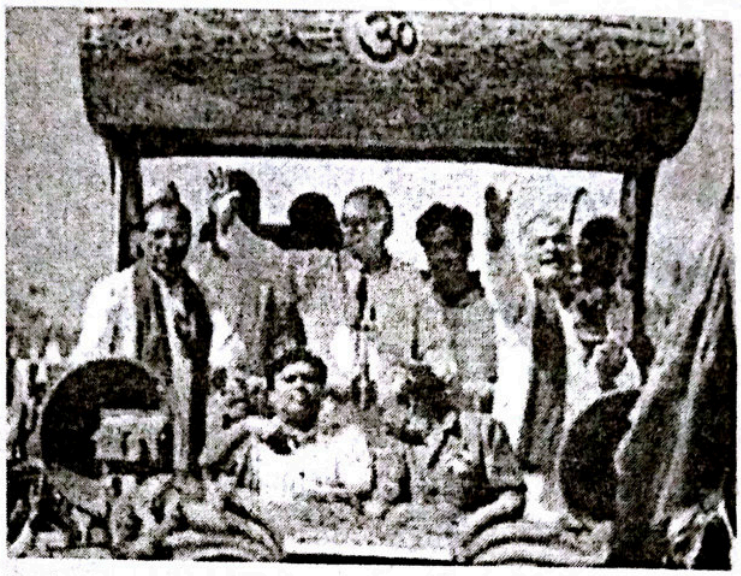

सितंबर 1990 को सोमनाथ से राम-रथ यात्रा शुरू की थी । राम-रथ यात्रा का पहला चरण 14 अक्तूबर को पूरा हुआ । आडवाणी दिल्ली पहुंचे । प्रधानमंत्री वी॰पी॰ सिंह ने 18 अक्तूबर को ज्योति बसु को दिल्ली बुलाया । बसु ने आडवाणी से बातचीत की और रथयात्रा स्थगित कर देने का आग्रह किया । पर आडवाणी ने बसु की सलाह ठुकरा दी । वे 19 अक्तूबर को धनबाद के लिए रवाना हो गये, जहां से उन्होंने दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया । वे अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम 30 अक्तूबर को शुरू करना चाहते थे । अपुष्ट सूत्रों से तब यह ख़बर मिली थी कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त अफ़ज़ल अमानुल्लाह को निर्देश दिया कि वे आडवाणी को वहीं गिरफ़्तार कर लें ।

प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत गिरफ़्तारी का वारंट तैयार करके संबंधित अधिकारियों को दे दिया था पर अमानुल्लाह ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । अमानुल्लाह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन के दामाद हैं । उन्हें लगा कि उनके इस क़दम से ग़लत संदेश जा सकता है । अमानुल्लाह के इस क़दम को कई विचारवान लोगों ने बाद में सराहा । उधर लालू प्रसाद भी यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि उन्होंने रथ को बिहार के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया । बिहार में प्रवेश से पहले उत्तर प्रदेश की सीमा पर कर्मनाशा के पास ही आडवाणी की गिरफ़्तारी

की बिहार सरकार की एक योजना थी । पर बताया गया कि दिल्ली के हस्तक्षेप के कारण गिरफ़्तारी नहीं हुई क्योंकि वी॰पी॰ सिंह अपनी सरकार बचाने की कोशिश जारी रखे हुए थे । याद रहे कि लोकसभा के 86 सदस्यों वाली भाजपा ने 17 अक्तूबर को ही यह धमकी दे दी थी कि आडवाणी की गिरफ़्तारी के तत्काल बाद वी॰पी॰ सिंह सरकार से भाजपा समर्थन वापस ले लेगी । वी॰पी॰ सिंह की सरकार भाजपा के अलावा जनता दल के 140, सी॰पी॰आई॰ के 12 और सी॰पी॰एम॰ के 33 तथा कुछ अन्य लोकसभा सदस्यों के बल पर चल रही थी । आडवाणी की रथयात्रा के दौरान लालू उसके ख़िलाफ़ अभियान में लग गये थे । आडवाणी की गिरफ़्तारी के बाद तो लालू अल्पसंख्यकों के चहेते बनकर उभरे, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद ने एक और दांव खेला था ।

उन्होंने 21अक्तूबर को पटना के गांधी मैदान में सांप्रदायिकता विरोधी रैली में कहा कि कृष्ण के इतिहास को दबाने के लिए ही आडवाणी राम को सामने ला रहे हैं । लालू ने अपने ख़ास अंदाज़ में यह भी कहा कि कुछ यादव लोग आडवाणी जी से मिले थे । उन लोगों ने उनसे इस आशय का सवाल भी किया था । मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यादव लोग इस बात पर भी सोचें । इस तरह आडवाणी की राम-रथयात्रा के बहाने लालू अल्पसंख्यक के साथ-साथ अपने यादव वोट बैंक को भी मज़बूत बना रहे थे । बहरहाल, आडवाणी 22 अक्तूबर की शाम पटना पहुंचे । विशेष रूप से तैयार भव्य रथ पर उनके साथ भाजपा नेता प्रमोद महाजन भी थे । पटना के बाद वे समस्तीपुर चले गये । लेकिन उनके साथ चल रहा मीडियाकर्मियों का दल पटना के होटल में ही विश्राम करता रहा। और उधर 23 अक्तूबर की सुबह ही समस्तीपुर में आडवाणी गिरफ़्तार कर लिए गये । अधिकतर मीडियाकर्मी उस दृश्य का गवाह बनने से वंचित रह गये ।

दरअस्ल मीडियाकर्मियों के एक बड़े हिस्से को इस बीच लालू प्रसाद की बातों से यह ग़लतफ़हमी हो गयी थी कि समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आडवाणी के साथ आये दिल्ली के मीडियाकर्मी पटना में इस बीच लालू से मिलने गये थे । समस्तीपुर में गिरफ़्तार करने के लिए अफ़सरों के जिस दल को पटना से भेजा गया था, उसका नेतृत्व आई॰ए॰एस॰ अधिकारी आर॰के॰ सिंह कर रहे थे जो कड़े तेवर के अफ़सर माने जाते हैं । आडवाणी के साथ जिन नेताओं को गिरफ़्तार किया गया, उनमें भाजपा के तब के महासचिव प्रमोद महाजन प्रमुख थे । अन्य गिरफ़्तार नेताओं में शामिल थे कैलाशपति मिश्र, यदुनाथ पांडेय, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव और दीनानाथ पांडेय । आडवाणी को तो राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से प्रमोद महाजन के साथ मसान जोर स्थित मयूराक्षी सिंचाई परियोजना के निरीक्षण भवन में भेज दिया गया । अन्य गिरफ़्तार भाजपा नेताओं को मुज़फ़्फ़रपुर जेल भेजा गया । बंगाल के सीमावर्ती दुमका ज़िले के मसानजोर में स्थित इस निरीक्षण भवन के कमरा नंबर तीन में आडवाणी और कमरा नंबर चार में महाजन को रखा गया । इस निरीक्षण भवन के आसपास के 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया था । किसी को इन बंदियों से मिलने की इजाज़त नहीं थी । लेकिन एक स्थानीय संवाददाता ने आडवाणी से बात करने में सफलता प्राप्त कर ली । आडवाणी ने उससे कहा कि शांतिपूर्ण रथयात्रा को रोक कर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है । सरकार लगातार अपने वादे से हट रही है और तुष्टीकरण की नीति अपना रही है । दुमका के उपायुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कड़ी सुरक्षा में एल॰के॰ आडवाणी को ससम्मान यहां रखा गया है । उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है । दूसरी ओर, मुख्यमंत्री लालू ने 23 अक्तूबर को बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उनकी रथयात्रा पर रोक लगाने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था । इतना ही नहीं बिहार में हमने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगाने का भी आदेश दे दिया है ।

यह स्वाभाविक ही था कि आडवाणी की गिरफ़्तारी के बाद वी॰पी॰ सिंह सरकार गिर गयी । बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 अक्तूबर को एक रहस्योद्घाटन किया । उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी और वी॰पी॰ सिंह सरकार के बीच यह गुप्त सहमति बनी थी कि लालकृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा पूरी करने के साथ-साथ अयोध्या में कार सेवा भी करेंगे । यह सहमति 20 अक्तूबर को बनी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी इस बात की जानकारी थी । अटल ने कहा कि 'मुझे पता नहीं कि इस सहमति से वापस जाने की वजह

कोई दबाव था या जनता दल के आंतरिक संघर्ष और कलह इसके लिए ज़िम्मेदार थे ।' एक सवाल के जवाब में वाजपेयी ने कहा कि हो सकता है कि 'प्रधानमंत्री और मुलायम सिंह यादव के बीच मतभेद के कारण आडवाणी गिरफ़्तार किये गये हों । उन्होंने कहा कि चूंकि वी॰पी॰ सरकार पर आये इस संकट के लिए सिर्फ़ भाजपा को ही ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है इसीलिए इस गुप्त सहमति के बारे में देर से ही सही पर अब खुलासा किया जा रहा है.।

'दरअस्ल उन दिनों मुलायम सिंह यादव के समर्थक वी॰पी॰ सिंह से सख़्त नाराज़ चल रहे थे । उनका आरोप था कि आडवाणी के रथ को यू॰पी॰ पहुंचा कर वी॰पी॰ सिंह उत्तर प्रदेश में शांति भंग करवाना चाहते हैं ताकि मुलायम सरकार की परेशानी बढ़े । आडवाणी जिस रथ पर सवार होकर बिहार पहुंचे थे, उसके सारथी का नाम था सलीम मक्कानी जो मुंबई का निवासी था । आडवाणी को तो गिरफ़्तार करके रमणीक और आरामदायक जगह मसानजोर के निरीक्षण भवन में भेज दिया गया, लेकिन उनके सारथी यानी चालक सलीम को दफ़ा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ़्तार करके समस्तीपुर परिसदन में रखा गया था ।

याद रहे कि प्रशासन ने आडवाणी के रथ को भी ज़ब्त कर लिया था । इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री वी॰पी॰ सिंह ने 22 अक्तूबर को राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि हम सभी विश्वासों का आदर करते हैं । लेकिन दो धर्मों के विश्वासों में कहीं टकराव आ जाए तो रास्ता क्या है ? रास्ते दो ही हैं। या तो उसका समन्वय किया जाए और आपस में किसी तरह के समझौते का रास्ता निकाला जाए और अगर वह नहीं निकलता है तो फिर क़ानून और इजलास का रास्ता है । ज़ोर-ज़बरदस्ती का रास्ता कोई हल का रास्ता नहीं, बल्कि उसको और उलझाने का रास्ता है । इसलिए सरकार ने इस मसले पर बहुत स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही कहा था कि हम इसको आपसी समझौते से सुलझाने का प्रयास करेंगे । नहीं तो जो इजलास कहता है, जो संविधान कहता है, जिसकी शपथ लेकर हम सब इन पदों पर हैं, उनका पालन करेंगे । यही हमारा कर्तव्य है और सरकार ने ऐसा ही प्रयास किया । बहुत सारी चीज़ें अख़बारों में नहीं दी जातीं । कई संगठनों और धर्म गुरुओं ने प्रयास किया कि रास्ता निकले, लेकिन वे प्रयास कार्य रूप में नहीं आ पाये । कुल मिलाकर आडवाणी की रथयात्रा को इसी रूप में याद किया जा सकता है कि मंडल आंदोलन की काट के रूप में इसे शुरू किया गया था । बाद में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त हो जाने के कारण देश के सांप्रदायिक हालात बिगड़े ।

इस रथयात्रा से कुछ जातीय और सांप्रदायिक नेताओं और दलों की देश में बन आयी। उन दलों और नेताओं ने अपने-अपने वोट बैंक बनाकर जनता की मौलिक आर्थिक समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर दिया । जातीय और सांप्रदायिक घोड़ों पर सवार होकर सत्ता का रथ चलाने वाले समझने लगे थे कि हम कुछ भी अनर्थ करें, ख़ास संप्रदाय और जाति के मतदाता हमें झेलते ही रहेंगे । लेकिन एक-एक करके उनके भी होश ठिकाने आ रहे हैं ।

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

अम्बिकापुर से बिलासपुर	रात्रि	23:20
अम्बिकापुर से रायपुर	प्रात:	03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	19:10
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी	प्रात:	06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:40

रॉम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

छलकपट से भरा है मंदिर अभियान !

❖ चांद ख़ां रहमानी

अगर हम आस्था को बीच में लाएं और ईमानदारी के साथ इतिहास के पन्ने पलटने लगें तो पाएंगे कि राम मंदिर का इतिहास छल कपट से भरा है । इसके बहाने राजनेताओं-जनप्रतिनिधियों ने संविधान को ठेंगा दिखाया और न्यायपालिका को धोखा दिया । मंदिर के इतिहास में ज़ोर-ज़बरदस्ती बेईमानी और भावनाओं का अतिरेक है । राजनीति का अखाड़ा है । मंदिर एक वर्ग को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान करने का हथियार बनाया गया । राज सत्ता को पाने का साधन माना गया । इसकी बुनियाद मिथकों और दंत कथाओं पर आधारित है । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का जो फ़ैसला आया है वह न्यायोचित नहीं है ।

इससे पहले कि हम मंदिर के छलकपट के इतिहास पर नज़र डालें । उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह व तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चुप्पी को याद करें बाबरी मस्जिद के इतिहास पर सरसरी नज़र दौड़ा ली जाए ।

बताया जाता है कि आज से पांच सौ साल पहले इमारत बनाने वाले मैटेरियल की भारी कमी होती थी । इसलिए उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे । उस समय समर्थ लोग पुरानी इमारतों और खंडहरों का मलवा अपनी इमारतों में इस्तेमाल कर लिया करते थे । यह भी हो सकता है कि मस्जिद निर्माण में वहां पड़ा मलवा इस्तेमाल किया गया हो । उस समय हर राजा या ज़मींदार ऐसा ही करता था । बाबरी मस्जिद के बारे में ये वे बातें हैं जो आम आदमी अपनी सोच के अनुसार मानता है ।

इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवायी थी या उसके सिपहसालार मीर बाक़ी ने । लेकिन मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी के शुरू यानी 1528 में हुआ । बताया जाता है कि जब बाबर यहां आया था तब उसकी सेना ने अयोध्या में पड़ाव डाला था । चूंकि उसकी सेना को यहां लंबे समय तक रहना था इसलिए यहां इबादत करने के लिए मस्जिद का निर्माण कराया गया और इसका नाम बाबर के नाम पर रखा गया । मुझे लगता है कि मस्जिद का नाम बाबरी रखने के पीछे बादशाह को ख़ुश करना रहा होगा । ऐसा हमेशा से होता आया है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ख़ुश करने के लिए सरकारी मशीनरी काम करती रही है ।

नेहरू नगर गांधीनगर, लोहिया नगर, अंबेडकर नगर आदि इसके उदाहरण हैं जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी या किसी किसी नेता को ख़ुश करने का एहसास झलकता है । बाबरी मस्जिद का इतिहास मुग़लकालीन दस्तावेज़ और किताबों में मौजूद है । इन किताबों और दस्तावेज़ों को मिथक नहीं कहा जा सकता । लेकिन राम मंदिर होने का एक ही सबूत है और वह है आस्था । बहुत हिन्दू तो राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं । जिस रामचरित मानस ने राम को घर-घर पहुंचाया, लोकप्रिय बनाया और भगवान का दर्जा दिलवाया वह ग्रंथ कब लिखा गया ? यानी राम के काल के हज़ारों साल बाद । इसलिए रामचरित मानस को इतिहास के तौर पर नहीं देखा जा सकता । तुलसीदास अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना (रहीम) के समकालीन थे । यानी वे अकबर के समय में थे । यदि उस समय के बारे में उन्होंने कुछ लिखा होता तो उसे इतिहास मानने में कोई हिचक नहीं थी । दूसरे, तुलसीदास ने राम को उसी तरह नायक बनाकर पेश किया जैसे किसी उपन्यास में कोई लेखक किसी पात्र को महान और किसी को खलनायक बना देता है । बाबरी मस्जिद का ज़िक्र का उस समय की किताबों में होना उसके अस्तित्व को स्वीकारता है ।

हिन्दू मान्यता के अनुसार राम त्रेता युग में हुए थे । राम को मानने वालों का कहना है कि उनका समय आज से 17

हज़ार साल पहले का है । इसके बाद द्वापर युग में कृष्ण का अवतार माना जाता है । अब सवाल यह उठता है कि जब महाभारत काल के महलों और इमारतों के अवशेष तक नहीं बचे हैं तब त्रेता युग की सीता की रसोई या राम जन्मभूमि के अवशेष कहां बचेंगे । यह कैसे तय होगा कि राम यहीं पैदा हुए थे ।

मान्यता के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में मान भी लिया जाए तो इस बात के क्या प्रमाण हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे जहां मस्जिद थी । बताया जाता है कि आज से पांच सौ साल पहले इमारत बनाने वाले मैटेरियल की भारी कमी होती थी । इसलिए उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे । उस समय समर्थ लोग पुरानी इमारतों और खंडहरों का मलवा अपनी इमारतों में इस्तेमाल कर लिया करते थे । यह भी हो सकता है कि मस्जिद निर्माण में वहां पड़ा मलवा इस्तेमाल किया गया हो । उस समय हर राजा या ज़मींदार ऐसा ही करता था । बाबरी मस्जिद के बारे में ये वे बातें हैं जो आम आदमी अपनी सोच के अनुसार मानता है ।

आज संचार क्रांति और कंप्यूटर का युग है । पांच सौ साल नहीं पचास साल पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि उस समय ज़माने और काम की रफ़्तार कितनी धीमी थी । जब इतने फास्ट युग में धार्मिक भावनाओं को आसानी से उकसाया जा सकता है तो सौ साल पहले आदमी की धर्म के प्रति कितनी आस्था रही होगी । तब पेड़-पौधों की तो बात छोड़ दीजिए ईंट-पत्थरों को लोग पूजते थे । भूत-प्रेत अंधविश्वास का बोलबाला रहा होगा । हर युग में अच्छे बुरे लोग रहे हैं । हर दौर में साम्प्रदायिक और जाति-पांत की सोच रखने वाले रहे हैं । डेढ़ सौ साल पहले 1853 में एक आस्थावादी ने रामचरित को आधार मानकर मंदिर का मुद्दा उठाया । यानी 1853 में पहला प्रमाण मिलता है कि मंदिर का मामला उठा था । यहीं से छलकपट का दौर शुरू होता है ।

1859 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उस जगह को दो हिस्सों में बांट दिया था । मस्जिद का हिस्सा मुसलमानों को और बाहरी भाग हिन्दुओं को दे दिया था । उस हिस्से में बाड़ लगा दी थी ताकि विवाद न बढ़े । 1885 में महंत रघुवीर दास ने उस समय राम चबूतरे पर छतरी बनवाने के लिए याचिका दायर की थी ।

22-23 सितम्बर की रात छलकपट की पराकाष्ठा तब हुई जब चुपचाप मस्जिद के बीच के गुंबद में रामलला की मूर्तियां रख दी गयीं । हैरत और साम्प्रदायिक सोच की बात यह रही कि तत्कालीन डी०एम० ने उन मूर्तियों को नहीं हटावाया बल्कि विवाद को आगे बढ़ने का मौक़ा दिया । अगले साल 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह ने वहां पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी । कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी । इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मस्जिद की ज़मीन उन्हें सौंपने के लिए याचिका दायर की । यह मांग ज़बरदस्ती की मिसाल थी । इसके साथ ही दावों का दौर चलता रहा । अदालती लड़ाई जारी रही । इस छलकपट और साज़िश में कांग्रेस भी शामिल हो गयी । उसने 1986 में ताला खुलवा दिया । ताला खुलना इस बात का सबूत था कि वहां मंदिर है । यानी धोखे का साथ कांग्रेस ने भी दिया जबकि कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है । इसके बाद आडवाणी ने रथ यात्रा के ज़रिये मंदिर को हथियार बनाकर सत्ता हथियाने का खेल खेला । उन्होंने मंदिर के बहाने देश और समाज की राजनीति में तूफ़ान ला दिया । उन्होंने वह स्थितियां पैदा कर दीं जिससे पूरा देश आग में झुलस गया ।

इसके बाद आया 1992 । भाजपा नेताओं ने धोखे में कोई कमी नहीं रखी । एक तरफ़ भाजपा नेताओं ने अयोध्या में मस्जिद ढहाने के लिए साधु-संतों और लफंगों की भीड़ इकट्ठी की । इसके बाद उन्होंने लोगों को इतना उकसाया, इतनी उत्तेजना पैदा की कि भीड़ अपना विवेक खो बैठी और मस्जिद ढहा दी । मस्जिद तब ढहा दी गयी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे । उस समय कल्याण सिंह ने देश की जनता और कोर्ट में वादा किया था कि वह किसी भी क़ीमत पर मस्जिद को नुक़सान नहीं पहुंचने देंगे । लेकिन छलकपट का दौर जारी रहा । कल्याण सिंह ने देश की जनता को गुमराह किया और एक साज़िश के तहत मस्जिद निस्त-नाबूद कर दी ।

इस छल और साज़िश में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी शामिल थे । वे भी नहीं चाहते थे कि मस्जिद सही सलामत रहे । नहीं तो, जब गुंडे मस्जिद पर चढ़े तब प्रधानमंत्री टी०वी० पर सब कुछ देख रहे थे । खुफ़िया एजेंसियां उन्हें पल-पल की ख़बर दे रही थीं । अगर वह चाहते तो न तो मस्जिद तोड़ी जाती और न देश में इतना बवाल होता । वह वहां सेना को भेज सकते थे । जब सेना

दो घंटे में कश्मीर और चीन के बार्डर पर पहुंच सकती है तो अयोध्या में क्यों नहीं । वह चाहते तो उसी समय राष्ट्रपति शासन लगवा सकते थे । इसके बाद कांग्रेस ने वादा किया कि मस्जिद फिर वहीं बनायी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया ।

छलकपट का दौर अभी भी नहीं थमा था । 7 जनवरी 1993 को अयोध्या एक्ट 1993-94 बनाया गया । जिसके सेक्शन 7(2) में बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर क़रार दिया गया । यह क़ानून बनते ही मंदिर को क़ानूनी मान्यता मिल गयी । यह क़ानून बनने से पहले तक सिर्फ़ मस्जिद की बात की जा सकती थी लेकिन, अब उसे मंदिर के साथ जोड़ा जाने लगा ।

अब 60 साल की क़ानूनी लड़ाई के बाद जो फ़ैसला आया है वह भी क़ानून सम्मत नहीं कहा जा सकता है । लेकिन इसे स्वीकार करने में इसलिए ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के हालात को देखकर लिया गया फ़ैसला है । इस फ़ैसले से देश में तनाव नहीं हुआ यह बड़ी बात है । अगर तनाव या झगड़ा होता तो हमेशा की तरह मुसलमानों के ही जान-माल का ज़्यादा नुक़सान होता । इसीलिए कोर्ट ने तीनों दावेदारों को खुश किया है । लेकिन इस फ़ैसले से अन्याय और छलकपट का नया दौर शुरू होने का ख़तरा बढ़ गया है ।

कल कोई भी अतिवादी संगठन या हताशा में जी रही भाजपा मथुरा या बनारस की मस्जिद को मुद्दा बना सकती है । तब क्या होगा । तब क्या उसमें भी इस तरह का बंटवारा नहीं होगा । तब भी सालों मुक़दमा नहीं चलेगा । और इसी तरह का फ़ैसला नहीं आएगा इसकी गारंटी किसके पास है । जो लोग गारंटी देते हैं वही देश की जनता के साथ छल करते हैं । कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंदिर का इतिहास छलकपट से भरा हुआ है ।

इस्लामिक एकेडमी फॉर चिल्ड्रेन

निज़ामपुर, गोरखपुर

फ़ोन : 2292578, मो॰ : 9235560029

L.K.G. से V (तक दाख़िला शुरू है ।)

आदरणीय अभिभावकगण !

यदि आप अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अपने दीन और अपनी मातृभाषा की उत्तम शिक्षा चाहते हैं तो इस संस्था में अपने बच्चों का दाख़िला कराएं । यह संस्था 1989 से क़ौम की शैक्षणिक सेवाएं प्रदान कर रही है । संस्था की ख़ूबियां निम्नलिखित हैं ।

1. आधुनिक एवं दीनी शिक्षा का हसीन संगम। 2. इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर की बेहतरीन शिक्षा। 3. अरबी, केवल नाज़रा ही नहीं बल्कि लिट्रेचर पढ़ाया जाता है। 4. यहां का माहौल दीनी और दिलकश है। खेल-कूद की अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 5. स्टाफ़ तजुर्बेकार और अपने काम में माहिर हैं। 6. संस्था बच्चों की संख्या ही नहीं बल्कि बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को वरीयता देती है। 7. दीनियात की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है।

प्रिंसिपल : महमूदा बेगम (एम॰ए॰, बी॰एड॰)

Novelty Cloth Centre

Visit For :

Banarsi Suits, Sarees, Kamdar Suits, Sarees,
Lehnga Churi, Chatapati Garara & Shalwar

Nazirabad, Lucknow-226018, Ph. : 2615298

Exclusive Range of Suiting-Shirting

Reid & Taylor **OCM** Raymond

Visit For :

- Chikan Suits & Saree
- Chikan Kurta
- Banarsi Suits
- Banarsi Sarees
- Lancha Suits
- Lehnga Chunri

Novelty Creation

Nazirabad, Lucknow-226018, Ph. : 0522-4015524
E-mail : novelty_creations@yahoomail.com
www.noveltycreation.co.in
www.info@noveltycreation.co.in

Exclusive Range of Bridal Sherwani

ताला खुलने से मस्जिद की शहादत तक

❖ मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

बाबरी मस्जिद को आधार बनाकर हिन्दू फासिस्ट और साम्प्रदायिक ताक़तें कई बार देश को हिंसा की आग में झोंक चुकी हैं । बाबरी मस्जिद का ताला खुलने, लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा और मस्जिद की शहादत के समय बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई । यह हिंसा हिन्दूवादी संगठनों के अति उत्साह एवं शासन-सत्ता के मौन समर्थन का परिणाम थी । इस सच्चाई को स्वीकार किया है पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय एवं मुंबई दंगों की जांच करने वाले जस्टिस श्रीकृष्ण ने । जहां विभूति नारायण राय ने हाशिमपुरा कांड में पी॰ए॰सी॰ की साम्प्रदायिक हैवानियत को देखा है, वहीं जस्टिस श्रीकृष्ण मुंबई के दंगा पीड़ितों से परिचित हुए हैं । श्रीराय ने लिखा है कि "मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई दंगा 24 घंटे से अधिक चल रहा है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या राज्य का कोई अंग उसमें शरीक तो नहीं है ?" वहीं पूर्व जस्टिस श्रीकृष्ण कहते हैं कि आम जनता दंगा-फ़साद में नहीं पड़ती, उनको कुछ लोग भड़काते हैं ।

■ बाबरी मस्जिद का ताला खुलने, लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा और मस्जिद की शहादत के समय बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई । यह हिंसा हिन्दूवादी संगठनों के अति उत्साह एवं शासन-सत्ता के मौन समर्थन का परिणाम थी । इस सच्चाई को स्वीकार किया है पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय एवं मुंबई दंगों की जांच करने वाले पूर्व जस्टिस श्रीकृष्ण ने ।

■ आंकड़े बताते हैं कि हिंसा के कारण उस समय लगभग 350 करोड़ के औद्योगिक उत्पादन की क्षति हुई थी । वहीं 70 करोड़ से अधिक के निर्यात का नुक़सान देश को उठाना पड़ा । 30 करोड़ की सम्पत्ति स्वाहा हो गयी और 1119 हिन्दुस्तानियों की जान गयी ।

बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद कई जगहों पर भीषण दंगे भड़के । मेरठ का मलियाना कांड उसी समय की घटना है । मेरठ कई हफ़्तों से हिंसा की आग में जल रहा था । बगल में स्थित ग़ाज़ियाबाद में भी तनाव था । इसी बीच पी॰ए॰सी॰ की 41वीं बटालियन के जवानों ने तलाशी के नाम पर मेरठ के मलियाना व हाशिमपुरा से क़रीब पचास मुसलमानों को पकड़ा । वे उन्हें अपनी ट्रक में बैठाकर ग़ाज़ियाबाद के मकनपुर गांव से कई किलोमीटर पहले गंग नहर के किनारे ले गये । वहां उन्होंने मुसलमानों से नीचे उतरने के लिए कहा । जो लोग नीचे उतरे उन्हें गोलियों से भून दिया गया । यह हैवानियत देख बाक़ी लोग ट्रक में ही ठिठक गये । गोली की आवाज़ सुनकर जब आसपास के गांव में हलचल हुई तो ट्रक वहां से बाक़ी लोगों को लेकर भाग खड़ा हुआ । यह ट्रक मकनपुर गांव के पास फिर उसी नहर के किनारे रुका जहां काफ़ी लोगों को ट्रक से नीचे खींच कर गोली मारी गयी । इस घटना में बाबूदीन नाम का एक मुसलमान ज़िन्दा बच गया ।

बाद में तत्कालीन पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय, ज़िला मजिस्ट्रेट नसीम ज़ैदी, डिप्टी एस॰पी॰ और मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर पहुंचे । वहां लाशें पड़ी हुई थी । काफ़ी खोजबीन के बाद एक जीवित व्यक्ति बाबूदीन झाड़ियों को पकड़े आधा नहर में दम साधे खड़ा मिला । उसे अंत तक भरोसा नहीं था कि घटना स्थल पर आयी पुलिस से बचाने के लिए आयी है ।

बाबूदीन ने ही पी॰ए॰सी॰ की हैवानियत की पोल खोली यह केस अभी भी अदालत में इन्साफ़ का इन्तिज़ार कर रहा है । विभूति नारायण राय एक जगह लिखते हैं कि पुलिस आज भी हिन्दू-मुसलमान की मनोग्रंथि से पीड़ित है । वे कहते है कि 1990 में जब फासीवादी ताक़तों ने राम मंदिर के लिए मुहिम छेड़ रखी थी उस समय भी पुलिस व खुफ़िया विभाग की निगरानी में मुसलमान ही थे । जबकि विहिप, बजरंग दल जैसे संगठनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं के बराबर थी, जो खुलेआम हिंसा भड़का रहे थे । वे कहते हैं कि इस तरह की मानसिकता सिर्फ़ पुलिस की ही नहीं है बल्कि कई अवसरों पर न्यायपालिका ने भी निराश किया है । राजनैतिक नेतृत्व में तो उस इच्छाशक्ति का ही अभाव दिखता है जो साम्प्रदायिकता से निबटने के लिए चाहिए ।

मुंबई दंगों की जांच करने वाले जस्टिस श्रीकृष्ण भी दंगों से जुड़े कई परतों को खोलते हैं । अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 1993 में मुंबई में हुए दंगे में माहौल इतना ख़राब हो गया था कि पढ़े-लिखे लोग भी जिन्हें हम समझदार कहते हैं उद्वेलित हो गये थे । मालूम रहे कि मलियाना कांड की तरह ही मुंबई का हरी मस्जिद कांड भी हुआ था, जिसमें मस्जिद में नमाज़ के लिए इकट्ठा मुसलमानों पर पुलिस ने अंधाधुंध फ़ायरिंग कर दी । इसमें एकमात्र जीवित बचे एक नमाज़ी ने राज्य के फासीवादी चरित्र को खोला था ।

जस्टिस श्रीकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा-शिवसेना एवं कई बड़े पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया था । पूर्व जस्टिस श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस जांच से पहले मैं बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था लेकिन आयोग में लोगों की व्यथा सुनते-सुनते मुझे गुस्सा आने लगा । अगर आप सुनते रहे कि उसे जला दिया गया, उसे मार दिया गया तो मानसिक पीड़ा होती ही है । जांच में पता चला कि एक गर्भवती महिला को तलवार से मारकर उसके पेट के अन्दर से बच्चे को निकालकर आग में डाल दिया गया, यह स्थिति बहुत पीड़ादायक थी । जांच में शिवसेना को दोषी ठहराने लेकिन बाल ठाकरे का नाम न लेने के प्रश्न पर उनका कहना था कि ठाकरे के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक आदमी ने हल्फ़नामा दिया था । उन पर सीधे किसी हिंसक घटना में भाग लेने का आरोप नहीं था । इसके अलावा हर व्यक्ति जानता है कि दंगे में शिवसेना का हाथ था और शिवसेना के पीछे बाल ठाकरे हैं ।

बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिन्दूवादी संगठनों द्वारा 1992-93 में भड़कायी गयी देशव्यापी हिंसा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1119 लोगों की जाने गयी व लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का नुक़सान हुआ । प्रस्तुत हैं उपलब्ध आंकड़े-

राज्य	मृतक	नुक़सान
पंजाब	(अनुपलब्ध)	6 लाख
हरियाणा	1	(अनुपलब्ध)
राजस्थान	49	7.37 करोड़
महाराष्ट्र	259	3.9 करोड़
उत्तर प्रदेश	170	(अनुपलब्ध)
बिहार	40	(अनुपलब्ध)
प॰ बंगाल	27	(अनुपलब्ध)
मध्य प्रदेश	133	1.5 करोड़
आंध्र प्रदेश	20	(अनुपलब्ध)
कर्नाटक	78	5.97 करोड़
केरल	21	1.5 करोड़
तमिलनाडु	2	70 लाख
गुजरात	208	7.25 करोड़
उड़ीसा	2	6 लाख
असम	94	49 लाख

वे यह भी स्वीकार करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार शुरू से आयोग की राह में रुकावटें डालती रही । जब भाजपा-शिवसेना की सरकार बनी तब आयोग को भंग कर दिया गया । तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हस्तक्षेप के बाद आयोग को पुनः बहाल किया गया । जांच हुई । रिपोर्ट आयी भी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया । रिपोर्ट को लागू करने के प्रश्न पर वे व्यंग्य करते हैं कि वर्षों की मेहनत के बाद मेरा विश्वास गीता पर और बढ़ गया कि "कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो ।"

वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि ऐसे कमीशन को कार्य रूप करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसा कि दक्षिण अफ़्रीका में एक ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन है । उसको ये अधिकार हैं कि वह सत्य को बाहर निकाले

और उस पर तुरंत कार्रवाई करे । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ऐसे कमीशन का कोई मतलब नहीं । आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी ? पर उनका कहना था कि पता नहीं । शायद उस समय तक मैं ज़िन्दा रहूंगा भी या नहीं । पूर्व जस्टिस श्रीकृष्ण के विचार श्री विभूति नारायण राय के कई खुलासे की पुष्टि करती है ।

विभूति नारायण राय ने राज्य के कुछ अवययों के साम्प्रदायिक होने की बात कही है लेकिन गोधरा कांड व गुजरात नरसंहार पूरी राज्य सत्ता के दंगाई व उग्रवादी तंत्र में तब्दील हो जाने की घटना है । अब तक के हुए जांच में राज्य के पुलिस अधिकारियों, मंत्रियों व मुख्यमंत्री तक की भूमिका उजागर हो चुकी है । मालूम रहे कि फ़रवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद पूरा राज्य नरसंहारकों के हाथों में चला गया था । गोधरा कांड उन राम भक्तों की देन थी जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे । 6 दिसम्बर 1992 को मस्जिद की शहादत के बावजूद लोकतांत्रिक सरकार, पुलिस, प्रशासन व अदालतों ने कारसेवकों के प्रति जो 'श्रद्धा' जतायी उससे उनका हौसला बुलंद था । इसी कारसेवक संरक्षणवाद और अति उत्साह का परिणाम था गोधरा कांड ।

अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस से लौट रहे कारसेवक पूरे रास्ते उग्र नारे लगाते रहे । जहां-जहां ट्रेन रुकती वे वेंडरों से खाने-पीने की वस्तुएं छीन लेते । ट्रेन में यात्रा कर रहे मुस्लिम यात्रियों से जबरन नारे लगवाते । मुस्लिम महिलाओं से खुलेआम बदतमीज़ी करते । गोधरा स्टेशनों पर वेंडरों से उनकी भिड़ंत हो गयी । वेंडरों ने ट्रेन की दो बोगियों में आग लगा दी जिससे अनेक अतिवादी रामभक्तों समेत कई यात्रियों की मौत हो गयी । इसके बाद अफ़वाह फैला दी गयी कि ट्रेन में आग मुसलमानों ने लगायी है । फिर क्या था पूरी राज्य सत्ता एवं व्यवस्था दंगाई तत्वों में तब्दील हो गयी ।

गोधरा कांड से पहले ही राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की रणनीति बन चुकी थी । हिन्दूवादी संगठनों की ओर से मध्य प्रदेश, कानपुर (उ०प्र०) और राजस्थान से हथियार जमा किये गये थे । (जैसा कि तहलका कैमरे के सामने भगवा ब्रिगेड ने क़बूला था) बजरंग दल ने पूरे राज्य में भड़काऊ पर्चे बांटे थे । एक पर्चे का शीर्षक था कि ''बजरंग दल ने चढ़ाया धनुष : अब युद्ध से होगा फ़ैसला'' तथा ''जिहाद के जवाब में होगा धर्म युद्ध'' ।

दरअस्ल साबरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे कारसेवक इसलिए उप्रदव मचा रहे थे कि कोई प्रतिक्रिया हो और वे उसे बहाना बनाकर सुनियोजित हिंसा शुरू कर सकें । लेकिन जैसी प्रतिक्रिया हुई कारसेवकों को उसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भी हिंसा फैलाने वालों को बहाना मिल गया ।



इस राज्य व्यापी हिंसा से 24 ज़िले प्रभावित हुए, क़रीब 200 जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई, क़रीब 3 हज़ार घरों को जला दिया गया, दो हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गये जिनमें 97 फ़ीसदी मुसलमान थे । क़रीब 3586 लोग घायल हुए । एक लाख से ज़्यादा लोगों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी ।

85 हज़ार से ज़्यादा मुस्लिम छात्र-छात्राओं का कैरियर प्रभावित हुआ । 395 मस्जिदों, मदरसों एक दरगाहों को निशाना बनाया गया । एक आंकड़े के अनुसार 181 मस्जिदों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और 132 धार्मिक स्थलों को मंदिरों अथवा आवासीय परिसर में बदल दिया गया ।

राज्य में स्थिति आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बदली है । मुसलमानों को द्वितीय स्तर के नागरिक की हैसियत से रहना पड़ता है । हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीखी आलोचना हुई, इसके बावजूद वे आज भी किसी तरह के क़ानूनी पकड़ व जवाबदेही से आज़ाद हैं ।

बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए देशव्यापी हिंसा का आर्थिक पक्ष भी है । हिंसा की चर्चा के दौरान अक्सर इस पक्ष की अनदेखी की जाती है । प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह उस वक़्त केन्द्रीय गृहमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे । आंकड़े बताते हैं कि 'रामभक्तों' के कारण उस समय 350 करोड़ रुपये से अधिक औद्योगिक उत्पादन की क्षति हुई थी । वहीं 70 करोड़ से अधिक के निर्यात का नुक़सान देश को उठाना पड़ा था । सिर्फ़ एक सप्ताह के भीतर 20 अरब रुपये का कारोबारी लेनदेन ठप पड़ा रहा ।

बाबरी मस्जिद की शहादत की घटना के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा घोषित आर्थिक उदारीकरण के कार्यक्रम को क़रारा धक्का पहुंचा था । विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट हुई थी । टूरिज़्म कारोबार भी प्रभावित हुआ था । फ्रांस के अख़बार 'लामांद' ने लिखा कि अयोध्या कांड के बाद भारत में विदेशी निवेशकों को 'देखो और इन्तिज़ार करो' की नीति पर चलना होगा । वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राव का कहना था कि विध्वंस की घटना के कारण आर्थिक उदारीकरण की गति धीमी हुई है ।

देशव्यापी हिंसा के कारण वर्ष 1993-94 का बजट घाटा बढ़ा था और उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को करों में बढ़ोत्तरी करनी पड़ी थी । फिक्की (भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री कान्ति कुमार पोद्दार का कहना था कि अयोध्या के घटनाक्रमों का दुष्प्रभाव समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक संकट और घनीभूत हो गया । इस महा-हिंसा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1119 लोगों की जान गयी थी और 30 करोड़ की सम्पत्ति को नुक़सान पहुंचा था । इस महाविनाश का सियासी फ़ायदा उठाने वाली भाजपा के नेता गर्व से फूले नहीं समा रहे थे । विध्वंस के खलनायक लालकृष्ण आडवाणी ने देश को हुए करोड़ों के नुक़सान की अनदेखी करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे जिस पर पूरा देश उद्वेलित हो जाए वे किसी दर्ज़ी के यहां कपड़े की तरह नहीं सिलते । यह थी संघ परिवार की देश भक्ति ? जिस घाव से समूचा देश व मानवता कराह रही थी और देश को दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा था उस पर संघ परिवार के देशभक्त गर्व कर रहे थे और आज भी गर्व करते हैं ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are Construction of Prayer Hall & Purchase one more school bus, Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

इतिहास-धर्मग्रंथ ख़ामोश क्यों ?

❖ एस॰ एल॰ सागर
(एडवोकेट, मैनपुरी)

हिन्दुओं का यह विश्वास है कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, किन्तु यह बात संदेह उत्पन्न करती है क्योंकि हिन्दू धर्म के किसी प्राचीन ग्रंथ में इसका कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके । हिन्दुओं के किसी भी धर्मग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि अयोध्या में अमुक स्थान पर राम का जन्म हुआ था, वहां जाकर आराधना करनी चाहिए ।

कामिल बुल्के ने अपनी राम कथा में वाल्मीकि रामायण, गोविन्द रामायण, बलराम रामायण, भुषुंडी रामायण, भवभूति का रामचरित, बौद्ध रामायण (दशरथ जातक), राम-चरित मानस, जैन रामायण, भावार्थ रामायण, तिब्बती रामायण, कश्मीरी रामायण, आनंद रामायण, कम्बन रामायण, अग्निवेश रामायण, अध्यात्म रामायण 16-17 क़िस्म की रामायणों में राम कथाओं का वर्णन किया है किन्तु किसी में भी राम के जन्मस्थल का वर्णन नहीं है । विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, उसका उल्लेख हम पहले करते हैं ।

इन खम्भों के साक्ष्य में एक बात और ध्यान देने की है । विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि इन खम्भों पर जो वनमाला का चित्र अंकित है वह वैष्णव चिन्ह है इसलिए ये खम्भे मंदिर के हैं किन्तु इसमें सच्चाई नहीं है । वैष्णव पंथ के विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पदम चार प्रतीक हैं किन्तु इन चार में एक भी चिन्ह इन खम्भों पर अंकित नहीं है । वनमाला तो हर हिन्दू पंथ प्रयोग करता है और हिन्दू के अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदाय भी । इस प्रकार काले खम्भों से हिन्दू मंदिर होना प्रमाणित होता हो ऐसा कुछ नहीं है । खम्भों की जो लम्बाई है वह तल से 5 फुट के क़रीब ऊंचें हैं, ये छत तक नहीं हैं, तो ये दीवार के साथ के नहीं हो सकते हैं । बाद को अलंकरण हेतु बाहर से लाकर लगाये गये प्रमाणित होते हैं ।

पहला साक्ष्य

विश्व हिन्दू परिषद केवल एक ऐसा ग्रंथ पेश कर पायी है जो कि एक पुराण है । स्कंद पुराण में राम के जन्मस्थान का वर्णन है जिसमें अयोध्या का महात्म्य दर्शाया गया है और उसके दर्शन का महत्व समझाया गया है । पुराणों के बारे में यह कौन नहीं जानता है कि ये आल्हा खंड से भी अधिक गपोड़ों के संग्रह हैं और इन पुराणों की रचना का समय सबसे बाद का है। इनकी रचना में उलजलूल आख्यानों की भरमार है और इनका इसीलिए कोई लेखक भी नहीं दिखाया गया है । यदि हम स्कंद पुराण को ही लें तो यह पुराण 16वीं सदी के बाद का ही लिखा गया प्रमाणित होता है। इस पुराण में विद्यापति का उल्लेख है जिसकी मृत्यु 16वीं सदी में हुई थी ।

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि स्कंद पुराण का यह 'अयोध्या माहात्म्य' अनुभाग मात्र क्षेपक है और बाद में जोड़ा गया है । यदि इस पुराण के कथन को मान भी लिया जाय तब भी तो जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उस स्थान पर राम का जन्म होना प्रमाणित नहीं होता है ।

महात्म्य के वृंदावन वाले और वोडलेमन पुस्तकालय वाले संस्करण के अनुसार राम के जन्मस्थान की दिक्सूचक दिशा और दूरियां उल्लिखित हैं । छंद 21 से 24 तक के वर्णन में जन्म स्थल लौमश के पश्चिम की ओर 1009 धनुष (1835 मीटर) की दूरी पर स्थित है । हिन्दू मान्यता के अनुसार लोमस की जगह ऋणमोचन घाटवाली जगह है । इस मान्यता के आधार पर राम जन्मभूमि सरयू नदी की तलहटी

में ब्रह्मकुंड के पास बैठती है । दूसरा कथन है कि जन्मस्थान विनेश के उत्तर पूर्व में स्थित है । यह विनेश का स्थल ऋणमोचन से दक्षिण पश्चिम को है । यह स्थान भी वह नहीं बैठता जहां बाबरी मस्जिद बनी है । अयोध्या महात्म्य में जन्मस्थान से कहीं अधिक स्वर्ग द्वार का विशेष महत्व है । स्कंद पुराण में स्वर्ग-नरक का वर्णन है और उल्लेख है कि यहां से राम स्वर्ग गये थे । इस स्थल पर वासुदेव की पूजा का वर्णन है । किसी मंदिर के चिन्ह होने का वर्णन यहां भी नहीं है ।

सारे विवरण से स्पष्ट होता है कि 11वीं सदी से 18वीं सदी तक ऐसा कोई प्रमाणित ग्रंथ का साक्ष्य नहीं है जो राम के जन्म को अयोध्या में अमुक स्थान पर प्रमाणित करता हो । राम जन्म का स्थान 18वीं सदी के बाद जोड़ा गया । इस आधार पर यह कहना भी झूठ प्रमाणित हो जाता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से हिन्दू आस्था जुड़ी हुई है ।

दूसरा साक्ष्य

विश्व हिन्दू परिषद अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय दूसरा साक्ष्य यह प्रस्तुत करती है कि बाबरी मस्जिद में 14 काले पत्थरों के जो स्तम्भ लगे हैं वे ग़ैर-इस्लामी हैं । यह साक्ष्य सकारात्मक न होकर नकारात्मक है अर्थात मस्जिद नहीं हो सकती है इसलिए मंदिर है । मंदिर है, यह सीधा साक्ष्य नहीं है । इस नकारात्मक साक्ष्य का अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि मस्जिद न हो तो मंदिर भी न हो और बौद्ध मठ हो । जहां तक काले पत्थरों का प्रश्न है, यह प्रमाणित करना होगा कि काले पत्थर मस्जिद में नहीं लगते ? दूसरे यह कि क्या ये मस्ज़िद निर्माण के समय के ही हैं या बाद को सजावट के लिए बाहर से लाकर लगवाये गये हैं । इसका निर्णय करने में एक महत्वपूर्ण तथ्य बहुत सहायक होगा कि इस मस्जिद के क़रीब डेढ़ मील दूरी पर एक क़ब्रगाह है । अब क़ब्रगाह में भी दो काले पत्थर वाले खम्भे लगे हैं ।

एक दूसरा तथ्य कि बिहार में अनेक ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें चौखटे काले वैसाल्ट पत्थर के बने हैं । ये पत्थर पाल राजाओं के काल में बनी मस्जिदों में लगाये गये हैं । पटना के गूजरी मुहल्ले में बनी 17वीं सदी की मस्जिद इसका उदाहरण है । इसमें काले पत्थर के खम्भे लगे हैं, इससे दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ।

1. पहला यह कि मस्जिद में काले पत्थर का लगाना कोई इस्लाम के विरुद्ध नहीं है ।

2. दूसरे यह कि ये काले पत्थर जिस लम्बाई में लगे हैं वह छत तक न होकर 5 फिट के बराबर ही हैं जो मस्जिद के अलंकरण के लिए लगाये गये हों । चूंकि काले पत्थर अयोध्या के पास नहीं मिलते तो पटना के पास भी तो नहीं मिलते हैं । जब बाहर से लाकर ये पटना की मस्जिदों में लगाये जा सकते हैं तो अयोध्या में बाहर से लाकर क्यों नहीं लगाये जा सकते हैं । हो सकता है कि मंदिर के अलंकरण हेतु ये काले पत्थर बाहर से लाकर बाद में मस्जिद में स्तम्भ के रूप में प्रयुक्त किये गये हों ।

इन खम्भों के साक्ष्य में एक बात और ध्यान देने वाली है । विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि इन खम्भों पर जो वनमाला का चित्र अंकित है वह वैष्णव चिन्ह है इसलिए ये खम्भे मंदिर के हैं किन्तु इसमें सच्चाई नहीं है । वैष्णव पंथ के विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पदम चार प्रतीक हैं किन्तु इन चार में एक भी चिन्ह इन खम्भों पर अंकित नहीं है । वनमाला तो हर हिन्दू पंथ प्रयोग करता है और हिन्दू के अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदाय भी । इस प्रकार काले खम्भों से हिन्दू मंदिर होना प्रमाणित होता हो ऐसा कुछ नहीं है । खम्भों की जो लम्बाई है वह तल से 5 फुट के क़रीब ऊंचें हैं, ये छत तक नहीं हैं, तो ये दीवार के साथ के नहीं हो सकते हैं । बाद को अलंकरण हेतु बाहर से लाकर लगाये गये प्रमाणित होते हैं ।

एक प्रोफ़ेसर बी॰बी॰ लाल को बाबरी मस्जिद के दक्षिण में कुछ ईंट वाले आधार मिले हैं जिनसे मंदिर होने की कल्पना की जा सकती है, किन्तु यह शोध पत्र 11 वर्ष बाद 1990 में प्रकाशित किया गया । इसमें इन ईंटों के आधार वाले निर्माण का काल उत्तर मध्य काल बताया गया है, जिसका अर्थ होता है 17वीं, 18वीं शताब्दी । यदि मान लिया जाए कि 17वीं, 18वीं शताब्दी में मस्जिद के दक्षिण में कोई मंदिर भी था तो 16वीं सदी में बनी मस्जिद को मंदिर तोड़ कर बनाया गया था, कैसे सिद्ध होता है । इस प्रकार स्तम्भ और ईंट वाले आधार के सहारे यह सिद्ध नहीं होता कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पूर्व यहां किसी प्रकार के मंदिर का अस्तित्व था ।

खोदाई में मस्जिद की ऊपर की खाईयां और मस्जिद के तल के ठीक नीचे कलईदार बर्तन मिले हैं । इससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि मस्जिद स्वतंत्र जगह पर बनी थी । हिन्दू मंदिर में कलई के बर्तन मिलने का प्रश्न ही नहीं

उठता । कलई मुसलमानों की निजी देन है । इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये बर्तन जो 13-14वीं सदी के मिले हैं यहां 13-14वीं सदी में मुसलमान बस्ती का होना पाया जाता है और बाबर ने भी वहीं मस्जिद बनवायी थी जहां मुसलमान रहते होंगे, हिन्दू नहीं । खोदाई में कोई हिन्दू पात्र नहीं निकला है । ये कलई के बर्तन मुसलमानों की बस्ती होने का संकेत देते हैं और मुसलमानों के लिए मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए बनायी गयी होगी ।

इस प्रकार खम्भों, ईंटों, बर्तनों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद नहीं बनायी गयी है । अत: यहां विश्व हिन्दू परिषद ने जो बातें कही हैं उनमें एक भी यह सिद्ध नहीं करती कि आज जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहीं कभी कोई मंदिर था ।

मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने की कल्पना विदेशी लोगों ने फैलायी है । सबसे पहले 1788 में एक बर्लिन के पादरी ने अपनी पुस्तक में ज़िक्र किया था । उसने लिखा कि ''औरंगज़ेब ने रामकोट क़िला ध्वस्त किया था और उसकी जगह मस्जिद बनवायी थी । कुछ का कहना है कि यह बाबर ने बनवाया था, उसने पांच-पांच बालिस्त ऊंचे 14 काले पत्थरों के खम्भे खड़े किये थे । इन काले पत्थरों का मलवा हनुमान जी द्वारा लंका से लाया गया था । यहां एक चौकी का भी उल्लेख है जिसे राम की जन्म स्थली बताते हैं । यह 525 वर्ग क्षेत्रफल में है ।''

जब तक उक्त पुस्तक नहीं लिखी गयी थी किसी को मस्जिद, मंदिर तोड़ कर बनायी गयी होने की कल्पना भी नहीं थी । 1810 में फ्रेंसिस बुकनन ने अयोध्या की यात्रा की, उसने लिखा कि राजा विक्रम पवित्र नगर की खोज में यहां आया था, उसने 'रामगढ़' नामक किला बनवाया और 360 मंदिर बनवाये । बुकनन ने लिखा कि यहां यह विश्वास है कि बनारस, मथुरा की भांति अयोध्या के मंदिर भी औरंगज़ेब ने तुड़वाये, किन्तु ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब की पांच पीढ़ी पहले बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया था, इससे विक्रम द्वारा मंदिरों को बनवाने की कहानी झूठ हो जाती है ।

इन विदेशी लेखकों के एक-दूसरे के विरोधी और स्वयं के द्वंद्वात्मक कथन सिवाय भ्रांति पैदा करने के कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं । कभी कहना हनुमान जी पत्थर लाये थे, कभी कहना कि विक्रम ने मंदिर बनाये थे, कभी औरंगज़ेब ने मंदिर तुड़वाया, तो कभी बाबर ने तुड़वाया, ऐसे कथन हैं जिनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं निकलता है और सब संदेह पैदा करते हैं । बुकनन ने तो इन पत्थरों के खम्भों से निष्कर्ष निकाला था कि ये किसी मंदिर के न होकर किसी इमारत से लिए गये हैं । इस कथन से तो विश्व हिन्दू परिषद की खम्भों की सारी कहानी चौपट हो जाती है। विश्व हिन्दू परिषद अपने साहित्य और किसी धर्मग्रंथ से यह सिद्ध नहीं कर सकी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद, मंदिर तोड़ कर बनायी गयी है । परिषद यह कह सकती है कि हमारे धर्मग्रंथ पहले के लिखे गये हैं और बाबर से पहले लिखे गये हैं, उनमें बाबरी मस्जिद का वर्णन हो ही नहीं सकता है । यदि यहां कोई राम का मंदिर होता तो उसका वर्णन तो होता जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि अयोध्या में राम जन्मस्थल पर कोई मंदिर था । जब शास्त्र, पुराण, धर्म सूत्र और स्मृति ग्रंथ में ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिससे यह सिद्ध होता है कि राम की जन्मस्थली पर कोई मंदिर बनाया गया था और मंदिर होने का भी कोई वर्णन नहीं है तो किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया और क्यों बनवाया, सोचना ही व्यर्थ है ।

बाबर की तीसरी पीढ़ी में अकबर आता है । अकबर के ज़माने में तुलसी पैदा होते हैं । वे राम के अनन्य भक्त बनते हैं और रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में करते हैं । यदि तुलसी के आराध्य राम की जन्मस्थली ध्वस्त करके मस्जिद बनायी गयी होती तो क्या तुलसी चुप रहते ? तुलसीदास ने अयोध्या को पूज्य स्थली ही नहीं माना है । उन्होंने प्रयाग को पूज्य माना है अयोध्या को नहीं । तुलसी 17वीं सदी में पैदा हुए थे तब ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं थी, जहां बाबरी मस्जिद है वहां पहले कभी कोई राम मंदिर था ।

आइने अकबरी में अयोध्या का वर्णन है किन्तु अबुल फ़ज़ल ने भी राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनने का कोई वर्णन नहीं किया है । बाबर के डेढ़ सौ दो सौ साल बाद ही अकबर का काल आ जाता है और अकबर के काल में ही तुलसी और अबुल फ़ज़ल काव्य रचना करते हैं, तो हिन्दू और मुसलमान एक भी रचनाकार द्वारा राम के मंदिर को ढहाकर बाबरी मस्जिद बनाने का वर्णन नहीं है । इससे यही सिद्ध होता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वा कर मस्जिद नहीं बनवायी थी ।

17वीं सदी के प्रथम दशक में एक विलियम फ्लिंच ने अयोध्या में रहकर एक शोध लिखा था । उसने लिखा है कि यहां लोग राम का राज्य बताते हैं, उन्हें देवता मानते हैं । हिन्दू राम को अवतार मानते हैं । इसके किनारे ब्राह्मण रहते हैं जो रोज़ इसमें प्रातः नहाते हैं । यहां एक गहरी गुफ़ा है । यह माना जाता है कि इस गुफा में राम की अस्थियां गड़ी हैं । बाहर से लोग यहां आते हैं और काले चावल यहां से ले जाते हैं । यहां से काफ़ी सोना निकाला गया है । इस पुस्तक के वर्णन से राम के मरने का वर्णन मिलता है । जैसे स्कंद पुराण में स्वर्ग द्वार का वर्णन, जहां से राम स्वर्ग सिधारे परंतु इस ग्रंथ से भी राम यहां जन्मे थे उल्लेख नहीं मिलता है । इस ग्रंथ में भी तुलसी के मानस की भांति मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

एक हिन्दू सुजान राय भंडारी नामक व्यक्ति के ग्रंथ ''खुलासात-ए-तवारीख़' में मथुरा और अयोध्या का ज़िक्र है । यह पुस्तक 1695-96 की मानी जाती है पर इसमें भी ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ कर बाबर ने कोई मस्जिद बनवायी । यह लेखक यहां पैग़म्बर शीस (अलैहि०) और पैग़म्बर अय्यूब (अलैहि०) के मक़बरों का वर्णन करता है पर राम के मंदिर का कोई ज़िक्र नहीं करता है । एक और हिन्दू लेखक राय चर्तुन ने अपनी पुस्तक में राम का वर्णन तो किया है पर राम के मंदिर का वर्णन नहीं किया है । यह पुस्तक 1759-60 में लिखी गयी है ।

एक हिन्दू सुजान राय भंडारी नामक व्यक्ति के ग्रंथ ''खुलासात-ए-तवारीख़' में मथुरा और अयोध्या का ज़िक्र है । यह पुस्तक 1695-96 की मानी जाती है पर इसमें भी ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ कर बाबर ने कोई मस्जिद बनवायी । यह लेखक यहां पैग़म्बर शीस (अलैहि०) और पैग़म्बर अय्यूब (अलैहि०) के मक़बरों का वर्णन करता है पर राम के मंदिर का कोई ज़िक्र नहीं करता है ।

इस प्रकार बाबर के समय बनी मस्जिद के निर्माण के दो सौ वर्ष बाद तक भारत के तुलसी, अबुल फ़ज़ल तथा विदेशी फ्लिंच जैसे क़लमकारों ने अयोध्या में राम के मंदिर का उल्लेख तक नहीं किया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व हिन्दू परिषद के पास ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है जो बाबरी मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर प्रमाणित कर सके । इसने जो पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं वे बहुत लचर और संदिग्ध हैं ।

एक और अभिलिखित साक्ष्य उपलब्ध है । मस्जिद निर्माण के बाद मस्जिद पर फ़ारसी में खोदे गये अभिलेख हैं जिनका वर्णन बाबरनामा में मिलता है । ए०एस० वेविरिज द्वारा बाबरनामा का जो अनुवाद किया गया है, उस बाबरनामा में मीर बाक़ी का उल्लेख है । बाबरनामा में बाबरी मस्जिद और उस पर खुदे अभिलेखों का वर्णन है, पर कहीं पर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कहीं भी मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनवायी गयी हो । इस प्रकार खोदाई से प्राप्त साक्ष्य, मस्जिद में बने खम्भों के पुरातत्वीय साक्ष्य और अभिलेखों के साक्ष्य किसी से यह प्रमाणित नहीं होता है कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनायी गयी थी । जो भी साक्ष्य अब तक प्राप्त हुआ है उससे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं–

1. ग्रंथों के आधार पर ऐसा प्रमाणित होता है कि 18वीं सदी से पूर्व अयोध्या में राम जन्मभूमि के रूप में कोई स्थल पूज्यनीय नहीं था ।

2. पुरातत्व और मस्जिद पर खुदे अभिलेखों के आधार पर यह कहीं सिद्ध नहीं होता कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर था और मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनायी गयी ।

3. सम्पूर्ण साहित्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 19वीं सदी के आरम्भ तक राम मंदिर का कोई दावा नहीं था । यह चर्चा 1850 के दशक में प्रारम्भ हुई जब सीता रसोई को ध्वस्त करने की मात्र बात उठी थी ।

ऊपर के सारे विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ''अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर को ध्वस्त कर बनायी गयी है'' का बवेला व्यर्थ का ढकोसला है और मुसलमानों के विरुद्ध एक सोची समझी साज़िश है । सोलहवीं सदी से लेकर उन्नीसवीं सदी तक तीन सौ चार सौ वर्षों तक जिसका मस्जिद बनने के बाद में कोई प्रमाण न मिलता हो ऐसा कोई बिन्दु खड़ा कर देना सोची-समझी साज़िश ही है और कुछ नहीं । आज मुसलमानों के विरुद्ध उनको नष्ट करने, उनका ईमान भ्रष्ट करने की साज़िशें हो रही हैं, वरना यह कौन बर्दाश्त कर लेगा कि जो मस्जिद सोलहवीं सदी में बनी हो उसे ध्वस्त कर दिया गया है ।

इतिहास को झुठलाने की कोशिश

❖ अमामा साबरी

हमारे देश में इतिहास को विकृत करने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है । कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ऐतिहासिक मध्यकालीन भवन, जो मुस्लिम काल के हैं, के ख़िलाफ़ सुनियोजित ढंग से आवाज़ उठायी जा रही है । तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर इस तरह पेश किया जा रहा है, जिसे शोध-कार्य कहा जा सके । पुरुषोत्तम नागेश ओक, प्रफुल्ल गोराड़िया सरीखे लोगों की पुस्तकें इसे बढ़ावा दे रही है ।

इस सिलसिले में जो पुस्तकें प्रकाशित की गयीं उनकी सूची स्वयं ही यह स्पष्ट कर देती है कि यह किस तरह मिथ्या प्रचार किया जा रहा है । ऐतिहासिक तथ्यों को नकार कर समाज में किस तरह विष के बीज बोया जा रहा है । पुस्तकों के नाम कुछ इस तरह हैं :

(1) भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, (2) ताजमहल हिन्दू राजभवन है, (3) दिल्ली का लालक़िला हिन्दू लाल कोर्ट है, (4) फ़तहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर है, (5) आगरा का लालक़िला हिन्दू भवन है, (6) लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन हैं और (7) हिन्दू मस्जिदें आदि । उपरोक्त सूची स्वयं बताती है कि यह कोई इतिहास लेखन संस्थान का कार्य नहीं है बल्कि समाज में द्वेष फैलाने, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कटुता फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश है ।

प्रफुल्ल गोराड़िया ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू मस्जिदें' (Hindu Masjids) में कुछ रंगीन चित्रों को भी पेश किया है और यह बताने की कोशिश की है कि भारत की जितनी भी प्राचीन मस्जिदें हैं वे सभी कभी हिन्दुओं के मंदिर थे । मुस्लिम शासनकाल में उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और उनका मस्जिद के रूप में पुनर्निमाण किया गया । गोराड़िया यह स्वीकार करते हैं कि उनके दोस्तों और शुभचिंतकों ने उनसे यह प्रश्न किया था कि इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा सिवा इसके कि शांति और सौहार्द के साथ रह रहे हिन्दू और मुस्लिम समुदाय आपस में लड़ पड़ें और साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो ।

पी॰एन॰ ओक भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं । आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतिहासकारों ने जनमानस को पूरी तरह भ्रमित कर दिया है । वे कहते हैं कि पुरातन निवासी होने का दावा करने वाले लोग भी यही मानते हैं कि भारत में अधिकांश निर्माण कार्य मुस्लिम शासनकाल में हुआ :

"यह संघातिक अनुभूति हमें उस समय प्राप्त हुई जब हम संयोगवश लखनऊ निवासियों से बातचीत कर रहे थे । उनमें से बहुत सारे लोग लखनऊ के अति पुरातन निवासी होने का दावा करने वाले अथवा लखनऊ में अनेक पीढ़ियों से निवास करने वाले परिवारों में जन्म लेने के कारण शेखी बखान करने वाले होते हुए भी यही मानते चले आ रहे प्रतीत होते हैं कि लखनऊ में न केवल सभी बड़े भवन अथवा पुल नवाबों द्वारा बनवाये गये थे अपितु नवाबों से पूर्व सम्पूर्ण लखनऊ नगर ही अस्तित्वहीन था ।"

(पी॰एन॰ ओक, लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन, पृष्ठ 8)

ये लोग न पुस्तकों में पेश किये तथ्यों को मानते हैं और न पुरातन निवासियों की उन धारणाओं पर विश्वास करते हैं । उनका तो यह मानना है कि यदि मुस्लिम आक्रमण से पहले मध्यकालीन हिन्दू-राजपूत और क्षत्रियों द्वारा बनाये गये मंदिर, दुर्ग और राजमहल नहीं थे तो क्या ये मुस्लिम लुटेरे रेतीले मेदानों को लूटने आये थे ।

"आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व प्रारंभ होने वाले, भारत पर मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व यदि ये स्मारक यहां पर थे ही नहीं, तो हम इस बेहूदे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुहम्मद बिन क़ासिम, ग़ज़नी, गौरी, बाबर तथा हुमायूं ने केवल शुष्क, रेतीले तथा खुली हवाओं से भरपूर मैदानों को अधिकार में लाने के लिए विकट युद्ध लड़े थे ।

(पी॰एन॰ ओक, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, पृष्ठ 14)

भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए हुई, उसे जान लेने के बाद अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के इस फ़ैसले बाद ये साम्प्रदायिक तत्व

और किन-किन मस्जिदों और ऐतिहासिक स्थलों पर अपना दावा पेश करते हैं । संस्थान ने एक लंबी-चौड़ी सूची बना रखी है । मथुरा और काशी के दावे तो अभी से किये जा रहे हैं ।

1. जामा मस्जिद, दिल्ली

"ब्रिटिश इतिहासकारों ने यह झूठी कथा प्रचारित कर रखी है कि पांचवीं पीढ़ी के मुग़ल बादशाह शाहजहां ने पुरानी दिल्ली की स्थापना की थी और इसके लालक़िले व जामा मस्जिद का निर्माण कराया ।

शाहजहां की ओर से किये जाने वाले उन तीनों दावों को इतिहास में कोई आधार प्राप्त नहीं है । पुरानी दिल्ली का मूलोद्गाम, कम से कम, पाण्डवों के समय से तो है ही क्योंकि महाभारत में निगमबोध घाट जैसे दिल्ली के अनेक विशिष्ट स्थानों का उल्लेख पर्याप्त संख्या में किया गया है । लालक़िला एक प्राचीन हिन्दू क़िला है और तथाकथित जामा मस्जिद एक प्राचीन हिन्दू मंदिर है–इसका साक्षी अन्य कोई छोटा-मोटा व्यक्ति न होकर स्वयं आक्रमणकारी तैमूरलंग है जो शाहजहां के राजगद्दी पर बैठने से 230 वर्ष पहले दिल्ली पर महामारी की तरह छा गया था ।

(पी॰एन॰ ओक, विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, पृष्ठ 70)

2. दिल्ली का लालक़िला

"दिल्ली का लाल क़िला एक ऐसा ऐतिहासिक विशेष स्थान है जिसे देखने के लिए प्रतिदिन हज़ारों रुचि-संपन्न दर्शक आते हैं । भारत के अन्य सभी ऐतिहासिक भवनों के समान ही लालक़िले का निर्माण-श्रेय भी मुस्लिमों को ही दिया जाता है । यह एक घोर ऐतिहासिक और पुरातत्वीय भ्रांति अथवा भयंकर भूल है । यह क़िला जिसका निर्माण-श्रेय 17वीं शताब्दी के विदेशी मुस्लिम शासक शाहजहां को दिया जाता है, हिन्दुओं द्वारा आक्रमणकारी मुस्लिमों के सम्मुख अपनी स्वाधीनता गंवा बैठने की घड़ी से शताब्दियों पूर्व हिन्दुओं द्वारा बनवाया गया था ।"

(पी॰एन॰ ओक, दिल्ली का लालक़िला लाल कोट है, पृष्ठ 6)

3. लखनऊ का इमामबाड़ा

पुरुषोत्तत नागेश ओक ने लखनऊ के इमामबाड़ों को हिन्दू राजभवन का अवशेष बताते हैं । इसे साबित करने के लिए उन्होंने 184 पृष्ठ की एक पुस्तक लिख डाली है । अपने सबूतों के तौर पर वे लिखते हैं :

"इमामबाड़े के प्रत्येक कोने, छोड़ पर एक अष्टकोणात्मक भाग है जिसका व्यास 53 फीट है ।" फ़र्ग्युसन के इस उद्धरण के बाद वे लिखते हैं : "यदि फ़र्ग्युसन ने सचमुच ही भारतीय वस्तुकला के अध्ययन में निपुणता प्राप्त की होती, तो उसने अष्टकोणात्मक भाग से तुरंत ही यह निष्कर्ष निकाल लिया होता कि इमामबाड़ा एक पूर्वकालिक हिन्दू राजमहल है । सभी प्राचीन हिन्दू राजभवनों (अथवा भवनों) में ऐसे अष्टकोणात्मक लक्षण विद्यमान होते थे ।"

(पी॰एन॰ ओक, लखनऊ के इमाम बाड़े हिन्दू राजभवन, पृष्ठ 168-169)

"दोनों इमामबाड़ा–संकुल मत्स्य की आकृतियों से भरे पड़े हैं, जबकि बड़े इमामबाड़े पर मछली की आकृतियां उत्कीर्ण हैं । मछली की एक विशाल स्वर्णिम प्रतिकृति तथाकथित हुसैनाबादी इमामबाड़े पर ऊंची लहरा रही है । राजकुलीन हिन्दू राजचिन्ह के रूप में मछली का अतिप्राचीन हिन्दू-मूल विद्यमान है ।

(पी॰एन॰ ओक, लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन, पृष्ठ 172)

"मुख्य महराब से निकलने पर व्यक्ति को (हुसैनाबादी इमामबाड़े का) एक लंबा चतुरांगण मिलता है, जिसमें एक लंबा ऊंचा मंच बना हुआ है, जिसके अंतिम छोड़ पर अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय की प्रतिमा बनी हुई है ।" (नोट : अब वह मूर्ति वहां दिखायी नहीं देती) हिन्दुओं के लिए गाय और बछड़ा अति पवित्र, श्रद्धा के प्राणी हैं । हिन्दू दीपावली में एक दिन गाय और उसके दूध पीते बछड़े की पूजा के लिए ही निश्चित है ।

(पी॰एन॰ ओक, लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन, पृष्ठ 173)

उसी तरह प्रफुल्ल गोराड़िया का दावा है कि औरंगज़ेब ने मथुरा के गोविन्द देव मंदिर के ऊपरी भाग को ध्वस्त कर दिया था और शेष भाग को मस्जिद में स्थानांतरित कर दिया था । सभी मूर्तियों को तोड़-फोड़ डाला गया था लेकिन कृष्ण और राधा की एक आकृति बच गयी थी ।

उसी तरह दिल्ली के एक मक़बरे 'सुल्तान गढ़ी' के बारे में भी उनका दावा है कि पहले वह मंदिर था, फिर उसे मस्जिद में बदल दिया गया और अब दोनों समुदाय उसे अपना बताते हैं । कन्नौज की जामा मस्जिद के बारे में भी

उनका यही दावा है । कन्नौज की ही मख़दूम जहानिया दरगाह भी मंदिर तोड़ कर बनाया गया है । और इसका सबूत वह यह बताते हैं कि इस दरगाह में न तो गुंबद है और न मीनार । यानी वे किसी ऐसी दरगाह की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें न गुंबद हो और न मीनार । इसलिए वह उसे मंदिर होने का पक्का सबूत मानते हैं ।

इटावा की जामा मस्जिद के स्तंभों पर देवी-देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं जिसे छुपाने के लिए कुछ दिन पहले उस पर अल्यूमीनियम पेंट कर दिया गया है । यानी वह मस्जिद भी गोराड़िया के निकट एक मंदिर ही थी जिसे बाद में मस्जिद बना दिया गया ।

रोहिणी मंदिर जो गोकुल के पास महाबन में स्थित है और जिसके 80 स्तंभ आज भी मौजूद हैं, को मुस्लिम शासनकाल में मस्जिद बना लिया गया था लेकिन हिन्दुत्ववादियों की कोशिशों से उसे एक बार फिर मंदिर में बदल दिया गया है । लेकिन रसखान और उसके दोनों भाइयों की क़ब्रें आज भी वहां मौजूद हैं ।

क़ुतुबमीनार के पास स्थित क़ूवतुल इस्लाम मस्जिद को भी वे हिन्दुओं का धरोहर मानते हैं क्योंकि वहां बड़ी संख्या में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों आज भी मौजूद हैं । मस्जिद के बाहरी दीवार पर गणेश की प्रतिमा लगी हुई है ।

अजमेर का 'ढ़ाई दिन का झोंपड़ा' के बोर में उनका दावा है कि क़ुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर की तीन विशाल मंदिरों को ध्वस्त करके केवल 60 घंटे के अन्दर उस इमारत की तामीर करवा दी थी । वहां भी बड़ी संख्या में देवी-देवताओं की आकृतियां मिलती हैं । आज भी उसके बाहरी दालान के अन्दर सैकड़ों प्रतिमाएं पर्यटकों के आकर्षण का कारण बन रही हैं ।

मथुरा स्थित ईदगाह को वे केशव देव मंदिर मानते हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं कि उसे हिन्दुओं के हवाले किया जाए । 30 सितम्बर को बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुनाये गये दुर्भाग्यपूर्ण फ़ैसले के तुरंत बाद विश्व हिन्दू परिषद ने इसी ईदगाह और काशी के मंदिर पर क़ब्ज़ा करने के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया था ।

ख़ालिस-मुख़्लिस मस्जिद, जौनपुर को विजय मंडल मन्दिर, झांझरी मस्जिद, जौनपुर को चाचकपुर मंदिर, विदिशा की मस्जिद को बीजामंडल मंदिर कहते हैं और इन सारी मस्जिदों पर अपना दावा ठोंकते हैं ।

धार की भोजशाला और लाट मस्जिद का मामला भी किसी समय भी ज़ोर पंकड़ सक़ता है । भाजपा की उमा भारती ने विशेष रूप से इसके लिए आन्दोलन छेड़ा था । पहले वह मस्जिद थी । फिर परिसर के किसी एक भाग में पूजा-अर्चना होने लगी । प्रशासन ने उन्हें सप्ताह में एक दिन आरती उतारने की इजाज़त दे दी । फिर तो दबाव बढ़ता ही गया । इन दिनों हिन्दुओं को यहां सातों दिन आरती उतारने की अनुमति है । वैसे वहां सप्ताह में 6 दिन नमाज़ होती है । मंगल को पूजा करने की छूट है ।

गोराड़िया का दावा है कि ब्रिटिश सरकार ने इसी भोजशाला से देवी सरस्वती की प्रतिमा को लंदन ले गयी । आज भी वह ब्रिटिश म्यूज़ियम, लंदन में मौजूद है ।

अदीना मस्जिद, मालदा (पश्चिम बंगाल) पर भी हिन्दुत्ववादियों का दावा है । अदीना मस्जिद के दक्षिणी दीवार पर गणेश की नृत्य करती हुई आकृतियां बनी हुई हैं, जिसके आधार पर वे दावा करते हैं कि निश्चित रूप से यह हिन्दुओं का पूजा स्थल रहा होगा ।

उसी तरह हावड़ा के जंगली पीर बाबा का मज़ार पर भी उनका दावा है ।

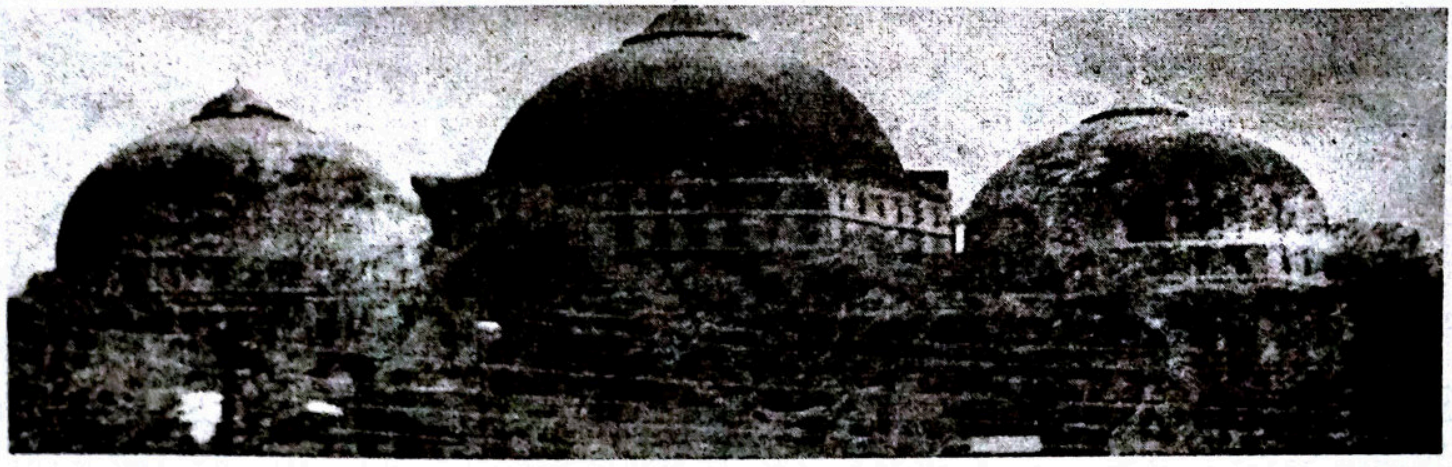

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

बाबरी मस्जिद का अस्तित्व क़ानून की नज़र में

❖ एम॰ ए॰ हक़
(एडवोकेट)

बाबरी मस्जिद की मिल्कियत से जुड़े विवाद का फ़ैसला हाईकोर्ट स्तर पर हो चुका है । हालांकि इस फ़ैसले ने कई प्रश्न खड़े कर दिये हैं । सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या यह फ़ैसला क़ानूनन सही है ? क्या यह फ़ैसला विधि के शासन से दूरी और लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय के अनुचित महत्व पर अत्यधिक बल देता नज़र नहीं आता है ? क्या क़ानूनी प्रक्रिया एवं ऐतिहासिक तथ्यों को आस्था एवं विश्वास के सामने अनदेखा कर देना पड़ेगा ? कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि यदि फ़ैसला न्यायाधारित होता अर्थात मस्जिद के पक्ष में होता तो उसे लागू कर पाना (Execution) संभव नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में देश की अखंडता ख़तरे में पड़ जाती ।

एक सामान्य नागरिक जब निष्पक्ष होकर विचार करता है तो पाता है कि कोर्ट का कोई भी फ़ैसला अपने अपील के समय के पूरा होने और अपील नहीं किये जाने पर ही Execution योग्य होता है या फिर अपील की हालत में अपीलेट कोर्ट का आदेश उसको अन्तिम रूप देता है । ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह बात बहुत ही युक्तिसंगत जान पड़ती है–

''सर्वशक्तिमान ही अकेला पूर्ण न्याय करने वाला है ऊंची न्यायालयों के जज अपने बेहतरीन प्रयासों के बावजूद मानवीय ग़लतियों की सीमा में हैं ।''

(2002, 4 एस॰एस॰सी॰ 388 रूपा-अशोक)

ऐसे में अपील की बात नहीं करना और यह तर्क देना कि कोर्ट मस्जिद के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला देगा सर्वथा अनुचित मालूम होता है । क़ानूनविदों की चिंता अवश्य ही दूर होने वाली है, जो इस प्रकार दूर होगी कि देश अपने इतिहास पर अवश्य विश्वास करेगा और मानेगा कि अयोध्या नगरी 630 ई॰ में हर्षवर्धन के समय में एक बौद्ध नगरी थी । 930 ई॰ में आदि शंकराचार्य के समय शैव नगरी थी । विष्णु अवतार राम से तो यह 1299 ई॰ में रामानंद के द्वारा परिचित हुई । ऐसे में राम का वहां प्राचीन समय से मौजूद होना कहां तक सत्य हो सकता है ?

सच्चाई यह है कि 1852 ई॰ में बाबरी मस्जिद पर

''दीन का इल्म सीखो, और दीनी इल्म के लिए वक़ार व संजीदगी सीखो। और जिनसे तुम दीन का इल्म हासिल करो उनसे ख़ाकसाराना बर्ताव रखो।'' (हदीस)

Estd. 1984
इस्लामिक प्राथमिक गर्ल्स जूनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूल
रहमत नगर, गोरखपुर-273001

शहर गोरखपुर का एक माना-जाना स्कूल है इस स्कूल में असरी तालीम के साथ ही साथ दीनी तालीम का बेहतरीन इन्तिज़ाम है। बच्चों के अन्दर यह जज़्बा बेदार करना कि वह एक अच्छे शहरी के साथ-साथ एक अच्छा मुसलमान भी बने।

सदर
डॉ॰ रिज़वान साहब
फ़ोन : 0551-2291043

सिक्रेट्री
जनाब फ़रीद अहमद
फ़ोन : 0551-2291043
मोबाइल : 9460426453

झगड़ा खड़ा किया गया । 1883-86 ई॰ में अदालत ने मंदिर-चबूतरा बनाने से मना कर दिया । 1949 ई॰ में वहां चुपके से मूर्तियां रख दी गयीं तथा 1992 ई॰ में मस्जिद की इमारत को दिन दहाड़े क़ानून के रखवालों के सामने ढहा दिया गया । सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद जो ग़ैरक़ानूनी ढंग से तोड़ दी गयी-वक़्फ़ बोर्ड यूज़र में गिनी जा सकती थी । इससे क्या अन्तर पड़ता है कि मंदिर की निर्माण तिथि एवं निर्माता का नाम पता मालूम नहीं है ।

वे रीतियां क़ानूनी आधार कैसे ले सकती हैं, जो खुले शब्दों में भारतीय दंड संहिता में अनाधिकृत क़ब्ज़े व अपराध के रूप में परिभाषित हैं तथा दंडनीय हैं और उसकी एफ॰आई॰आर॰ भी दर्ज है । रामलला को रखे जाने के बाद अनाधिकृत क़ब्ज़े के क़ानून को शून्य मान लेना बाहुबलियों के लिए शुभ समाचार है । इस प्रकार सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा ।

पुरातत्व विभाग की बात भी काफ़ी दिलचस्प है । इस विभाग का संबंध The Ancient Monuments and Archeological sites and Remains Act-1958 और The Ancient Monuments Preservation Act-1904 से है, जो बाबरी मस्जिद जैसी इमारतों के संरक्षण एवं देख-रेख की ज़िम्मेदारी संभालता है । इस मामले में पुरातत्व विभाग Remains के संरक्षण के स्थान पर उसे मिटाने में लगा है ।

मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का मुद्दा तो इतिहासकारों का विषय है । अगर यह मान भी लिया जाए कि उत्खनन से प्राप्त अवशेष मंदिर के हैं तो यह आधी अधूरी बात है । मंदिर का बुद्ध या अन्य देवताओं का भी होना संभव है । रामलला का दावा संदेहास्पद एवं ग़लत हो सकता है ।

सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का वजूद वक़्फ़ सम्पत्तियों की देखरेख के लिए है तथा वह वक़्फ़ एक्ट 1954 और 1995 और The Public Wakf (Extension of Limitation) Act 1959 से लाभांवित होता है ।

सिविल प्रक्रिया संहिता का यह मान लेना कि चोरी छुपे रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित होने के पश्चात् क़ानूनी अधिकार प्राप्त कर लेती हैं, और मुक़दमा लड़ने का अधिकार प्रदान करती हैं, अन्य देवी-देवताओं के माध्यम से भी अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त करता है ।

अंत में यह बात भी मस्तिष्क में आती है कि हमारी न्यायपालिका जो बेनीफिसियल लेजिसलेशन को धार्मिक नियमों पर खुलकर वरीयता देती है और तलाक़शुदा को दूसरे विवाह तक गुज़ारा दिलवाती है तथा लिव-इन-रिलेशन के आयाम तय करती है (Bharath Matha Case) वह कैसे आस्था एवं विश्वास पर Facts एवं क़ानूनी प्रक्रिया की बलि चढ़ने देगी, जबकि उसके लिए यह एक अति साधारण सिविल विषय है ।

धर्म की राजनीति करने वालों का अस्ली चेहरा

स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें न्याय देने का काम कोई अदालत नहीं करती अपितु भारत की जनता का विवेक ही अंतिम फ़ैसला करता है । भारत-पाकिस्तान का विभाजन आपातकाल और बाबरी मस्जिद का विध्वंस कुछ ऐसी ही अनहोनी पीड़ाएं हैं जो यह बताती हैं कि गंदी राजनीति और हिंसा के खेल में आख़िरकार आम अवाम की ही जीत हुई है और हमने देखा है कि जब-जब राजनीति के आगे न्यायालय और न्यायाधीशों ने घुटने टेके हैं तब-तब भारत के आम आदमी ने ही शांति, अमनचैन और भाईचारा की प्राकृतिक और इन्सानी ज़रूरत पर अपनी मोहर लगायी है ।

यही कारण है आज तक कोई भी राजनीति और पार्टी स्वतंत्र भारत की इन तीन बड़ी घटनाओं को उचित नहीं कह सकी है । इन कुछ घटनाओं ने भारत की जनता के मन और विचार को झकझोरा है और उससे यह भी साबित हो गया है कि सरकारें और राज्य व्यवस्थाओं की राजनीति की भारी क़ीमत चुका कर भी आम नागरिक का सामूहिक विवेक अमनचैन और ख़ुशहाली ही चाहता है तथा युद्ध को शांति का विकल्प नहीं मानता । इसीलिए न्याय का दूसरा नाम सत्य, शांति और भाईचारा ही है । आप कभी सोचें कि 23 दिसम्बर 1949 से अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद हिन्दू और मुसलमानों के बीच शुरू हुआ था और फिर 1992 तक कट्टर हिन्दूवाद की राजनीति करने वाले संघ परिवार, हिन्दू अखाड़े और संगठनों ने जिस तरह से भाजपा के नेतृत्व में दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी तथा इसकी प्रतिक्रिया में भारत के विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे और नरसंहार हुए तो उससे यह बात भी सामने आ गयी कि श्रीराम और मंदिर के नाम पर धार्मिक आस्था की राजनीति करने वालों का अस्ली चेहरा क्या है और दिल्ली जाने वालों के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा एक बहाना क्यों था ! ● वेदव्यास

अयोध्या और तार्किकता

■ मुद्राराक्षस

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा अयोध्या मामले पर फ़ैसला के बाद मैं लखनऊ शहर के हालात देखने निकला तो हैरान रह गया । शहर में अंधेरा था, ख़ौफ़नाक अंधेरा, सन्नाटा । फ़ैसले के बाद यह अंधेरा क्यों छाया ?

यह भी आश्चर्यजनक सत्य है कि देश की समूची राजनीति में अकेला एक व्यक्ति है जिसने कहा कि इस दिन लखनऊ के इस यरुशलम में तार्किकता और विज्ञानबोध को क्रास पर चढ़ा दिया गया है । मुलायम सिंह जिनसे गहरी सहमतियों की अपेक्षा करते हैं वे मार्क्सवादी नेता भी आस्था को न्यायिक आधार बनाने पर एक शब्द भी नहीं बोले । यह सर्वविदित सत्य है कि उत्तर प्रदेश में गोविन्द वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व के समय अयोध्या के आई॰ए॰एस॰ अधिकारी नैयर ने बाक़ायदा बाबरी मस्जिद में राम की मूर्तियां रखवा दीं और घोषणा की गयी कि वहां राम प्रकट हो गये । जवाहर लाल नेहरू की आपत्ति के बाद भी मूर्तियां वहां से नहीं हटायी गयी । यह निहायत ग़ैरक़ानूनी घटना क्या कोई अर्थ नहीं रखती ?

भवानी भट्टाचार्य का वह उपन्यास लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसमें गांव का एक किसान भुखमरी से पीड़ित होकर अपनी युवा बेटी के साथ कोलकाता जाने के लिए निकलता है । रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे ज़मीन में एक टोकरी चने गाड़ कर उस पर एक मूर्ति रखता है और मिट्टी से ढक देता है । सुबह बेटी के साथ वहीं बैठ कर उस जगह पानी डालता है और पूजा करता है । लोग पूछते हैं तो बताता है कि बेटी को भगवान ने सपने में कहा है कि वे वहीं प्रकट होंगे । शाम तक गड़े हुए चने फूल जाते हैं और मूर्ति ऊपर आ जाती है । इसी तरह देश भर में देवी-देवता प्रकट कराये जाते हैं और वहां मंदिर बनते रहे हैं ।

लखनऊ का फ़ैसला आने के बाद देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण इतिहासज्ञ पी॰एन॰ ओक होंगे और देश को यह मनवाया जाएगा कि ताजमहल देवी मंदिर था और लखनऊ का इमामबाड़ा देव मंदिर । गया के बोधगया मंदिर पर पहले से ही हिन्दू क़ब्ज़ा कर चुके थे जो आज भी जारी है । तीन हज़ार मस्जिदें और मज़ारें हिन्दू देव स्थान हैं, यह अब बाक़ायदा घोषित ही नहीं होगा, सरकारें भी स्वीकार कर लेंगी। कुछ बरस पहले लखनऊ में टेलीफ़ोन विभाग के मुख्य कार्यालय में एक पुरानी मज़ार पर एक बटिया रख दी गयी और तब से वह मज़ार पूजा स्थल बन गयी है ।

उन्नीसवीं सदी के अंत में गुजरात से ही एक संन्यासी निकले थे दयानंद सरस्वती । उन्होंने देश में पहली बार अंधविश्वासों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा था । वे किसी भी देवी-देवता या अवतार को नहीं मानते थे और मानने वालों का घोर खंडन करते थे । अजीब बात है कि दयानंद सरस्वती न मुसलमान थे और न ईसाई । वे तार्किकता और ज्ञान की बुनियाद पर समाज को खड़ा देखना चाहते थे । लेकिन उनकी बात भी हिन्दू स्वीकार नहीं करना चाहते ।

अभी कुछ समय पहले एक पोस्ट बॉक्स से पानी की धार निकलने लगी और लोग उसे पूजने लगे बग़ैर यह जाने कि पोस्ट बॉक्स एक सीवर लाइन पर बना था और नीचे सीवर लाइन फट गयी थी ।

हाईकोर्ट का फ़ैसला आने से पहले ही बड़े हिन्दू संगठनों ने जो नारे नये सिरे से लिखे उन्हें देखना चाहिए । एक नारा है 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान अमर रहे' और दूसरा 'भारत को हिन्दूराष्ट्र बनाएंगे ।' इन दोनों नारों और अंबेडकर-नेहरू के समय के संविधान में मूलतत्व के बीच कितना अन्तर्विरोध है, यह देखा जाना चाहिए । उक्त दोनों नारों को अगर मान्यता मिलती है तो सबसे पहले तो देश का संविधान ध्वस्त होता है । हिन्दू संगठनों ने बराबर संविधान को अस्वीकार किया है ।

मैंने देखा है आतंकवाद के नाम पर देश का आम मुसलमान किस क़दर भयाक्रांत है । इस फ़ैसले के बाद उसका ख़ौफ़ और ज़्यादा बढ़ गया है । कहां जाएं ? कहां रहें ? शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं वे देश छोड़ें । पर आख़िर एक बड़ी जमाअत हम जैसे लोगों की है । कहां जाएं हम ? (सा॰ : रा॰स॰)



"पहुंचा दो मेरी ओर से चाहे एक ही आयत क्यों न हो"

–हज़रत मुहम्मद सल्ल॰

क़ुरआन के महीने में क़ुरआन पहुंचाएं !

आइये ! अपने फ़र्ज़ मंसबी को अदा करें !!

आइये ! अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की अज़ीम सुन्नत को अदा करें !!!

क़ुरआन और हदीस से यह बात साबित है कि अब क़ियामत तक कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं है । क़ियामत तक आने वाले इन्सानों के लिए अल्लाह तआला मुकम्मल हिदायतनामा "क़ुरआन मजीद" के तौर पर दे चुका है । अब इस हिदायतनामा यानी क़ुरआन मजीद को पूरी इन्सानियत तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुस्लिम उम्मत की है । क्या हम इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ? यदि नहीं तो तुरंत इसकी चिंता करें, इससे पहले कि अल्लाह हम से हिसाब ले।

अत: प्रत्येक मुसलमान यह प्रोग्राम बनाए कि

- वह अपने ग़ैर-मुस्लिम दोस्त या पड़ोसी या जिन ग़ैर-मुस्लिमों से ताल्लुक़ात हों, उन्हें अपने घर आमंत्रित करे और क़ुरआन मजीद का अज़ीम तोहफ़ा पेश करे ।
- यदि उन्हें घर नहीं बुला सकते हों तो उनके पास जाए और उनकी सेवा में क़ुरआन मजीद का तोहफ़ा पेश करे ।

SALAAM Centre

Head Office: # 65/1, 1st Main Road, S.R.K. Garden, JAYANAGAR EAST, Bangalore - 41
Branch: G.C., RICH HOMES, RICHMOND ROAD, Bangalore - 25, Cell: 99451 88488, 99451 77477
Email: salaamcentrebangalore@gmail.com www.salaamcentre.org

घातक प्रतिप्रभाव

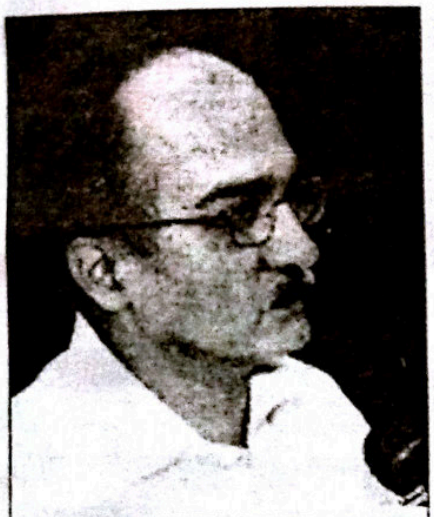

प्रशान्त भूषण
(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट)

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अस्वस्थ तथा असंतुलित है बल्कि राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को भी बाधित करने वाला है । फ़ैसले में न्यायिक त्रुटियां पूरी तरह मौजूद हैं । अदालत ने सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड द्वारा दायर 1961 की अर्ज़ी को हदबंदी के आधार पर ख़ारिज कर दिया, लेकिन बाल भगवान, रामलला द्वारा दायर 1989 की अर्ज़ी को समय के साथ बरक़रार रखा । 2 जजों (अग्रवाल जी और शर्मा जी) का कहना है कि वह यह नहीं कह सकते कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया और किसने किया । लेकिन इसके साथ ही वे यह कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर ध्वस्त करके निर्माण की गयी ।

जस्टिस शर्मा ने यह माना कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर विशाल मंदिर था और यही राम के पिता दशरथ का महल था । उनके लिए ए०एस०आई० की 1988 की रिपोर्ट भी आश्चर्यजनक है जिसमें यह कहा गया है कि दो हज़ार वर्ष से पूर्व अयोध्या में मानव कंकालों का वजूद नहीं था और राम का जन्म यह बताता है कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने अपना स्थान बनाया । यहां तक कि पुराने मंदिर की मौजूदगी ए०एस०आई० की 2003 की रिपोर्ट के आधार पर मान ली गयी, जिसमें इसका कोई ब्योरा नहीं है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर ध्वस्त करके किया गया । बल्कि इसमें यह कहा गया है कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के अवशेष और मल्बे मिले हैं ।

सर्वे रिपोर्ट में इसका कोई विवरण नहीं है और न ही उसने इस सच को स्वीकार किया है कि मस्जिद की भूमि के नीचे मिलने वाले मलबे से उसकी पुष्टि होती है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर ध्वस्त करके किया गया । मस्जिद के नीचे मलबे में पशुओं की अस्थियां भी मिलीं जिस पर गारा-चूना इत्यादि भी हिंदुओं के मंदिर को नकारता है उसी प्रकार मस्जिद के निर्माण की पुष्टि करता है ।

सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि फ़ैसले में बाबरी मस्जिद के गुंबद वाली ज़मीन पर रामलला के स्वामित्व को मान लिया इसलिए कि जजों ने हिंदुओं को यह अधिकार दे दिया कि गुंबद के नीचे राम के जन्म स्थान पर धार्मिक प्रार्थना करे ।

जजों ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि गुंबद के नीचे राम का जन्म स्थान है । क्या सर्वे रिपोर्ट हिंदुओं की इस कल्पना का समर्थन करती है ? हम यह नहीं मान सकते हैं कि हिंदुओं की अक्सरियत इसको स्वीकार करेगी । दरअस्ल हिंदू 1955 से मस्जिद परिसर में धार्मिक प्रार्थनाएं करते आये हैं ।

यह इतिहास इसके विरुद्ध है कि 1949 में मस्जिद के गुंबद के नीचे रामलला पैदा हुए । इसके बावजूद दिसम्बर 1949 में गुंबद के नीचे श्री राम की मूर्ति रख दी गयी । फिर राम जन्मभूमि लिब्रेशन मूवमेंट हिंदुओं से सहयोग के लिए सामने आया ।

इस आंदोलन से राम के नाम पर अधिकतर वह लोग जुड़े जिनके अंदर कट्टरता तथा धार्मिक उन्माद पाया जाता था और मुस्लिम शासकों के प्रति प्रतिशोध की भावना काम कर रही थी, लेकिन क्या राम के उस स्थान पर जन्म के बारे में हिंदुओं की आस्था होना काफ़ी है । अगर ऐसा हो भी जाए तो क़ानूनी आधार पर 'रामलला और उनके गार्जियन वी०एच०पी०' को विवादित भूमि नहीं दी जा सकती है । क्या किसी की आस्था के आधार पर विवादित सम्पत्ति का विभाजन किया जा सकता है ? अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही ख़तरनाक है। विशेष रूप से हमारे देश के भीतर जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं ।

अगर देश में धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिकता इसी तरह स्थान पाती रही तो बहुसंख्यक वर्ग, बलवान लोग निर्बलों की सम्पत्तियों तथा जायदादों पर आस्था को आधार बनाकर क़ब्ज़ा करते रहेंगे । क्या यह फ़ैसला ऐसा नहीं है

कि जिसमें बहुसंख्यकों का ध्यान रखते हुए तथा अल्पसंख्यक वर्ग को दलित तथा आदिवासी मानते हुए किया गया, जैसा कि ब्राह्मणवादियों के समय में हुआ करता था । फ़ैसले का एक भाग क्या समझौते का आधार बन सकता है । फ़ैसले के उस भाग में जिसमें यह कहा गया है कि हिंदू-मुस्लिम दोनों विवादित स्थल पर धार्मिक कृत्य-पूजा/इबादत करते आये हैं । क्या एक परिसर में संयुक्त रूप से दोनों समुदायों के लोग पूजा कर सकते हैं ? तो दोनों समुदाय के लोगों को संयुक्त रूप से भूमि विभाजित कर दी जाए । लेकिन रामलला के जन्म स्थान को राम जन्मभूमि लिब्रेशन मूवमेंट के मद्देनज़र रामलला को दे दी जाए, इस प्रकार का फ़ैसला क़ानून और शिष्टाचार की दृष्टि में चिंताजनक है, जिससे धार्मिक उन्माद को सर उभारने का अवसर मिलेगा और वह मुस्लिम विरोधी भावनाओं के तहत उनके अन्य पूजा स्थलों पर भी क़ब्ज़े की कोशिश करेंगे और फिर मामला न्यायालय में जाएगा और फ़ैसला आस्था के आधार पर उनके पक्ष में दे दिया जाएगा ।

कुछ समझदार लोग यह कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस फ़ैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए । शायद उन्हें यह मालूम नहीं कि यह एक चापलूसी है और धार्मिक उन्माद और साम्प्रदायिकता उसे एक विजय के रूप में लेगी और आगे भी अन्य पूजा स्थलों पर क़ब्ज़े के लिए मार्ग प्रशस्त कर लेगी ।

फासीवादी शक्तियों का तुष्टीकरण करके अन्याय की क़ीमत पर शांति नहीं ख़रीदी जा सकती, क्योंकि वह बहुत अधिक समय तक क़ायम नहीं रह सकती । हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास का एक पार्ट उदाहरण बन जाता है । कुछ पश्चिमी देशों का प्रयास हिटलर के रास्ते में विफल हुआ यह मामला भी इसी के समान है । इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि इस फ़ैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए ।

सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला सभी समुदाय के लोगों के लिए स्वीकार्य होगा । हम यह भी समझते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय फ़ैसले में संशोधन करके सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को उसकी भूमि सुपुर्द करेगा तो यह भाईचारे का संकेत होगा जिसमें भूमि मस्जिद की होगी । क्या हमारा देश धर्म-निरपेक्ष क़ानून द्वारा चलाया जाएगा अथवा आस्था और अराजकता द्वारा । यह ऐसा मामला है जिसमें सब परेशान हैं ।

A Malik

Since : 1915

With Best Compliment from

QUALITY OPTICIANS

54/6, Canning Street,
43, Ezra Street,
Kolkata-700001

✆ : 2235-0770
2221-8099
e-mail : qualopt@optician.com

कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों के विचार

राजेन्द्र यादव

बौद्ध धर्म की सारी किताबें, मूर्तियां और स्मारक शंकराचार्य के अनुयायियों ने नष्ट कर डाले थे । यहां तक कि बुद्ध की जो भी मूर्तियां मिलती हैं, वे अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, रंगून आदि में तो मिलती हैं लेकिन हिन्दुस्तान में बुद्ध की एक भी ऐसी मूर्ति नहीं मिलती जो खंडित न हो । इस तरह हम देखते हैं कि हिन्दू कम कट्टर नहीं हैं । उन्होंने बाबरी मस्जिद को भी बाक़ायदा योजनाबद्ध ढंग से ढहा दिया था । कुछ हिन्दुत्ववादी नेता भीड़ को रोकने के नाम पर मस्जिद से बाहर खड़े रहे थे और षड्यंत्र के तहत महज़ आधा घंटे में उसे ज़मींदोज़ कर दिया गया था । उमा भारती उल्लास में मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा रही थीं । उमा भारती और ऋतंभरा क़े आग उगलते हुए भाषण बाक़ायदा रिकार्ड हैं । हाईकोर्ट के फ़ैसले में इसका कोई ज़िक्र नहीं है । यह मानकर चला गया है कि जहां बीच का गुंबद था, वहीं नीचे राम का जन्म हुआ था । कोर्ट ने जिस तरह ज़मीन का बंटवारा किया है, उसमें बीच में रामलला का मंदिर है, एक तरफ़ राम चबूतरा है और एक तरफ़ सीता रसोई । कोर्ट द्वारा मुसलमानों को दिये गये हिस्से में मस्जिद बनायी भी जाती है तो वह राम चबूतरे और सीता रसोई के बीच में होगी । ज़ाहिर है, रोज़ दंगे होंगे । एक तरह से यह जान-बूझकर किया गया लगता है कि बहुसंख्यक आतंक में दबकर मुसलमान खुद ही कहें कि भैया इस जगह को भी आप ही ले लें । यह फ़ैसला निश्चय ही अन्यायपूर्ण, अवैध और अतार्किक है । यह तर्क और क़ानून के ऊपर आस्था की विजय है ।

आख़िर कोर्ट ने यह कैसे तय कर लिया कि राम कहां पैदा हुए थे ? अयोध्या में ही राम के क़रीब 10 मंदिर ऐसे हैं जहां राम का जन्म स्थान होने का दावा किया जाता है । कोर्ट ने क़ानून पर आस्था को तरज़ीह दे दी है तो हर कहीं आस्था और अंधविश्वास को वैधता मिल जाएगी । सती, नर बलि आदि को भी परंपरा और आस्था के नाम पर सही ठहराया जा सकता है । फिर तो खाप-पंचायतें भी अपनी आस्था और परंपरा के आधार पर अपना अधिकार मानेंगी । ओझे, सयाने, झाड़-फूंक करने वाले औरतों को डायन बताकर क्यों नहीं पीटेंगे ? एक बात यह भी कि बाबर के एक जनरल मीर बाक़ी ने जो मस्जिद बनवायी थी, वह तो आपने तोड़ दी लेकिन देश में आप क्या-क्या तोड़ेंगे ? राम पर एक बहस में हिस्सा लेते हुए मैंने कहा कि राम ने लंका पर आक्रमण किया, रावण की बहन की नाक काटी । नाक काटने के मुहावरे का सीधा अर्थ है इज़्ज़त लेना ।

हमारी राजनीति ने साम्प्रदायिक समस्याओं को इतना दूषित और जटिल बना दिया है कि कोई गुंजाइश नज़र ही नहीं आती है । लगता नहीं है कि हम लोगों की ज़िन्दगी शांति से गुज़र पाएगी । अशांति रहेगी, आतंकवादी विस्फोट होंगे । हिन्दुत्व की राजनीति करने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें लाशों का ढेर लगाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठना है । हिन्दुत्व की राजनीति संगठित है और हिन्दू वोटों के लालच में यू०पी०ए० सरकार का रवैया भी नर्म है । कांग्रेस कोर्ट के फ़ैसले का समर्थन ही कर रही है । रामभक्त कोर्ट में हो सकते हैं तो कांग्रेस में क्यों नहीं ?

हिन्दी लेखकों ने इस मसले पर जो कुछ भी लिखा, इस फ़ैसले को आस्था और अंधविश्वास की विजय ही बताया है । भगवान सिंह, कृष्णदत्त पालीवाल जैसे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने हिन्दुत्व की बात कही है । कुछ लेखकों का स्वर नर्म हो सकता है पर अधिकांश लेखक अपने स्टैंड पर क़ायम हैं । मुझे नहीं लगता कि हिन्दी लेखकों में पुनरुत्थानवाद की कोई लहर चल रही है ।

कृष्णा सोबती

राम के नाम की अर्जित महिमा और गरिमा को जिस तरह एक राजनीतिक महत्वाकांक्षी खेमे ने राजनीति के सांस्कृतिक विज्ञापन की तरह रथ यात्रा में सड़कों पा उतारा, वह भारतीय मानस को गुमराह करने की शर्मनाक कोशिश थी ।

यह लोकतांत्रिक प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता पर कीटनाशक रसायन से छिड़काव करने का प्रयास था जिसे वोट बैंक का आंकड़ा बढ़ाने के लिए किया गया था । जिसे नेतागण

सांस्कृतिक आस्था का नाम देते हैं, वह दरअस्ल देश की हिंसक प्रवृत्तियों का ही प्रदर्शन था । लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष पक्ष के बदले साम्प्रदायिकता को भड़का देने का प्रदर्शन । बरसों पहले जिस दिन रामलला के नाम पर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, उस शाम इकट्ठे हुए दर्जनों लेखक इस आक्रामकता से घायल हुए एक-दूसरे को लाचारी से देख रहे थे । जैसे यह सदियों बाद पुराने आक्रमणकारियों को बहुत ही मामूली जवाब देने का दृश्य हो । विस्मयकारी था कि हम आज़ादी के पक्ष में विभाजन की त्रासदी को अब तक कुछ संतुलित कर चुके थे और यह एक बार फिर वोट के लिए नया विभाजन हो गया था । दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबद्धताएं, आक्रामक, हिंसात्मक, तत्वहीन मुद्दे जिन्हें राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, धर्म के नाम पर सेंध लगाए एक बार फिर बंटवारा कर रहे थे । अगर यह राजनीतिक दल किसी अच्छी विज्ञापन एजेंसी को सांस्कृतिक उत्थान का काम सौंपता तो न रामचन्द्र जी की छवि सड़कों पर रौंदी जाती और न रामलला के तथाकथित स्थान के नाम पर इस ढांचे को बर्बाद करने का अनाचार होता और वह भी धार्मिक आचार-विचार के नाम पर । इस बौद्धिक विश्लेषण से परे की शाम में मैं और कुर्रतुलऐन हैदर आमने-सामने खड़े हैं, जैसे उन्होंने बंटवारा करवाया हो और बदले में हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ गिराया हो । वह हमें दंगों की विरासत में मिली शाम थी । अब बरसों बाद फिर अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले की शाम है । भारत का नागरिक समाज अब इतना तो जानता है कि राम जन्मभूमि को लेकर जो नकारात्मक वैचारिक जगमग बनाया गया था, उसे अब समानता के लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष खड़ा नहीं कियाक जा सकता । राष्ट्र ने वयस्क भंगिमा में यह सिद्ध कर दिया मगर इस विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले के तराज़ू में एक ओर तर्क और एक ओर आस्था रख दी गयी । हम लोग एक बार फिर चिंतित हैं, इस बार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर क्योंकि इस निर्णय से एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं । इस विवाद को हल करने का न्यायालय ने जो भी मध्यस्थता का निर्देश देने को आस्था का सहारा लिया है, क्या वह सचमुच तर्क और आस्था के बीच एक नया प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है ? इस विवाद को हल करने की अपेक्षा रखते हुए यह भी क्यों ज़रूरी नहीं समझा गया कि जिस तरह बाबरी मस्जिद ढांचे का विध्वंस किया गया, वह अपराध की श्रेणी में आता है । उसे बिना किसी जुर्माने और हर्जाने के निर्णय में मौन रखा गया है । यह समानता और भारतीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं ।

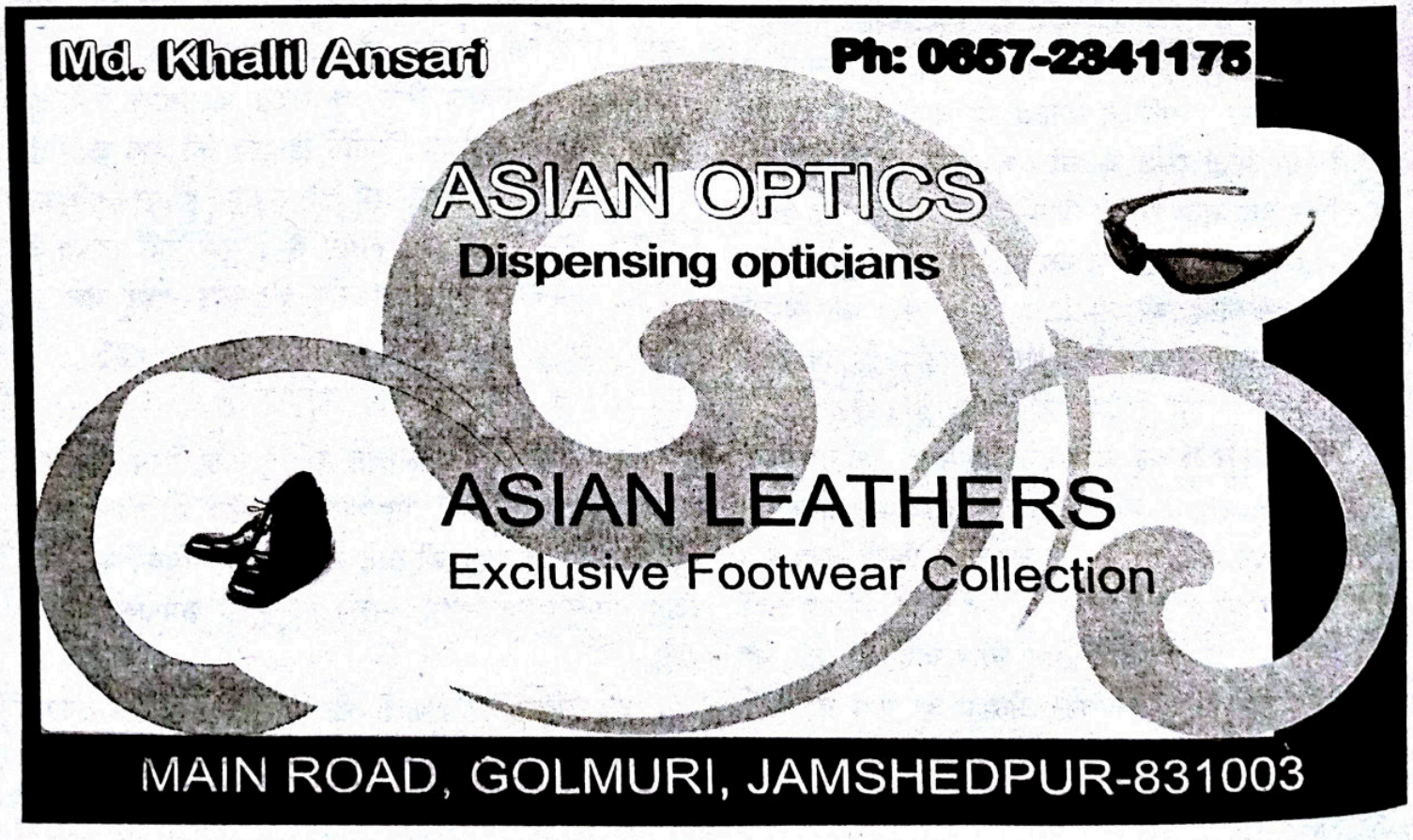

शर्म उनको मगर नहीं आती

❖ सलीम अख़्तर सिद्दीक़ी

लालकृष्ण आडवाणी का यह कहना कि अयोध्या पर हाईकोर्ट के फ़ैसले से उनकी रथ यात्रा सार्थक साबित हुई है, उन हज़ारों मुसलमानों और हिन्दुओं के ज़ख़्मों पर नमक छिड़का है, जो उनकी रथयात्रा के चलते प्रभावित हुए थे। आडवाणी का यह बयान उन मुसलानों को भी आहत करने वाला है, जो यह सोचते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को अंतिम मानकर अब अयोध्या विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ऐसा चाहने वाले मुसलमानों के दिल में यह बात आ सकती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाना चाहिए। पता नहीं कैसे आडवाणी अपनी रथयात्रा को सार्थक बता रहे हैं। सच तो यह है कि आडवाणी की वह रथयात्रा इस देश पर एक कलंक और एक तरह से 'ख़ूनी यात्रा' थी। वह जहां से गुज़री अपने पीछे तबाही और बरबादी के निशान छोड़ गयी थी। लेकिन आडवाणी इतने कठोर दिल वाले साबित हुए थे कि उन पर मासूम बच्चों की चीत्कारों, औरतों की लुटती अस्मतों, आग में ज़िन्दा जलते बेगुनाह लोगों की चीख़ों का कोई असर नहीं पड़ा था। उस समय शायद उनमें हिटलर की आत्मा समा गयी थी, जैसे हिटलर यहूदियों को गैस चौम्बरों में मरता देखकर अट्ठाहस करता होगा, ऐसे ही आडवाणी देश को जलता देखकर अपने आप को हिटलर ही समझते होंगे।

दुख इस बात का है कि आडवाणी यह सब उस राम के नाम पर कर रहे थे, जो पूरी दुनिया में मानवता के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम भी उनकी रथयात्रा के लिए उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। आडवाणी की उस रथयात्रा ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को तार-तार करने का काम किया था।

दुख इस बात का है कि आडवाणी यह सब उस राम के नाम पर कर रहे थे, जो पूरी दुनिया में मानवता के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम भी उनकी रथयात्रा के लिए उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। आडवाणी की उस रथयात्रा ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को तार-तार करने का काम किया था। आडवाणी की रथयात्रा ने देश के हिन्दुओं में इतना उन्माद पैदा कर दिया था कि 6 दिसम्बर 1992 को एक उन्मादी और अराजक भीड़ ने एक ऐतिहासिक मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना इस देश की एक अभूतपूर्व घटना थी। इस घटना के बाद देश में ख़ूरेज़ साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गयी थी। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एक लकीर-सी खिंच गयी थी। रही सही कसर आडवाणी के शिष्य नरेन्द्र मोदी ने 2002 में गुजरात में पूरी कर दी थी। हिन्दू मुहल्लों से मुसलमानों का तो मुस्लिम मुहल्लों से हिन्दुओं का तेज़ी से पलायन हुआ। आबादियां बंट गयीं। आबादियों के बंटने का सिलसिला आज भी जारी है।

बाबरी मस्जिद विध्वंस, मुंबई और गुजरात के ख़ूरेज मुस्लिम विरोधी दंगे देश के दुश्मनों के लिए वरदान साबित हुए। मुंबई के भयानक साम्प्रदायिक दंगों के बाद मार्च 1993 में मुंबई में ज़बरदस्त बम धमाके हुए। इन बम धमाकों को बाबरी विध्वंस और मुंबई दंगों का बदला कहा गया। अपनी रथयात्रा को सार्थक बताने वाले आडवाणी भी यह जानते हैं कि यदि बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं हुआ होता तो, न तो मुबई में साम्प्रदायिक दंगा होता और न ही मुंबई में बम धमाकों में सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान जाती। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। आतंकवादियों को, आतंकवादी घटना अंजाम देने के लिए बाबरी मस्जिद विध्वंस, मुंबई और गुजरात के दंगों का तर्क मुहैया हो गया। इस आड़ में 'भगवा आतंकवादी' भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे।

आतंकवादी घटनाओं में मुसलमानों का हाथ बताकर मुस्लिम युवकों को इनकाउंटर में मार गिराने या उन्हें जेलों में ठूंसने का काम शुरू हुआ। बग़ैर उचित इंवेस्टीगेशन के सीधे-सीधे मुसलमान को आतंक का पर्याय बताया जाने लगा। यह तो अच्छा हुआ कि कुछ ईमानदार पुलिस अफ़सरों की वजह से 'भगवा आतंकवाद' का सच सामने आ गया, वरना 'भगवा आतंकवाद' मुसलमानों को आज तक बदनाम कर रहा होता। यह संयोग नहीं है कि 'भगवा

आतंकवाद' का सच सामने आने के बाद देश में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गयी हैं । अब 'भगवा ब्रिगेड' ने इस्लामिक आतंकवाद का राग अलापना बंद कर दिया है ।

यदि आज भगवा ब्रिगेड अयोध्या फ़ैसले पर संयम और शांति बरतने का ढोंग कर रहा है तो इसका सारा श्रेय इस देश के धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं को जाता है । धर्मनिरपेक्ष हिन्दू ही भगवा ब्रिगेड के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया । बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों के बाद भारत के मुसलमानों का आत्मविश्वास हिल कर रह गया था । सेक्युलर मीडिया और सेक्युलर हिन्दू जब मुसलमानों पर होने वाली ज़्यादतियों के विरोध में खड़ा हुआ तो उनका आत्मविश्वास लौटा । हालांकि भगवा ब्रिगेड सेक्युलर पत्रकारों को 'बिका हुआ' तो सेक्युलर नेताओं को छद्म धर्मनिरपेक्ष कहता आया है ।

आडवाणी अपनी रथयात्रा को इसलिए भी सार्थक कह रहे होंगे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद और राममंदिर मुद्दे को इतना संवेनशील बना दिया था कि अयोध्या पर फ़ैसला लिखते समय जजों के भी हाथ कांप गये । जस्टिस यू॰एस॰ ख़ान ने लिखा है कि 'हमारे चारों तरफ़ बारूदी सुरंगें बिछी हुई है ।' ये बारूदी सुरंगें लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने ही बिछाई थीं ।

आडवाणी ख़ुश हो सकते हैं कि उनकी रथयात्रा ने अयोध्या फ़ैसले को प्रभावित कर दिया । वे अपनी रथयात्रा को सार्थक कह सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए उनकी रथयात्रा किस 'क़ीमत' पर सार्थक हुई है । यदि वे क़ीमत का अंदाज़ा लगा लेंगे तो उन्हें शर्म ज़रूर आएगी, लेकिन क्या आडवाणी जी को शर्म आएगी ?

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है।

With best compliments from:

Ph: 0651-2330144, 2330604
Mo. 09334706965

Azad Pharma
formerly
Azad Pharmacy

Timing :
10:00 a.m. to 09:00 p.m.

Sunday
Closed

B-7, Sainik Market, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

जामिया-तुस्सालिहात

बांसी, सिद्धार्थनगर

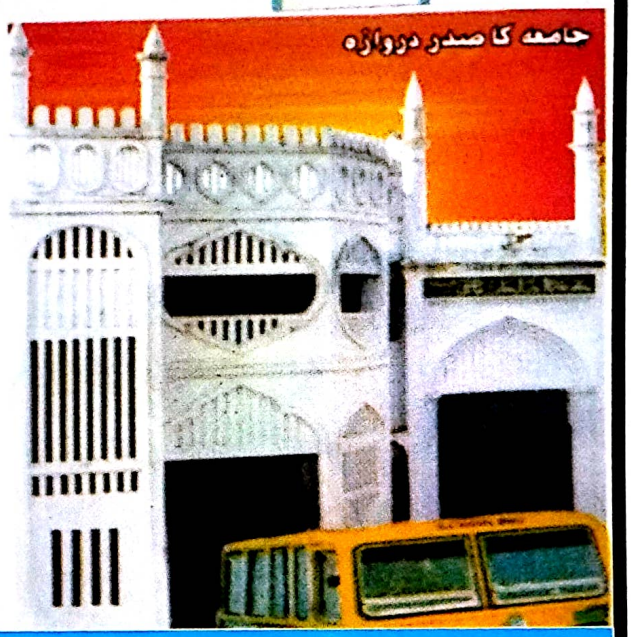

जामिया का परिचय

जामियातुस्सालिहात पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अहम इस्लामी तालीमी इदारा है । यह मुस्लिम लड़कियों के लिए एक भरोसेमन्द दर्सगाह है, जो 1991 ई॰ से इस्लामी तालीम के काम में लगा हुआ है ।

मक़सद

क़ुरआन व सुन्नत का गहरा इल्म रखने वाली ऐसी ख़वातीन तैयार करना, जिनकी नज़र वक़्त के अहम मसलों पर हो और जो समाज के सुधार का फ़र्ज़ अदा कर सकें ।

जामिया के शोबे

- शोबा-ए-सानवी : इस शोबे में दीनियात, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, इतिहास, भुगोल, गणित और गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है ।
- शोबा-ए-आलिमियत : इस शोबे में क़ुरआन व हदीस की तफ़्सीर, फ़िक़्ह, अक़ीदा, फ़राइज़, बलाग़त के साथ अरबी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी की शिक्षा दी जाती है ।
- शोबा-ए-फ़ज़ीलत : इस शोबे में तफ़्सीरे उसूल, तफ़्सीरे हदीस, उसूले हदीस, जिरह व तादील, उसूले फ़िक़्ह, असरारे शरीअत, एजूकेशन और अदयान के मज़ामीन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।
- सिलाई कढ़ाई व पेंटिंग सेन्टर
- कैलीग्राफ़ी व ग्राफ़िक डिजाइनिंग
- डिप्लोमा फंक्शनल अरबिक सेन्टर

जामिया-तुस्सालिहात, बांसी, सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश-272153 ● फ़ोन : 05545-256371, मोबाइल : 9450568139

Posted on 20-21 December 2010
December 2010-January 2011
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.12.2010

क्रान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Licence No. U (SE)-73/2009-11

पुरुषों ने जो कुछ कमाया है,
उसके अनुसार उनका हिस्सा है
और जो स्त्रियों ने कमाया है
उसके अनुसार उनका हिस्सा है ।
–क़ुरआन

"जिस किसी ने तंगदस्त को
मुहलत दी या अपना हक़ जो उस
पर था माफ़ कर दिया तो अल्लाह
क़ियामत के रोज़ की सख़्तियों से
उसको निजात अता फ़रमाएगा ।"
(मुस्लिम)

With Best Compliments from :

JAWED AHMAD
KOLKATA